जल संसाधन विभाग

civil ऑडिट

लोक लेखा समिति - प्रकाशन संख्या - 373

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 364

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपास्थापन की तिथि ..../

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	1 - 2
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय	3
3.	प्राक्कथन	4
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	5 - 29
5.	परिशिष्ट	30 - 119

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति, वर्ष : 2001 - 2002

सभापति :

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स०वि०स०
	सदस्यगण :	
2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स०वि०स०
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स०वि०स०
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स०वि०स०
5.	श्री शोभाकांत मंडल,	स०वि०स०
6.	श्री गिरिधारी मंडल,	स०वि०स०
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स०वि०स०
8.	श्री प्रेम कुमार,	स०वि०स०
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स०वि०
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स०वि०स०
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स०वि०स०
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स०वि०स०
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स०वि०स०
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स०वि०स०
15.	श्री बालदेव महतो,	स०वि०स०
16.	प्रो० नवल किशोर यादव,	स०वि०स०
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स०वि०स०
18.	डा० मु० शमीम,	स०वि०स०

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण :

सभापति :

1. श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

संयोजकः

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०

सदस्यगण :

3. श्री राम चन्द्र राय, स०वि०स०
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स०वि०स०
5. श्री मुनी लाल यादव, स०वि०स०
6. डा० मो० शमीम, स०वि०स०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - 1, बिहार एवं झारखंड, पटना ।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पट[illegible]
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव ।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात, उपसचिव ।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव ।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव ।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी अधिकारी ।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी ।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी ।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है। आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान नि:स्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढती गई। साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमश: नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढाँचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वियन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौंपी है। यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक" बताया गया है। इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक 15 वर्षों के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जन संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है। इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके लिए विशेषकर सिचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

पटना :-
तिथि : 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिका-4.17-

4.17- विविध लोक कार्य अग्रिम

विविध लोक कार्य अग्रिम (वि.लो.का.अ.) एक उप-शीर्ष है जिसके अधीन बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 382 के अनुसार निम्नलिखित लेनदेन को अभिलेखित करना है :-

1. उधार पर विक्रय
2. प्राप्त जमा से अधिक जमा कार्यों पर किया गया व्यय
3 हानि, बर्खास्तगी, भूल इत्यादि
4. अन्य मद (जिसका आवंटन प्राप्त नही हो या जिसको वसूली या निपटारा होने तक या अपलेखन के आदेश होने तक समायोजित नही किया जा सकता है ।)

वि.लो.का.अ. लेखे में मद को कार्यपालक अभियंता द्वारा या तो वास्तविक वसूली या दूसरे लेखा के शीर्ष में जिससे वे संबंधित है समुचित स्वीकृति एवं प्राधिकार के अधीन स्थानान्तरण के द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिए ।

वि.लो.का.अ. के नियमों का घोर उल्लंघन

संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जल संसाधन विभागके 5 प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए वि.लो.क.अ. डेबिट नही किया तथा उल्लिखित से अलग विभिन्न आधरों पर 13.05 करोड़ रूपये अनधिकृत रूप से डेबिट (1960-1999) किया । राशि मार्च 1999 तक वसूली/ समायोजन के लिए लम्बित थी । प्रमंडलवार विवरण निम्नवत थे।

क0	प्रमंडल का नाम	अस्थायी अग्रिम	भू-अधि ग्रहण के लिए अग्रिम	प्रोफार्मा विपत्र के विरूद्व अग्रिम	अन्य सरकारी विभाग/ निगम को अग्रिम	[illegible]99 तक [illegible].का.अ. के तहत कुल असमायोजित शेष	वर्ष जिसके दौरान वि.लो. का.अ. के अन्तर्गत दर्ज किया गया ।
1	सोन पूर्वी उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल औरंगाबाद	9.0	4.68	55.11	-	68.89	1961-99
2	शीर्ष कार्य प्रमंडल वीरपुर	9.05	7.59	311.35	85.33	413.32	1980-99
3	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल दरभांगा	21.57	304.38	52.85	[illegible]	378.80	1977-99
4	तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर	44.47	-	37.31	52.08	133.86	1960.99
5	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-1मधुबनी शिविर-पडरौना (यू0पी0)	20.47	-	154.44	135.60	310.51	1978-99
	योग	101.66	316.65	611.06	273.01	1305.38	

लम्बे समय तक अग्रिमों की अवसूली/ असमायोजन निम्नलिखित गंभीर अनियमितताओं का सूचक था ।

अस्थायी अग्रिमों की लंबी विचाराधीनता निधियों की दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की सूचक थी ।

❖ 1.04 करोड़ रूपये के अस्थायी अग्रिम की लंबी विचाराधीनता निधि की संभावित दुरूपयोग/ दुर्विनियोजन की सूचक थी । कार्यपालक अभियंता ने कर्मचारियों के पदस्थापना के वर्तमान स्थान तथा संबंधित कर्मचारी सरकारी सेवा में है या सेवानिवृत हो गया, इसको सुनिश्चित नही किया । ऐसी परिस्थिति में इन अग्रिमों की वसूली/ समायोजन की संभावना क्षीण थी । कार्यपालक अभियंता ने इन अग्रिमों की वसूली/ समायोजन के लिए प्रभावी रूप से लगे भी नही रहे ।

सामग्री खाते में बड़ी मात्रा में अग्रिमों की लंबी विचाराधीनता ।

❖ प्रोफार्मा विपत्र पर 6.11 करोड़ रूपये के भुगतान के विरूद्व सामग्री लेखा की लंबी विचाराधीनता सामग्री की संभावित दुरूपयोग / दुर्विनियोजन तथा लेखें के तैयार नही किए जाने का सूचक था । कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता, जिनके द्वारा सामग्रियों प्राप्त/ उपयोगित की गयी थी, उनका वर्तमान पदस्थापना का स्थान को कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित नही किया गया तथा अग्रिमों के समायोजन/ वसूली के लिए वे प्रभावी ढंग से लगे नहीं रहे ।

अग्रिमों की वसूली पर निगरानी का अभाव

❖ भू अर्जन के लिए 3 प्रमंडलों द्वारा दी गयी 3.17 करोड़ रूपये की अग्रिम उसके उपयोग तथा उसके समायोजन/ वसूली के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा निगरानी का अभाव था ।

वसूली के लिए लगे नहीं रहना

❖ दूसरे विभागों एवं निगमों से 2.73 करोड़ रूपये की अग्रिम के समायोजन/ वसूली के लिए लगे नही रहना ।

आकलन की स्वीकृति के बिना दर्ज व्यय ।

❖ आकलन की स्वीकृति एवं निधियां के प्रावधान के बिना व्यय दर्ज करने को भी वि.लो.का.अ. को नामे करने का कारण बताया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वि.लो.का.अ. में अनधिकृत एवं कार्य व्यय को दर्ज करने से कार्य आकलन के विरूद्व व्यय को नही बताने का अवसर तथा इस प्रकार उजागर होने की किसी संभावना के बिना अंततः आकलन से बढ़ जाने का अवसर मिलता है ।

वि.लो.का.अ. का लगातार दुरूपयोग

❖ कार्यपालक अभियंता द्वारा वि.लो.का.अ. का लगातार दुरूपयोग किया गया तथा अधीक्षण अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं तथा प्रमंडल का निरीक्षण करने वाले अन्य विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इस दुरूपयोग को रोका नही गया ।

5 प्रमंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित भी प्रकट किया ।

(i) अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु वि.भू.अ.प. को अग्रिम

बजट अनुदान को व्ययगत होने से बचाने हेतु निधि की निकासी एवं वि.भू.अ.प. को अग्रिम प्रदान किया गया ।

❖ मुख्य अभियंता (दरभंगा) के आदेशानुसार (मार्च 1998) कार्यपालक अभियंता,पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा ने त्वरित- सिंचाई लाभ परियोजना (त्व.सि.ला.प.)के लिए वर्ष 1997-98 में निविष्ट 55.88 लाख रूपये के अनुदान (0.80 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता सहित)की, अनुदान को व्ययगत होने से बचाने हेतु निकासी की एवं इसमें से 55.15 लाख रूपये भू- अर्जन के लिए वि.भू.अ.प. को अग्रिम (मार्च 1998) प्रदान किया गया । अग्रिम को अनधिकृत रूप से वि.लो.का.अ. के अधीन दर्ज किया गया । पुनः त्व.सि.ला.प. के लिए 31.86 लाख रूपये के अनुदान (162.20 लाख रूपये में से) को वर्ष 1998-99 के दौरान का.अ. ने बजट अनुदान को व्ययगत होने से बचाने हेतु 30 मार्च 1999 को भू अर्जन के लिए वि.अ.भू.प. दरभंगा को अग्रिम के माध्यम से वि.लो.का.अ के अन्तर्गत दर्ज किया ।

(ii) प्रोफार्मा विपत्रों के विरूद्व भुगतान के कारण समायोजन की उपेक्षा

प्रोफार्मा विपत्र के विरूद्व समायोजन की उपेक्षा

❖ प्रोफार्मा विपत्र पर भुगतान के लिए वि.लो.का.अ. के अंतर्गत 6.11 करोड रूपया दर्ज किया गया । प्रमंडल ने आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ उनके द्वारा अंतिम विपत्र प्रस्तुत करने के मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई नही किया । फलस्वरूप अधिक अग्रिम, अगर कोई हो, की वसूली या समायोजन की संभावना पर अनुवर्त्ती कार्रवाई नही की गयी । नमूना जाँचित प्रमंडलों ने कहा (नवम्बर दिसंबर 1998 तथा जुलाई 1999) कि सामग्रियों की प्राप्ति दर्शाने वाले संबंधित अभिलेख (स्थल लेखा एवं भंडार लेखा)उपलब्ध नही थे । यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रमंडल द्वारा राशियों की समुचित समायोजन द्वारा वि.लो.का.अ. से इन मदों को मुक्त करना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त इस प्रथा को विभाग द्वारा निरूत्साहित करना अपेक्षित था ।
यह भी पाया गया कि त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना (त्व.सि.ला.प.) के लिए 1.62करोड़ रूपये में से का. अ. पश्चिमी कोशी नहर प्रंडल, दरभंगा ने राज्य निधि में से वर्ष 1998-99 के पहले प्रापक प्रमंडलों द्वारा प्राप्त विभिन्न विर्निदेशन के 234.851 टन एम.एस.छड़ को स्थानांतरण करने के लिए पश्चिमी कोशी नहर प्रमडल, फुलपरास (घोघरडीहा)को प्रोफार्मा विपत्र पर 42.29 लाख रूपये का भुगतान किया (फरवरी-मार्च 1999) तथा राशि को वि.लो.का.अ.के अधीन दर्ज किया।

अत: त्व.सि.ला.प. जिसका उद्देश्य केन्द्रीय ऋण सहायता के अधीन अपूर्ण पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करना था, के कियान्वयन के निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए 42.29 लाख रूपये की निधि का उपयोग नहीं किया गया था ।

(iii) अन्य सरकारी विभागों/ निगमों को अग्रिम

अन्य विभागों/ निगमों को दी गयी अग्रिम अवसूलित थी ।

❖ अन्य विभागों/निगमों को वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत दर्ज 2.7 करोड़ रूपये के अग्रिम भुगतान में उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के लिए रेलवे (0.67 करोड़ रूपये), संपर्क पदाधिकारी, विराटनगर (0.02करोड़ रूपये) बिहार राज्य निर्माण निगम (1.65 करोड़ रूपये) तथा दूरसंचार विभाग(0.39 करोड़ रूपये) को किया गया भुगतान सम्मिलित था ।

(iv) लेखा अभिलेखों का असंधारण/ अनियमित संधारण

वि.लो.का.अ. उपशीर्ष के अधीन उनके अभिश्रव लेखा के साथ लेनदेन की प्रकृति तथा इसके अधीन उनके नामित किए जाने का कारण दर्शाते हुए अभिलेखित लेन- देन के विस्तृत लेखे को प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा (i) उधार पर बिक्री, (ii) क्षति, खर्चास्तगी,भुगत इत्यादि तथा (iii) अन्य मद को उचंत बही के फार्म 67 (अनुसुची XLV-फार्म संख्या 176)में रखा जाना है जबकि वर्ग प्राप्त जमा में अधिक जमा कार्य पर किया गया व्यय के अंतर्गत आनेवाले मदों का लेखा जमा कार्य की अनुसूची फार्म सं.65(अनुसुची XLV-फार्म संख्या 176)में रखा जाना है ।

आवश्यक लेखा अभिलेख या तो संधारित नही था या अनियमित रूप से संधारित किया गया था ।

❖ लेखा परीक्षा में पाया गया कि पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा को छोड़कर प्रमंडलों द्वारा वि.लो.का.अ. से संबधित इन अभिलेखों का संधारण बिल्कुल ही नही किया गया ये प्रमंडल मासिक लेखें से संलग्नित उचंत अनुसुची मे वि.लो.का.अ. के अधीन शेष के समेकित आँकड़े को साधरणतया प्रदर्शित करते थे ।परिणामत: वि.लो.का.अ.के अधीन शेष के समायोजन एवं निकासी की संभावना क्षीण थी ।यही नही, यह क्षति/ दुर्विनियोजन सहित अनधिकृत व्यय को वि.लो.का.अ. के अधीन दर्ज करने को बढ़ावा देता था ।

एक प्रमंडल में वि. लो.का.अ. के अधीन असंगत आंकड़े ।

❖ यह पाया गया कि तिरहुत नहर प्रमंडल, मजफ्फरपुर ने अक्टूबर 1992 के अपने मासिक लेखे में वि.लो.का.अ. के असमायोजित शेष को अचानक 1.38 करोड़ रूपये से घटाकर 1.33 करोड़ रूपये कर दिया । प्रमंडल ने कहा (दिसम्बर 1998) कि गलती सुधार ली जायेगी। जुलाई 1999 में लेखा परीक्षा के दूसरे निरीक्षण तक भी सुधार नही किया गया था । तथापि 3 प्रमंडलों के रोकड़ बही एवं संबंधित अभिश्रवों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वि.लो.का. अ. के अधीन असमायोजित शेष के प्रमाणित विवरण का कुल योग उनके मासिक लेखे में दर्शित असमायोजित शेष के अनुरूप नही था । असहमति की सीमा वास्तविक रूप से 656 लाख रूपये की थी जो कि मासिक लेखे में किए गये प्रदर्शन से कम था ।

कम सं0	प्रमंडल	मार्च 1999 के मासिक लेखा के अनुसार वि.लो.का. अ. के अधीन असमायोजित शेष	मार्च 1999 तक उपलब्ध विवरण	अंतए अधिक (+) कम (-)
		(लाख रूपये में)		
1	पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद	91.29	68.89	(-)
2	शीर्ष कार्य प्रमंडल वीरपुर (अ)	411.90	413.32	(+)1.42
3	तिरहुत नहर प्रमंडल,मुजफ्फरपुर	138.02	133.86	(-)4.16
	कुल	520.57	495.43	(+)1.42(-)26.56

आंकड़ा लेखा परीक्षा द्वारा गणनित किया गया है । प्रमंडल ने दिसम्बर 1980 से जून 1998 के दौरान लेखे में हुई गणितीय अशुद्धि के कारण 244.40 लाख रूपये का आँकड़ा प्रदर्शित किया था ।

इतनी अधिक विसंगति के आलोक में इस शीर्ष के अंतर्गत वसूली के शुद्व राशि की सरकार द्वारा शीघ्र जाँच की आवश्यकता थी ।

(v) कार्य के लिए रखी निधि को अन्य प्रयोजनों के लिए विचलित करने में वि.लो.का.अ. का दुरूपयोग

निधि के विचलन करने के लिए वि.लो. का.अ. का दुरूपयोग	कार्यपालक अभियंता, पूर्वी उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद ने मार्च 1977 से अगस्त 1984 के दौरान सोमारा उप- वितरणी के निर्माण के लिए रखी गयी 28.47 लाख रूपये का विचलन किया एवं सोन भवन के निर्माण के लिए सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी (रकाडा) को अग्रिम दिया । राशि को अनधिकृत रूप से वि.लो.का.अ. के अधीन दर्ज किया गया । बाद में इन अग्रिमों को सोन भवन में अवस्थित ज.स.वि. के विभिन्न कार्यालयों क किराये के विरूद्व समायोजित(मार्च 1992) किया गया । अत: वि.लो.का.अ. के अनधिकृत संचालन के द्वारा कार्य के लिए रखी गयी निधि को अन्य प्रयोजनों के लिए विचलित किया गया था । कार्यपालक अभियंता ने कहा (अक्टूबर 1999 कि उपयुक्त समायोजन सिंचाई आयुक्त के आदेश (अक्टूबर 1991)के तहत किया गया था । तथापि लेखा परीक्षा को ऐसा आदेश नही दर्शाया गया ।

(vi) सिमेंट के भौतिक उपस्थिति के बिना सिमेंट का मूल्य उचंत शीर्ष भंडार में नामित

उचंत शीर्ष भंडार गलत ढंग से नामित	पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद ने कार्य में उपयोग होने वाले सिमेंट की आपूर्ति के लिए प्रोफार्मा विपत्र पर 4 एजेंसियों को 43.29 लाख रूपये की अग्रिम प्रदान की (फरवरी 1989 से मार्च 998) एवं सिमेंट की प्राप्ति लंबित रहने के कारण वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत दर्ज किया । तदनंतर जुलाई 1998 में प्रमंडल ने उसे कार्य में, जिसमें आपूर्त्ति की गयी सिमेंट का पहले ही उपयोग हो चुका था, में नामित करने के बदले दूसरे उचंत शीर्ष भंडार में नामित किया । प्रमंडल ने कहा (दिसम्बर 1998) कि लेखें के सत्यापन के बाद संबंधित कार्य में उस पर उपयोग हुए सिमेंट का मूल्य नामित किया जायेगा । जुलाई 1999 तक यह नही किया गया था। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण (15),राष्ट्रीय उच्च- पथ (3) लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (14),भवन निर्माण (15), ग्रामीण विकास विभाग (5), जल संसाधन विभाग(4),के अन्य 56 प्रमंडलों के संबंध में वि.लो.का.अ. से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच फरवरी से जून 1999 के दौरान की गयी और यह पाया गया कि परिशिष्ट XXVI के विवरण के अनुसार जनवरी 1952 तथा मार्च 1999 के बीच वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत 36.98 करोड़ रूपया अनधिकृत रूप से नामित किया गया था । इन प्रमंडलों में अभिलेखों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 1952 से मार्च 1999 के दौरान वि.लो. का.अ. के अंतर्गत दर्ज राशि सामग्रियों की अप्राप्ति (12.75 करोड़ रूपये), बिना आकलन के कार्य का क्रियान्वयन (2.29 करोड रूपये),निधि के प्रावधान के बिना व्यय (5.31 करोड़ रूपये) तथा अन्य कारण जैसे स्थल निरीक्षण, सत्यापन, स्पष्टीकरण एवं जाँच मापी इत्यादि (16.63 करोड रूपये)से संबंधित थी । 16.63 करोड़ रूपये में से 4 प्रमंडलों (लो.स्वा. गया-यांत्रिकी, जमशेदपुर, शेखपुरा तथा भवन निर्माण प्रमंडल, गया) में 1.76 करोड़ रूपये के व्यय का विवरण अभिलेखित नही था । बकाये, 36.98 करोड़ रूपये की लंबित राशि में से 7.88 करोड़ रूपये स्थानांतरित कर्मियों तथा 1.76 करोड़ रूपये उन कर्मियों के विरूद्व, जो सेवानिवृत हो चुके थे, बकाये थे ।

निष्कर्ष

अन्य विभागों के 56 प्रमंडलों में वि.लो.का.अ. का समान दुरूपयोग

विभिन्न प्रमंडलों में 47 वर्षो तक समायोजन/ वसूली के लिए विलंवित रही वि.ला.को.अ. के अतर्गत दर्ज 5004 करोड़ रूपये की राशि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न अनियमितताओं को ढ़कने के लिए वि.लो.का.अ. का व्यापक दुरूपयोग दर्शाती थी । इसने सरकारी निधि की क्षति एवं दुंर्विनियोजन की संभावनाओं को जन्म दिया । शीर्ष के अन्तर्गत वृहत राशियों का अधिक अवधि तक लंबित रहना जिम्मेवारी का अभाव, नियमों का उल्लंधन तथा प्रमंडलीय पदाधिकरियों, नियंत्री पदाधिकारियों तथा विभागीय निरीक्षण पदाधिकारियों की विफलता का परिणाम था।

अनुशंसाएँ

1.सिंचाई आयुक्त एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को कमश: विभाग के प्रधान एवं नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते सुनिश्चित करना चाहिए कि वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत दर्ज लेन देन का विस्तृत लेखा प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा समयबद्व तरीके से संबंधित अभिश्रवों के संदर्भ के साथ संग्रहित हो ।

2.विभिन्न कार्यरत/ सेवानिवृत पदाधिकारियों/ आपूत्तिकर्त्ताओं को निर्गत असमायोजित राशि की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए । इसकी असफलता पर राशि की वसूली उन अधिकारियों से की जानी चाहिए जिन्होंने अग्रिमें दी थी तथा अनियमित रूप से इसे वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत दर्ज कर दिया था तथा वसूली का प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजना था ।

3. वि.लो.का.अ. उपशीर्ष का संचालन वि.लो.का.अ. संहिता के नियम 382 में प्राधिकृत लेनदेन के अतिरिक्त नहीं करना चाहिए तथा मुख्य अभियतों एवं अधीक्षण अभियताओं के द्वारा गहन निगरानी के जरिये इसे रोका जाना चाहिए।

4.उन्हें वि.लो.का.अ. के अन्तर्गत दर्ज लेन-देन से संबंधित धन एवं सामग्रियों के संभावित दुर्विनियोजन की भी जाँच करनी चाहिए ।

मामले सरकार को संदर्भित किये गये (जुलाई 1999) थे: उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1999)

सी0ए0जी0 पारा-4.17 वर्ष 1998-99 (सिविल) का उत्तर

मुख्य अभियंता, दरभंगा, सिवान, वीरपुर, मुजफफरपुर, एवं औरंगाबाद को अस्थायी अग्रिम/ मिसलेनियस पी0डब्लू0डी0 अग्रिम के समायोजन के लिए निदेश दियागया है ।

2. वैसे अस्थायी अग्रिम के समायोजन मे कुछ कार्रवाई की गयी है, जैसे पूरे बिहार मे प्रमंडलों में 14.54 करोड़ रू0 अस्थायी अग्रिम 31.3.99 तक लम्बित थे, जो कि 31.3.2001 तक घटकर 9.12 करोड़ हो गया है ।

3. पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद में अस्थायी अग्रिम 9.10 लाख रू0 से घटकर 1.19 लाख रू0 हो गया है ।

4. पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल दरभंगा मे अस्थायी अग्रिम 21.57 लाख रू0 से घटकर 0.03 लाख हो गया है ।

5 इस सम्बन्ध में निर्गत किये गये निदेश की प्रति संलग्न है ।

पत्रांक -19/ सी0ए0जी-13/2001 1862

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय:- सी0 ए0 जी0 पारा-4.17 वर्ष 1998-99 मिसलेनियस पी0 डब्लू0 डी0 अग्रिम एवं अस्थायी अग्रिम के सम्बन्ध में ।

महाशय,

यदि किसी कार्य को करवाने के लिए अस्थायी अग्रिम देना यदि आवश्यक है तो उसका समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है । इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाय । इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्र संख्या -20/बी.सी.एफ.-10/2000-100 दिनांक 7.6.000(संलग्न)द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था, जिसका अवलोकन किया जाय ।

2. मिसलेनियस पी0डब्लू0डी0 अग्रिम में राशि बिहार पी0डब्लू0डी0 एकाउन्ट के रूल-387 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र समायोजन कर देना है । लेकिन ऐसा नही हो रहा है । इस सम्बन्ध में गहण निगरानी की जरूरत है ।

3. अतः अनुरोध है कि इसके समायोजन की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(अमरेन्द्र कमार सिंह)
विशेष सचिव

पत्रांक -20/बी.सी.एफ.-10/2000-100
बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्रीमती राधा सिंह,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता

पटना, दिनांक -7.6.2000

विषय:- अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समायोजन ।

महाशय,

देखा गया है कि विभागीय कार्यो के कार्यान्वयन मे वित्तीय नियमावली, लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण लेखासंहिता एवंकोषागार संहिता में वर्णितनियमों केअतिरिक्त समय-समय पर दिये गये सरकारी आदेशों पर भी अनेक पदाधिकारियों द्वारा इन नियमों का पालन नही होता है ।इससे विषम वित्तीय स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है ।

अतः सभी पदाधिकारियों का ध्यान निम्नलिखित आदेशों पर पुनः आकृष्ट किया जाता है:-

(i) अस्थायी अग्रिम लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम-100 के अनुसार दिया जायगा, परन्तु द्वितीय अग्रिम तभी दिया जाय, जब पूर्व अग्रिम का लेखा समर्पित कर दिया गया हो ।

(ii) किसी भी कर्मचारी/ पदाधिकारी को किसी माह के दिये गये अग्रिम का लेखा उनके द्वारा एक मास के अन्दर अवश्य समर्पित होना चाहिए और कार्यपालक अभियंता द्वारा उसके सामंजन अथवा उनपर लिये गये निर्णय अगले 15 दिनों तक उन्हें सूचित किया जाना चाहिए । जबतक यह प्रकिया पूरी नही हो जाती है, सम्बद्व कर्मचारी को कोई अन्य अग्रिम नही दिया जायेगा ।

(ii) हर हालत में किसी सभी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी अस्थायी अग्रिम की राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष मे 31 मार्च तक हो जाना चाहिए ।यदि किसी कारणवश 31 मार्च तक समायोजन नही हो पाता है, तो उक्त अस्थायी अग्रिम की रकम की वसूली तत्काल कर ली जाए और किसी भी परिस्थिति मे 31 मार्च को अवर प्रमंडल एवं प्रमंडलीय कार्यालय के रोकड़ बही मे शेष शून्य किया जाए ।

अस्थायी अग्रिम की राशि से संबंधित प्रमाणकों को जनकार्य विविध (मिसलेनियस पी.डब्लू एंडभांस)में रखकर पारित नही किया जाए । यदि किसी कारणवश समायोजन/ वसूली नही हो पाती है और पदाधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो इसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) मे अंकित करने हेतु कोषागार को लिखा जाए या अपने स्तर से निर्गत किये जानेवाले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में अंकित किया जाए तथा स्थानान्तरित स्थान पर तत्क्षण सूचना दे दी जाय ।यदि कटौती हो जाती है, तो अपने कैश बुक में अग्रिम शून्य कर दिया जाए ।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नही होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल को होगी ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(राधा सिंह)
आयुक्त एवं सचिव

पत्रांक -19/ सी0ए0जी-13/2001 1869

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियता,
जल संसाधन विभाग,
औरंगाबाद/वीरपुर/दरभगा/मजफ्फरपुर/सिवानर ।

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय:- सी0 ए0 जी0 पारा-4.17 वर्ष 1998-99 (सिविल)

महाशय,

सूची संलग्न है, जिसमें 5 प्रमंडलों का नाम है । इस सूची का अवलोकन किया जाय।

2- उपरोक्त पाँचो प्रमंडलों में मिसलेनियस पी0डब्लू0डी0 अग्रिम एवं अस्थायी अग्रिम का समायोजन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई अपने सीधे पर्यवेक्षण में अविलम्ब कराया जाय ।

3- इन 5 प्रमंडलों में जो अग्रिम सूची मे अंकित है, उसके सम्बन्ध में इस कंडिका में 6 आँबजर्बेसन्स है, वह भी अवलोकन हेतु संलग्न है ।

अनु : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अमरेन्द्र कुमार सिह)

विशेष सचिव

समिति का निशकर्ष एवं सिफारिश

विभाग इन अग्रिमों के समायोजन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करें । इस निदेश के साथ समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिका-4.21-

4.21- अधूरे कार्य पर निष्फल व्ययः

कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर ने कार्यालय भवन, कर्मी एवं अधिकारी आवास, भंडार के लिए गोदाम तथा चाहरदिवारी के निर्माण जून 1987 तथा जनवरी 1989 तक पूरा करने के लिए 13 संवेदकों के

साथ 77.25 लाख रूपये की आकलित लागत पर 23 अनुबंधों (वर्ष 1986 87:6 संख्या, वर्ष 1987-88:12 संख्या, वर्ष 1988-89:5 संख्या) का क्रियान्वयन किया । संवेदकों ने 25.34 लाख रूपये (जून 1989 में भुगतित) के आंशिक कार्य (केवल 7 से 51 प्रतिशत) का क्रियान्वयन किया एवं कार्य बंद कर दिया । ये कार्य 10 वर्षो से परित्यक्त पड़े है तथा समय बीतने एवं मौसम की मार से इन्हें क्षति पहुँची है ।

लेखा परीक्षासंवीक्षा (दिसम्बर 1998) से प्रकट हुआ कि कार्यपालक अभियंता के बिना कार्य की भौतिक प्रगति पर नजर रखे तथा कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किये बगैर वर्ष 1986-87 से 1988-89 के 3 वर्षो में एजेंसी के साथ 23 अनुबंध किये । उन्होंने क्रियान्वयन में चूक के लिए दंड की वसूली तथा जमानत जमा को जब्त करने के लिए अनुबंध की दंड धारा को लागू नही किया तथा चूककर्त्ता संवेदक के जोखिम एवं लागत पर दूसरे संवेदक द्वारा कार्य नही कराया । का0अ0 ने कहा कि निधि के अभाव के कारण कार्य अधूरा रहा । कथन स्वीकार्य नही था क्योंकि मुख्यालय द्वारा कार्य के क्रियान्वयन के लिए 3.81 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया था ।

अत: कार्यपालक अभियंता ने बिना समुचित योजना के कार्य शुरू किया तथा कार्य के लिए उपलब्ध निधि के उपयोग में वे विफल रहे । उनकी विफलता का परिणाम अधूरे निर्माण पर 25.34 लाख रूपये का निष्फल व्यय निकला ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (मई 1999), उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1999) ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

वर्ष 1986-87 में उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर शिविर-औरंगाबाद के क्षेत्राधीन मदनपुर प्रमंडलीय शिविर में निम्नलिखित कार्यो के लिए एकरारनामा किया गया था, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या एवं तिथि	एकरारनामा की राशि
1	उ0को0न0 प्रमं0, शिविर-मदनपुर स्थित 160X40 का अस्थायी ट्रीवलर गोदाम का निर्माण कार्य	22 एफ2/86-87	1,46,322.50
2	प्रमंडलीय कोलनी मदनपुर में चार दीवारी का निर्माण कार्य	23एफ2/86-87	1,75,562.68
3	- वही- (ग्रुप सं0-11)	24/एफ2/ 86-87	2,49,884.39
4	डी-टाईप भवन का निर्माण कार्य	25एफ2/ 86-87	4,05,172.91
5	- वही- (ग्रुप संख्या-9)	26एफ2/86-87	4,01,601.92
6	प्रमंडलीय शिविर मदनपुर के चार दीवारी के निर्माण कार्य	27एफ2/ 86-87	2.49.805.39
7	उ0को0 मदनपुर प्रमंडलीय शिविर के चार दीवारी निर्माण कार्य (ग्रुप स0-15)	1एफ2/ 87-88	2,76,061.50
8	उ0को0 प्रमंडलीय शिविर के सी.टाईप भवन का निर्माण कार्य 2एफ2/ 87-88	2एफ2/ 87-88	2,09,278.00
9	उ0को0 मदनपुर के अन्तर्गत "ई" टाईप भवन का निर्माण कार्य	3एफ2/ 87-88	1,89,278.33
10	उ0को0 मदनपुर के अन्तर्गत "ई" टाईप भवन का निर्माण कार्य	4एफ2/ 87-88	1,00,076.57
11	मदनपुर प्रमं0 में एफ टाईप भवन का निर्माण कार्य	13एफ2/ 87-88	3,34,733.00
12	मदनपुर शिविर में डी शक्लका भवन निर्माण कार्य (ग्रुप सं0-8)	25एफ2/ 87-88	4,26,647.84
13	- वही- में इ शक्ल का भवन निर्माण कार्य	27/एफ2/ 87-88	3,93,581.02

	(टवीन सिंगल स्टोरी)		
14	मदनपुर प्रमं0 में डी टाईप भवन का निर्माण कार्य	28एफ2/ 87-88	4,43,345.10
15	मदनपुर प्रमं0 शिविर के अन्तर्गत सी. टाईप स्थायी भवन (4 सं0) का निर्माण कार्य	50एफ2/ 87-88	11,91,824.00
16	मदनपुर शिविर के अन्तर्गत प्रमंडलीय एवं अवर प्रमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	52एफ2/ 87-88	3,33,168.10
17	मदनपुर प्रमंडलीय शिविर के चार दिवारी का निर्माण कार्य	54एफ2/ 87-88	2,55,058.00
18	मदनपुर प्रमंडलीय शिविर के अन्तर्गत डी. टाईप स्थायी भवन का निर्माण कार्य	6एफ2/ 88-89	4,01,601.92
19	- वही- ई- टाईप स्थायी भवन का निर्माण कार्य	7एफ2/ 88-89	3,50,000.00
20	- ई. टाईप स्थायी भवन का निर्माण कार्य (ग्रुप संख्या-8)	8एफ2/ 88-89	3,50,000.00
21	- वही- एफ टाईप (4 यूनिट) भवन का निर्माण कार्य	9एफ2/ 88-89	3,09,157.56
22	मदनपुर प्रमंडलीय शिविर के अन्तर्गत भवन का निर्माण कार्य	11एफ2/ 88-89	3,28,750.96

वर्ष 1986-87 के बाद उत्तर कोयल नहर परियोजा के अन्तर्गत निधि की कमी के कारण नहर एवं नहर संरचनाओं के कार्य को प्राथमिकता देकर कराया गया । वर्ष 86-87 में मदनपुर शिविर के अन्तर्गत कार्यालय भवन एवं आवासीय शिविर के निर्माण हेतु प्रर्याप्त निधि उपलब्ध नही हो सकने के कारण भवनों का निर्माण अधूरा रह गया । वर्ष 86-87 से वर्ष 1989-90 तक योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के लिए किए गए एकरारनामा की राशि 704.634 लाख रूपये के एकरारनामा के विरूद्ध उपलब्ध आवंटन 512.81 लाख रूपये थे जो प्रर्याप्त नही था । संसाधनों की कमी के कारण प्राथमिकता के आधार पर नहर एवं नहर संरचाओं का कार्य कराया गयां मदनपुर शिविर के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु निधि की व्यवस्था होने पर इन अधूरे कार्य को पूरा कराया जाना संभव होगा । अतः पूर्व में उन पर किए गए व्यय को निष्फल नही कहा जा सकता है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश:
विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

कंडिका- 4.22- निष्फल व्यय: 11.56 लाख रूपये:
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल ने बाँध सील, चांडिल में अस्थायी "ई" टाईप आवास के 10 खंडों के निर्माण के लिए एक एजेंसी के साथ 15.76 लाख रूपये (अनुसूची दर : 14.35 लाख रूपये से 9.77 प्रतिशत अधिक) पर एक अनुबंध का क्रियान्वयन किया (जनवरी 1989) । कार्य शुरू करने का कार्यादेश 4 जनवरी 1989 को निर्गत हुआ तथा अनुबंध के अनुसार कार्य को छः माह (3 जुलाई 1989 तक) के भीतर पूरा करना था । सामग्रियों एवं निधि के आवंटन के अभाव के कारण कार्य पूरा ही किया जा सका । तथापि एजेंसी मार्च 1990 तक कार्य के 73.35 प्रतिशत का क्रियान्वयन करा सका जिसके लिए किये गये कार्य के कुल मूल्य के लिए 11.56 लाख रूपये का भुगतान (दिसम्बर 1990) हुआ था ।
लेखा परीक्षा संवीक्षा (अगस्त 1997) से प्रकट हुआ कि एजेंसी को कार्य जनवरी 1989 में प्रदान किया गया जबकि विश्व बैंक से परियोजना को पोषित करने की शर्त समाप्त होने के कगार पर थी तथा अंततः यह अप्रील 1989 में समाप्त हो गयी । यद्यपि अधीक्षण अभियंता द्वारा 30 जून 1990 तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया गया,

विभाग कार्य पूरा कराने में विफल रहा । अन्ततः अधीक्षण अभियंता ने निधि के अभाव में कार्य को बन्द करने के लिए आदेश (नवम्बर 1990) निर्गत किया । 9 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य पुनः शुरू नही किया गया था (जनवरी 1999) तथा कार्य को पूरा करने की कोई संभावना दृष्टिगोचर नही थी ।
अतः विश्व बैंक से पोषित होने की शर्त के समाप्त होने के कगार पर कार्य शुरू करने का विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को 11.56 लाख रूपये का निष्फल व्यय करना पड़ा ।
ममला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1999), उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1999) ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

1. चांडिल स्थित दाँया तट शिविर में ''ई'' आकार के 10 ब्लॉक अस्थायी भवन के निर्माण का कार्य वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ किया गया ।

2. इस प्रकार परियोजना में समावेशित भवनों को पूरा करने के उद्देश्य से ही उपर्युक्त 10 अदद अस्थायी भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था क्योंकि आशा थी कि योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य की निरंतरता बनी रहेगी । परन्तु निधि के अभाव में नवम्बर 1990 से इस अस्थायी भवनों का निर्माण कार्य रोकने का निर्णय लिया गया । चांडिल बाँध का कार्य राज्य योजना मद से 1998-99 से पुनः प्रारम्भ किया गया है जो प्रगति में है ।

3. विदित हो कि अस्थायी भवनों का निर्माण परियोजना के निर्माण अवधि के लिए निर्माण में संलग्न कर्मियों को आवासन की सुविधा प्रदान करने के लिए की जाती है । योजना निर्माण समाप्त होते ही अस्थायी भवनों की उपयोगिता समाप्त समझी जाती है एवं तत्पश्चात् अस्थायी भवनों में लगी सामग्रियों को निकालकर आवश्यकतानुसार इनका अन्य कार्यो में उपयोग किया जाता है ।

4. निर्माणाधीन अस्थायी भवन (समीक्षाँन्तर्गत) के निर्माण पूरा होने के पूर्व दाँये शिविर में कुल 81 अदद स्थायी आवासीय एवं 10 अदद स्थायी गैर आवासीय तथा 322 अदद अस्थायी आवासीय एवं 64 अदद अस्थायी और आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका था ।

5. उपरोक्त कार्य संवेदक मे0 कपिलदेव सिंह को वर्ष 1988-89 में आवंटित की गयी थी । कार्य की समाप्ति की तिथि 3.7.89 थी । कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल द्वारा प्रथम समय वृद्धि दिनांक 31.12.89 तक दी गयी ।इसका कारण मजदूरों की समस्या एवं भारी वर्षा होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूरा नही किया जा सका । द्वितीय समय वृद्धि अधीक्षण अभियंता, बाँध अंचल, चांडिल द्वारा सरकारी निर्माण सामग्रियों की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 30.6.90 तक प्रदान की गयी ।

6. चांडिल में कार्यरत बाँध प्रमंडल सं0-1, पुर्नवास एवं भू-अर्जन के कार्यालय स्थानान्तरित हो चुके हें तथा लघु वितरणी प्रमंडल सं0-16, जमशेदपुर में अवस्थित है । इस प्रकार वर्तमान में विभिन्न कार्यालयों के स्थानान्तरण एवं कार्य समाप्त हो जाने की स्थिति में क्षतिग्रस्त अवशेष भवनों के निमाण की आवश्यकता नही रह गयी है ।

7. उपरोक्त 10 अदद अस्थायी अधूरे भवनों मे प्राप्त होने वाली सामग्रियों का मूल्यांकण किया गया है जो रूपये 3,99,821/- आता है, परन्तु ईट कार्य को तोड़कर ईट निकालने में लगभग रू0 67178/-व्यय होगा । इस प्रकार कुल रू0 3,32,643/- की सामग्री प्राप्त की जा सकती है ।

8. उपरोक्त स्थिति में कंडिका के विलोपन पर विचार किया जा सकता है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:-

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका 5.6 -1998-99(सिविल) का उत्तर

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 98-99 (सिविल) की कंडिका 5.6

कंडिका 5.6

जल संसाधन विभाग में भंडार प्रबंधन :

मई जुलाई 1999 के बीच जल संसाधन विभाग में भंडार प्रबंधन की लेखा- परीक्षा में समीक्षा वर्ष 1988 -89 की अवधि से संबंधित 38 जल पथ / सिंचाई / बाढ़ सुरक्षा / यांत्रिक प्रमण्डलों के भंडार एवं समाग्री लेखे तथा अभियंता प्रमुख , निदेशक कय एवं परिवहन, बिहार पटना, 6 मुख्य अभियंता के अभिलेखों के नमुना जाँच द्वारा की गई थी तथा पाये गये बिन्दुएँ निम्नलिखित थे :

कंडिका 5.6.1 बजटीय व्यवस्था :

जल संसाधन विभाग ने योजनाओं के कार्य के लिए कार्य की प्रशासनिक मंजूरी तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा वार्षिक परिव्यय के अनुमोदन के आधार पर बजट आकलन तैयार किया । हालांकि भंडारों की अधिप्राप्ती के लिए निधि का कोई विशिप्ट आबंटन नही किया गया था । विभाग द्वारा कार्यो के कार्यान्वयन हेतु आबंटित निधियों को प्रमण्डलों द्वारा कार्यो तथा भंडारों की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार विभाजित किया गया था ।

कंडिका 5.6.2 भंडार सूची नियंत्रण प्रकिया अकार्यशील

यह पाया गया कि विभाग में भंडार सूची नियंत्रण प्रकिया अकार्यशील थी, जैसा कि नीचे विवर्णित है ।

(क) जैसा कि नियामों के अन्तगर्त अपेक्षित है, कार्यपालक अभियंता या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमण्डलों तथा अवर प्रमण्डलों एवं कार्यास्थल पर भंडारों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना था । इसका निर्वहन नियमित रूप में नही किया गया था । ऐसा सत्यापन 2 से 3 वर्षो में किया गया था । परिणामत: प्रमण्डलों द्वारा प्रत्येक भंडारों की कमी तथा अधिकय का पता नही लगा था जैसा कि नियमत: अपेक्षित था ।

(ख) नमूना - जाँचित किसी भी प्रमण्डल के लिए मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यकता के अनुसार सामग्री की अधिकतम एवं न्यूनतम संचित 22 प्रमण्डलो में मार्च 1999 तक भंडार का अनावश्यक कब तथा 5.46 करोड़ रूपये मूल्य के निष्किय भंडार का वर्षो से जमाव हुआ । उनमें से अकेले 3 प्रमण्डलों (दुर्गावती दायी तट नहर प्रमण्डल, सासाराम, गंगा पंप नहर, प्रमण्डल , कहलगाँव यांका, जलमार्ग प्रमण्डल सं-1 चकधरपुर) में निष्किय भंडारों का मूल्य 263 करोड़ रूपये था ।

(ग) नियमों की अवहेलना करते हुये नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में भंडारों का समेकित लेखा तथा भंडारों के मुल्य लेखा का संधारण नही किया गया था । परिणाम स्वरूप विभाग के लिये भंडार के कय, निर्गमन तथा निपटारा की स्पप्ट सम्पूर्ण स्थिति उपलब्ध नही थी ।

(घ) किसी भी नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में कार्यपालक अभियंता द्वारा वर्ष 1988-99 के दौरान निर्गमन दरों के बदलाव के कारण हुये आधिक्य / कमी का निर्धारण तथा कार्य पर सामग्रियों का वास्तविक मूल्य पारित करना ताकि कार्य का लागत लेखे में कम दिखाया न गया हो, हेतु भंडार का अर्द्धवार्षिक लेखा की समीक्षा नही की गई थी ।

(ड़) मासिक स्थल लेखा, जिसे कनीय अभियंताओं द्वारा हर महीने समर्पित किया जाता था, 6 से 12 महीनों के बाद समर्पित किया गया था । और कुछ मामलों में कभी भी समर्पित नही किया गया था । परिणामरूवरूप नमूना- जाँचित 19 प्रमण्डलों में कार्यस्थल पर भंडार के शेष / कार्यो में भंडार की कमी / आधिक्य / उपयोगिता का पता प्रमंडलीय अधिकारियों द्वारा नही महत्वपूर्ण लेखों के अनुपालन हेतु कोई कदम उठाया था ।

5.6.3 भंडार की अधिप्राप्ति

अधीक्षण अभियंताओं / क्षेत्रीय मुख्य अभियंतओं / अभियंता-प्रमुखों के माध्यम से आया हुआ भंडार हेतु कार्यपालक अभियंताओं के मांगपत्र के आधार पर भंडार का वार्षिक अधिप्राप्ति का प्रबंध कय एवं परिवहन के निदेशक, ज.सं. वि. पटना, करते थे । वे केनद्रीय कय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर निविदा आमंत्रित करने के बाद ही कय करते थे । हाँलाकि अति आवश्यक होने पर मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता भी अपने प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्यपालक अभियंताओं के माँगपत्रों के आधार पर सामग्रियों की अधिप्राप्ति कर सकते थे ।

5.6.3.1 डी.जी.एस. एवं डी. दर अनुबंध के अन्तर्गत सामग्रियों की अधिप्राप्ति

वर्ष 1985 -86 से 1995-96 से संबंधित विभिन्न प्रमण्डलों की प्रधान महालेखाकर द्वारा निर्गत 9.69 करोड़ रूपये के डी.जी.एस. एवं डी के माध्यम से कय किये भंडारों के डेबिट एडवाइस लेखों में समायोजन हेतु लम्बित थे । इसमें से 3.74 करोड़ रूपये के डेबिट एडवाइस नमूना-जाँचित 14 प्रमण्डलों में समायोजन हेतु लम्बित पड़े थे । परिणामस्वरूप संबंधित कार्यो की लागत उस हद तक निम्न भारित पड़ी थी । यह भी साक्ष्य था कि सामाग्रियों की अधिप्राप्ति बजट प्रावधान के बगैर ही की गई थी ।

5.6.3.2 अत्यधिक भंडारों का अधिग्रहण : 22.74 करोड़ रूपये

वित्तीय नियमावली प्रावधनित करता था कि भंडारों का कय कार्यो में शीध्र उपयोग किए जाने हेतु ही होना चाहिए ताकि अधिक भंडारण एवं भंडारों की निष्कियता से बचा जा सके । इसकी अवेहलना में वर्ष 1987 से 1993 के दौरान स्टील ऑथरिटी ऑफ इण्डिया (सेल) तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) से विभिन्न कार्य प्रमण्डलों हेतु 22.74 करोड़ रूपये मूल्य के भंडार सामग्री (एम.एस.छड) की अत्यधिक अधिप्राप्ति की गई थी । यह भंडार मार्च 1999 तक लगभग 5 से 6 वर्षो तक अवयवहत पड़ा रहा । नमूना- जाँचित प्रमण्डलों के कार्यापलक अभियंताओं ने बताया (मई से जुलाई 1999) कि निधि की कमी के कारण कार्य का कार्यन्वयन रोक देना पड़ा था तथा सामग्रियों का अब नये कार्यो में उपयोग किया जा रहा है । यह संसूचित करता था कि प्रमण्डलों ने आवश्यकता से अत्यधिक सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए निधियों का उपयोग किया था ।

5.6.3.3 एम.एस.छड़ का अनुचित अधिप्राप्ति : 6.06 करोड़ रूपये

निदेशक, कय एवं परिवहन, बिहार, पटना ने 3 प्रमण्डलों को आपूर्ति हेतु 6.06 करोड़ रूपये मूल्य के विभिन्न व्यास वाले 4631 टन एम.एस.छड़ के लिये फर्मो (सेल तथा टिस्को) को आदेशित (दिसम्बर 1998) किया जबकि इसी व्यास के 20206.60 टन एम.एस.छड़ विभिन्न विभागीय भंडारों से पहले से ही उपलब्ध थे । अत: निदेशक इस कय के लिये निर्णय लेते समय विभिन्न प्रमण्डलों में एम.एस.छड़ों की उपलब्धता पर ध्यान देने मे विफल रहे तथा 6.06 करोड़ रूपये को परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया एम.एस.छड़ की समग्र मात्रा अगस्त 1999 तक भंडार में अव्यवहत पड़ी थी ।

5.6.3.4 अनसूचित / असमायोजित अग्रिम भुगतान एवं व्याज की हानि : 1.10 करोड़ रूपये

निदेशक, कय एवं परिवहन बिहार, पटना के कय आदेशों के विरूद्व सीमेंट तथा एम.एस.छड़ की आपूर्ति हेतु विभिन्न कम्पनियों / अभिकरणों को वर्ष 1989-7 के दौरान 10 प्रमण्डलों द्वारा 391 करोड़ रूपये का अग्रिम जुलाई 1999

तक असमायोजित / अवसूलित पड़े थे । असमायोजित / हानि हुई तथा कम्पनियों का अदेय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ।

5.6.4 भंडारों का स्थानान्तरण एवं निर्गमन

5.6.4.1 सामग्रियों के अन्तप्रमण्डलीय स्थानान्तरण के लागत की वसूली नही : 3.45 करोड़ रूपयें

सामग्रियां के अनुदेशों (दिसम्बर 1983) के अनुसार एक प्रमण्डल / विभाग से दूसरे में सामग्रियों का स्थानान्तरण उनकी पूरी लागत की प्राप्ति पर ही करना था । वर्ष 1987- 99 के दौरान 16 प्रमण्डलों में 3.45 करोड़ रूपये मूल्य के सीमेन्ट, एम.एस.छड़ इत्यादि का स्थानांतरण दूसरे प्रमण्डलों में जुलाई 1999 तक बिना उनकी लागत की प्राप्ति के ही कर दिया गया था ।

5.6.4.2 अतिरिक्त निधि का सृजन : 2.13 करोड़ रूपये

नमूना-जाँचित 2 प्रमण्डलों के अभिलेखों की समीक्षा से प्रकटित हुआ कि अन्य प्रमण्डलों को स्थानान्तरित 17.21 लाख रूपये मूल्य के सामग्रियों का विकय- आगम, जो वर्ष 1989-90 से 1998-99 के दौरान प्राप्त हुये थे को सरकारी खाते में जमा करने बजाय पब्लिक बर्क्स डियोजिट में रखा गया था । जमुनिया पंप नहर प्रमण्डल , रामगढ़ ने वर्ष 1991-92 से 1998-99 के दौरान अन्य प्रमण्डलों से स्थानान्तरण पर 2.56 करोड़ रूपये की सामग्रियों (लौह छड़ एवं सीमेन्ट), संबंधित प्रमण्डलों को उनके लागत के भुगतान के बगैर ही अधिप्राप्त किया । अतः प्रमण्डल ने कार्य के कार्यान्वियन के लिए निधियों के आवंटन के अतिरिक्त 2.56 करोड़ रूपये के सामग्रियों की अधिप्राप्ति की लागत के लिये संबंधित प्रमण्डलों को भुगतान नही किया गया था । यह राशि जमुनिया पंप नहर प्रमण्डल रामगढ़ के खाते में दर्शायी नही गयी थी ।

5.6.4.3 संवेदकों से सामग्रियों की लागत की वसूली नही किया जाना : 28.89 लाख रूपये

नमूना-जाँचित किसी भी प्रमण्डलों द्वारा संवेदक खाता का संधारण उचित रूप से नही किया जा रहा था । परिणाम स्वरूप वर्ष 1986-93 के दौरान 2 प्रमण्डलों के 18 संवेदकों को निर्गत सामग्रियों की लागत जून 1999 तक अवसूलित पड़ी थी ।

5.6.5 भंडार की हानि : 4.88 करोड़ रूपये

(i) वर्ष 1992 से वर्ष 1998 के बीच 4 प्रमण्डलों में किये गये भंडार के भौतिक सत्यापन के परिणाम स्वरूप कार्यपालक अभियंताओं द्वारा 29.44 लाख रूपये मूल्य के भंडार (एम.एस.छड़ सीमेन्ट, इत्यादि) की कमी पायी गयी थी जुलाई 1999 तक हानि को पूरा करने हेतु कमी के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण नही किया गया था ।

(ii) 14 प्रमण्डलों में वर्ष 1992 से वर्ष 1996 के दौरान स्थानान्तरण पर 46 कनीय अभियंता 4.47 करोड़ रूपये मूल्य के भंडारों (सीमेन्ट एम.एस.छड़ इत्यादि) का प्रभार सौंपे बगैर ही विरमित हो गये थे (विवरणी परिशिष्ट XXX पर) तथा राशि जुलाई 1999 तक अवसूलित पड़ी थी । चूँकि विभिन्न स्थलों पर पड़े भंडारों की भंडार सूची कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार नही की गयी थी , हानि हुये सामग्रियों की मात्रा उनके क्षर सुनिश्चित नही की गयी थी ।

इसी प्रकार केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल के एक कनीय अभियंता भी भंडार का प्रभार दिये बगैर विरमित (मई 1997) हो गये थे भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 1987) के उपरान्त कनीय अभियंता के स्थल लेखे में 5.29 लाख रूपये मूल्य के अलकतरे तथा 2.01 लाख रूपये मूल्य की अन्य सामग्रियों की कमी का पता चला । फिर अंचल पदाधिकारी चाँडिल द्वारा गोदाम के ताले को तोड़कर भंडार की एक भंडार सूची तैयार (जूलाई 1999) की गयी थी,जिसमें 2.41 लाख रूपये की सामग्री कम पाई गई थी । अतः कुल कमी की राशि 9.71 लाख रूपये

थी कनीय अभियंता को नौकरी से हटा दिया गया, जैसा प्रतिवेदित था तथा सामग्रियों की लागत की वसूली मार्च 1999 तक नही की गई थी । मामला जाँच के अधीन था (मार्च 1999)

कार्यपालक अभियंताओं का यह नियमित व्यवहार हो गया था कि वे कनीय अभियंताओं को स्थानान्तरण पर उनके द्वारा रखे गये भंडारों का प्रभार सुनिश्चित एवं भंडारों की अभियंता के इस भूल को लेखा-परीक्षा में निरंतर इंगित किया जा रहा था ।

(iii) निर्मली स्थित पश्चिमी कोशी प्रमण्डल पिपरी के अन्तर्गत अवर प्रमण्डल संख्या 4 के लौकही प्रशाखा में इंडियन ऑयल कॉपरेशन (आई0ओ0सी0) कलकत्ता से प्राप्त (फरवरी 1990) 1.13 लाख रूपये मूल्य के 25.462 टन अलकतरे का कम लेखांकन किया गया था । कमी हेतु उत्तरदायितव का निर्धारण मार्च 1999 तक नही किया गया था ।

इसी तर जलमार्ग प्रमंडल गढ़वा में निदेशक, कय एवं परिवहन , पटना के जुलाई 1989 के कय आदेश के विरूद्व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपरेशन लि0 हल्दिया कलकत्ता, से प्राप्त 0.80 लाख रूपये मूल्य के 19.12 टन अलकतरे का भी कम लेखांकन लिया गया था । मार्च 1999 तक इस कम लेखाकंन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया था ।

5.6.6 नमूना-जाँच के दौरान निम्नानुसार 34.89 लाख रूपये मूल्य के भंडारों का दुविनियोजन पाया गया था:

कम सं.	प्रमंडल	भंडार	मात्रा	मूल्य (लाख रूपये में)	अभियुक्ति
1	जल मार्ग प्रमंडल गुमला	सीमेन्ट	4660 बोरा	3.97	कनीय अभियंता (अतवा भगत) स्थानान्तरित किए: (i) (अप्रील -जूलाई 1991) सीमेन्ट -2 अनय प्रमंडलों (सिमडेगा-1 और बुण्डू) को , उन प्रमंडलो द्वारा इसे प्राप्त नही किया गया था । (ii) (अप्रील 1991 से सितम्बर 1992) उसी प्रमंडल के 2 अन्य अवर प्रमंडलों को , जिसकी प्राप्ति सूचना नही थी ।
2	सिंचाई प्रमंडल, देवधर	एम.एस. बार	69.60 टन	10.09	मुख्य अभियंता , देवधर के आदेश के बिना ही भंडार का स्थानान्तरण (अक्टूबर -नवम्बर 1998) जलमार्ग प्रमंडल मोहनिया के कनीय अभियंता को किया गया ।
3	गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या ।। मुंगेर	एम.एस. बार	90.62 टन	12.29	सिंचाई प्रमंडल, गाढ़ी के एक कनीय अभियंता को भंडार का स्थानान्तरण (अगस्त 19998) किया गया ।
4	दुर्गावती बाँध प्रमंडल संख्या ।।।- चेनारी	अलकतरा	17.95 टन	1.63	अवर प्रमंडल । एवं ।। के 2 कनीय अभियंताओं के भंडार लेखे में भंडार का कम समतुलन (बैलेन्सिंग)
5	वही	वही	95.89 टन	4.03	कनीय अभियंता (भीमराज सिंह), जो दोनो भंडारों का प्रभार रखे थे, द्वारा अवर प्रमंडल संख्या -।। से अवर प्रमंडल संख्या । मे किए गए भंडार के स्थानान्तरण को स्थान लेखा में नहीं

					लिया गया था ।
6	कमला नहर प्रमंडल जय नगर	एम एस बार	6.00 टन	0. 72	एक कनीय अभियंता (भीमराज सिंह), जो दोनो भंडारों का प्रभार रखे थे, द्वारा अवर प्रमंडल संख्या -।। से अवर प्रमंडल संख्या-। में किए गए भंडार के स्थानान्तरण को स्थल लेखा में नहीं लिया गया था ।
7	सिंचाई प्रमंडल संख्या-।। लक्ष्मीपुर शिविर -बांका	सीमेन्ट नालीदार एस्वेस्टर शीट एम एस बार	508 बोरी 1.95 टन 2. 24 टन	1.40	कनीय अभियंता द्वारा दिसम्बर 1994 में अवर प्रमंडल संख्या-।।। के भंडार लेखे में शेष को कम अग्रनीत किया गया था , जिसका पता जुलाई 1999 तक नही चला था ।
8	जलमार्ग प्रमंडल गढ़वा	अलकतरा	18.03 टन	0.76	यांत्रिक अवर प्रमंडल के एक कनीय अभियंता द्वारा अवरा प्रमंडल संख्या - ।।। के कए कनीय अभियंता को अक्टूबर 1985 में किए गए भंडार के स्थानान्तरण को जनवरी 1988 में स्थल लेखे में कम करके लिया गया था । भंडार के भौतिक उपस्थिति का पता नही लगाया गया था ।

5.6.6.1 भंडार की चोरी : 34.74 लाख रूपये

वर्ष 1997 से वर्ष 1998 के दौरान 11 प्रमंडलो में विभिन्न से 34.74 लाख रूपये मूल्य के सीमेन्अ एम एम छड़ इत्यदि की चोरी प्रतिवेदित थी हालाँकि इन सभी मामलों में पुलिस में प्राथमिक दर्ज्ञ की गयी थी पुलिस को कोई सुराग नही मिला एवं बग तक चोरी हुये भंडारों की कोई वसूली नही हुई थी । जून 1988 मे 3.75 लाख रूपये मूल्य के 45.095 टन एम एस छड़ की चोरी के एक मामले के सिवा हानि के उत्तरदयित्व निर्धरण हेतु अभी तक (जुलाई 1999) कोई विभागीय कार्रवाई नही की गयी थी । कनीय अभियंता को , जो हानि के लिये उत्तरदायी पाये गये थे दिसम्बर 1998 में सेवा से विमुक्त कर दिया गया था ।

5.6.6.2 सीमेन्ट का जम जाना : लाख रूपये

वर्ष 1995 से वर्ष 1998 के दौरान 20 प्रमण्डलों में 30.90 लाख रूपये का सीमेंट . निधि की कमी से कार्य में व्यवहत नही होने के कारण जम गया था । हालाँकि संबंधित प्रमंडलों ने विभाग में की और सीमेन्ट की उपयोगिता अथवा समय पर निलामी द्वारा उनके लाभप्रद निपटारा की संभावना को नही तलाशा ।

5.6.6.4 परिवहन के दौरान अलकतरे की हानि : 1.06 लाख रूपये

दुर्गावती दायाँ नहरे अवर सं0-2 चेनारी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 कलकत्ता द्वारा हल्दिया से भेज गये (अगस्त 1989) 37.62 टन थोक अलकतरे के तीन टंकरों में से 1.06 लाख रूपये मूल्य के अलकतरे के 2 टैकरों को अनधिकृत रूप से 17 अगस्त 1989 को एक कनीय अभियंता (भीमराज सिंह) द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः दुर्विनियोजित था । हालाँकि हानि के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जुलाई 1999 तक विभागीय जाँच नही की गई थी ।

5.6.7 निष्क्रिय मशीनरी एवं उपरकरण तथा यांत्रिक काय्रशाला में कर्मियों पर वयर्थ व्यय

तीन यांत्रिकी प्रमण्डलों (बौंसी, डेहरी और राँची) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि निधियों के अभाव में असैनिक प्रमण्डलों में कार्यो के बंद हो जाने के कारण 3 कार्यशालाओं में स्थापित 1.73 करोड़ रूपये मूल्य के मशीन एं उपकरण (बौंसी- 44.70 लाख रूपये डेहरी - 112.75 लाख रूपये तथा राँची - 16.03 लाख रूपये) वर्ष 1993-94 से ही संचालित नही किये गये थे । 269 संचालन कर्मियों (बौंसी -67, डेहरी - 175 तथा राँची -27), जो वर्ष 1993-94 से वर्ष 1998 -99 के दौरान बिना काम के थे बेतन एवं भत्ते पर 4.25 करोड़ रूपये व्यय किये गये थे । इसके अलावे, कार्याालाओं के अकार्यशील थी अवधि के लिए मार्च 1998 तक विद्युत शुल्क के रूप में 24.39 लाख रूपये (राँची - 10.00 लाख रूपये और डेहरी-14.39 लाख रूपये) का भुगतान किया गया था ।

इसी तरह यांत्रिक प्रमंडल , देवधर में भी वर्ष 1993 -99 के दौरान 35 संचालनकर्मी बिना काम के पड़े थे , क्योंकि उस अवधि के दौरान मशीनों इत्यादि के ठप्प हो जाने के कारण कार्यशाला (जिसमें 2.05 करोड़ रूपये मूल्य के मशीनें एवं उपकरण थे) अक्रियाशील थी हालाँकि संचालन कर्मियों जिन्हें इसअवधि के दौरान कोई काम नही था, के वेतन एवं भत्तों पर 87.87 लाख रूपये खर्च किये जा चुके थो ।

5.6.7.1 क्रेटों के लागत की वसूली नही: 15.26 लाख रूपये :

यांत्रिक कार्यशाला हटिया, राँची ने 55.51 लाख रूपये के अग्रिम भुगतानों के विरूद्ध वर्ष 1986-89 के दौरान बख्तियारपुर में स्थित कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा के 70.77 लाख रूपये मूल्य के विभिन्न आकारों के 90315 क्रेटों की आपूर्ति की थी । मार्च 1999 तक क्रेटों की कुल लागत के 15.26 लाख रूपये अवसूलित पड़े थे ।

5.6.7.2 बेकार मशीन उपकरण तथा यंत्र एवं संयंत्र : 7.72 करोड़ रूपया:

मुख्य अभियंता (यांत्रिक), बिहार पटना द्वारा अगस्त 1996 में तैयार किये गये सूची के अनुसार 13 यांत्रिक प्रमंडलों में 4.07 करोड़ रूपये (वजन 4384.40 टन) की लागत पर अधिप्राप्त विभिन्न प्रकारों के 302 मशीन एवं उपकरण बेकार पड़े हुए थे इन मशीनों एवं उपकरणों का मूल्य रद्दी माल के रूप में 2.74 करोड़ रूपये आंका गया था । इनमें से 45 को फरवरी और अप्रील 1997 के बीच 30.21 लाख रूपये के कुल कीमत पर निलाम कर दिया गया हालांकि मुख्य अभियंता द्वारा शेष 257 मशीनों के उपयोगी निपटारा हेतु जुलाई 1999 तक कोई कार्रवाई नही की गई थी ।अन्य 11 असैनिक प्रमंडलों में 4.98 करोड़ रूपये मूल्य के काफी संख्या में यंत्र एवं संयत्र बेकार पड़े थे सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने और निलामी पर बिकी या अपलेखन कर उनका निपटारा करने हेतु जुलाई 1999 तक कोई कार्रवाई शुरू नही की गई थी ।

5.6.8 अनुश्रवण:

यद्यपि अभियंता प्रमुख के कार्यालय में क्षेत्र के कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर प्रतिवेदनों को संकलित करने हेतु एक अनुश्रवण कोष था । फिर भी आपूर्ति आदेशों के परेषिती (कॅन्साइनी) प्रमंडलों द्वारा सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गम के देखभाल हेतु कोई अनुश्रवण व्यवस्था नही था ।भंडार सूची नियंत्रण एवं भंडारों के प्रबन्धन में मुख्य अभियंता के लिए उत्तरदायित्व नही सौंपा गया था । जबकि भंडार के भौतिकी सत्यापन भंडार खाते का उपस्थापन एवं सिमेंट जमने चोरी कमी इत्यादि के कारण हानियों पर आवधिक विवरणियाँ अंचल तथा मुख्य अभियताओं केमाध्यमसे प्रस्तुत किये जाते थे ।

अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप भंडारों का गैर योजनामद अधिकाई अधिप्राप्ति कर्मियों के बार-बार घटित होने के साथ-साथ भंडारों की काफी निष्क्रिता,दुर्विनियोजन एवं हानि हुई जिसके लिए दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई/ कानूनी कार्रवाई नही की गयी थी ।

मामले सरकार को संदंर्भित किये गये थे (अगस्त 1999) उनका उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 1999)

परिशिष्ट- (XXX)

कनीय अभियंताओं द्वारा हस्तान्तरित नही किए गए सामग्रियों का व्यौरा दर्शाती विवरणी ।

संदर्भ : कंडिका 5.6.5(ii) ककक

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम	क.अ. की संख्या	विरमित होने की तिथि	राशि लाख में	स्थानान्तरित नही की गई सामग्रियों का सार
1	जलमार्ग खूटी	1	जून, 1991	3.10	सिमेंट एम.एम. रॉड,वायु संपीडक तथा कम्पित्र
2	सिंचाई बुण्डू	2	सितम्बर,1989, जनवरी,1994	24.86	सिमेंट,एम.एस. रॉड जी.सी.आई. पत्थर
3	जलमार्ग सं0-1,चक्रधरपुर	1	जुलाई,1994	1.22	एम.एस. रॉड तथा शिलाखंड
4	जलमार्ग,गुमला	1	जून,1992	12.92	सीमेंट तथा एम. एस. रॉड
5	सिंचाई, पाकुड	2	जनवरी,1989, जुलाई 1996	3.10	ह्यूम पाईप एम. एस. रॉड साल बल्ला
6	सिंचाई सं0-1,जमुई	4	नवम्बर.1990 मई,1995, मई 1997, मई 1998	18.12	निर्माण सामग्री तथा औजार एवं संयंत्र
7	जलमार्ग,गढ़वा	4	मई, 1995, जून 1996, जुलाई, 1997, अगस्त, 1997	4.12	एम.एस. रॉड शिलाखंड एवं निर्माण सामग्रियों
8	गंगापथ नहर बाँका स्थित कहलगॉव	6	मार्च, और सितम्बर 1982, दिसम्बर, 1986 जुलाई, 1997	133.35	ईट खपड़ा एम. एम. रॉड मिट्टी तथा औजार एवं संयंत्र
9	गंगापथ नहर संख्या-1,शिवनारायणपुर स्थित बटेश्वरस्थान	5	नवम्बर, 1994, अगस्त, 1996, अगस्त,1996 और जुलाई 1997	45.58	एम.एस.रॉड मिट्टी ईट खपरा तथा औजार एवं संयंत्र
10	सिंचाई, भागलपुर	1	दिसम्बर 1996,	1.27	एम.एस. रॉड

11	गंगा पम्प नहर बॉका स्थित बटेश्वरस्थान	1	मई, 1993	0.45	मिट्टी एवं धातु
12	दुर्गावती बाँया बाँध नहर भीतरीबाँध	3	1991, 1992, और 1993	3.47	एम.एस.रॉड एवं कंटिला तार एवं सीमेंट, ईट
13	पश्चिमी कोशी नहर मधुवनी स्थित सकरी -11	1	1992	2.72	ईट
14	पूर्णमासी उत्पलव मार्ग,देवघर	12	जून, 1987	153.65	एम.एस. रॉड,सीमेंट,कंटीला तार, एवं निर्माण सामग्री ।
15	सिंचाई, जामताड़ा	1	अगस्त 1982	0.57	मिट्टी
16	दुर्गावती तटबंध संख्या । भीतरी बाँध	1	1988	38.43	एम.एस.रॉड, ए. सी.पत्तर , जी आई पाइप तथा कंटीला तार
	योग	46		446.93	

विभागीय स्पष्टीकरण

5.6.1 सामग्री कार्य का ही एक हिस्सा है तथा कार्य के प्राक्कलन में सम्मिलित होता है । इसलिए कार्य के लिए ही बजटीय उपलब्ध किया जाता है ।

5.6.2 कोडल प्रोविजनों को अनुपालन करने हेतु दिशा निदेश निर्गत किया गया है ।(अनुलग्नक संख्या-1)

5.6.3.1 डी0जी0एस0 एण्ड डी0 में बजट प्रावधान के बगैर/ अनियमित कार्य करने हेतु एक मुख्य अभियंता को विभागीय आदेश संख्या-174 दिनांक 4.5.93(अनुलग्नक संख्या-2) द्वारा पेंशन 'शून्य ' पर निर्धारित किया गया । एक कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश संख्या 351 दिनांक 14.2.98 (अनुलग्नक संख-3)द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया तथा कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश संख्या-56 दिनांक 15.5.98 (अनुलग्नक सं0-4) द्वारा पेशन 'शून्य' पर निर्धारित किया गया । एक अन्य कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश 906 दिनाक 4.12.01 द्वारा पेंशन शून्य किया गया (अनुलग्नक-5)

5.6.3.2 डी0पी0टी0, पटना द्वारा बताया गया कि सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया,सिंचाई प्रमडल, बरहेट एवं दुर्गावतीय बांध प्रमंडल संख्या-2 भीतरीबांध के कार्यो हेतु कुल 4635 में टन छड़ दिसम्बर 1998 में खरीदा गया । गुमानी बराज योजना, अजय बराज योजना तथा दुर्गावती जलाशय योजना के स्पीलवे कार्य में इन छड़ों का प्रयोग किया जा रहा है ।गुमानी बराज योजना तथा अजय बराज योजना अब झारखण्ड राज्य में है ।

5.6.3.3 तीन प्रमंडलों यथा दुर्गावती बांध प्रमंडल संख्या-2 भीतरीबांध, सिंचाई प्रमंडल, बरहेट एवं दुर्गावतीय बांध प्रमंडल संख्या-2,भीतरीबांध, सिंचाई, प्रमंडल, बरहेट तथा सिंचाई प्रमंडल,सिकटिया हेतु कुल 4635 मे टन लौह छड़ का क्रयादेश निर्गत किया गया क्योंकि इन प्रमंडलों के अधीन गमानी बराज, अजय बराज तथा दुर्गावती स्पीलवे हेतु अच्छे तथा पूरे स्ट्रेथ के लौह छड़ कीआवश्यकता थी जब कि विभिन्नकार्य प्रमंडलों मेंपूराना जंग लगा हुआ लोहा

उपलब्ध था जिसका उपयोग तकनीकी दृष्टिकोण से सही नही था । साथ ही लोहे की ढुलाई हेतु काटना या मोड़ना तथा ढुलाई में कठिनाई भी थी । जबकि बराज का निर्माण कार्य प्रगति में था । अतः सेल द्वारा दिये गये न्यूनतम दर पर खरीदारी की गई ।

5.6.3.4 निदेशक कय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, पटना के कयादेश सं0-1075,दिनांक 7.7.82 द्वारा 16एम. एम व्यास के 1426.40 मे.टन एवं 20 एम. एम.व्यास के 965.00 मे. टन. 22एम.एम. व्यास के 900.00 मे.टन. एवं 25 एम.एम. व्यास के 450.00 मे. टन. कुल 3541.40 मे.ट. लौह छड़ की आपूर्ति हेतु कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0-2 राजनगर शिविर खजौली द्वारा टिस्को को रू0 1,71,85,232,00 का अग्रिम भुगतान दिनांक 28.2.82 को किया गया ।

उपर्युकत अग्रिम के विरूद्व संबंधित खजौली प्रमंडल एवं कुछ अन्यप्रमंडलों (विभागीयआदेश केतहत) को निम्न तालिका के अनुसर आपूरित लौह छड़ कीराशि निम्न प्रकार समायोजित की गई है :-

कमांक	प्रमंडल का नाम	आपूरित मात्रा की कीमत/समायोजित राशि रू0 में	आपूर्ति की अवधि
1	पश्चिमीकोशी नहर प्रमंडल सं0-2 राजनगर शिविर खजौली	1,12,15,221,32	3/84 से 9/84
2	दिनांक 31.3.90 को टिस्को द्वारा कार्यपालक अभियंता, प0 को0 नहर प्र0 सं0-2 राजनगर शिविर खजौली को लौटायी गई राशि	1,25,644.00	8/89
3	योजना एवं मानिटरिंग प्र0सं0-14,पटना द्वारा खजौली प्रमंडल को लौटायी गई राशि	125,644.00	8/89
4	चांडिल प्रमंडल की असमायोजित राशि जो खजौली प्रमंडल की राशि में जोड़ दिया गया है ।	85,158,37	8/89
5	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल संख-1 मधुबनी शिविर सकरीको की गई आपूर्ति	7,74,079.90	10/87 से 9/88
6	योजना एवं मानिटरिंग प्रमंडल संख्या-14,बाल्मी	2,74,815,75	8/83
7	योजना एवं मानिटरिंग प्रमंडल संख्या-17,बाल्मी	1,22,956.00	9/89
8	उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गोह	1,49,982,62	12288
9	जलपथ प्रमंडल बुन्डू, रांची	1,61,061,55	2/88
10	कोनार नहर प्रमंडल,बनासो,	56,106.96	1/88

	हजारीबाग		
11	जलपथ प्रमंडल,हजारीबाग	14.661.29	6/88
	कुल	1,71,85,231.61 1,71,85,232.00	

टिस्को द्वारा दिनांक 31.3.90 को सात वर्षो बाद लौटायी गई राशि रू0 26,69,770,56 पैसे पर व्याज की वसूली हेतु कार्यपालक अभियंता,पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0-2राजनगर शिविर खजौली द्वाराटिस्को केविरूद्व सबजजन्यायालय, मधुबनी में मनीसूट संख्या-4/97 दायर किया गयाहै ।

5.6.4.1 संबधित प्रमंडलों को लेखा समायोजन केलिये निदेशितकियागयाहै (प्रतिलिपि संलग्न)।(अनुलग्नक सं0-6)

5.6.4.2 जलपथ प्रमंडल संख्या-1 एवं 2 सिमडेगा को 17.21 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियोंकीप्राप्तराशि के लोक निर्माण जमा एडभांस सेसमायोजन केलिये मुख्य अभियता, रांची को निदशित किया गया है ।(अनुलग्नक-7)

जमनिया पम्प नहर प्रमंडल, रामगढ़ मेंजो 2.56 करोड़ की सामग्री की प्राप्ति अन्य प्रमंडलों सेकी गयी है, जो बिना मूल्य प्राप्त किये हुए है । उसकेसंबंध में लेखासमायोजन के लिये यथोचितकार्रवाईकी जा रही हे ।(अनुलग्नक सं0-8)

5.6.4.3 जल पथ प्रमंडल, गुमला एवं जलपथ प्रमंडल, सिमडेगा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया है ।(अनुलग्नक सं0-9)

5.6.5 एवं 5.6.6

भण्डार में हानि/क्षति के लिए विभाग द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित कर विभागीय कार्रवाई चलायी गयी हे तथा अन्य मामलों में मुख्य अभियंताओं को आवश्यक आदेश निर्गत किए गए है :-

1. सिंचाई प्रमडल, देवघर के अधीन एम.एस.छड़ के छल पूण 'लिफटीग तथा अन्य आरोपों के अन्तर्गत एक कार्यालक अभियंता, एक सहायक अभियंता,एक कनीय अभियंता, एक भण्डारपाल तथा एक लेखा लिपिक के विरूद्व विभागीय कार्रवाई चलाई गई तथा उन्हें निम्न आदेश के तहत दंडित किया गया :-

आदेश संखया 151 दिनांक 13.2.2001 (अनुलग्नक 10)
आदेश संखया 626 दिनांक 4.7.2001 (अनुलग्नक 11)
आदेश संखया 152 दिनांक 13.2.2002 (अनुलग्नक 12)
आदेश संखया 150 दिनांक 13.2.2002 (अनुलग्नक 13)
आदेश संखया 149 दिनांक 13.2.2002 (अनुलग्नक 14)

इस मामले में थाना काण्ड संख्या 315/98 भी प्रभावी है । दो पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है तथा पुलिस द्वारा 30.00 मे0 टन लौह छड़ रिकवरी भी की जा चुकी है ।

(11) केन्द्रीय भण्डार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल में 9.71 लाख रूपये की कमी पाये जाने के कारण एक कनीय अभियंता को विभागीय आदेश संख्या 356 दिनांक 2.11.93 द्वारा सेवा में बर्खास्त कर दिया गया है (अनुलग्नक 15)

राशि की वसूली हेतु कनीय अभियंता के विरूद्व एक मनीसूट संख्या 4/99 दिनांक 26.3.99 सरायकेला न्यायलय में दायर किया गया है जो लम्बित है ।

जलपथ प्रमंडल, खुंटी में सिमेन्ट तथा लौह छड़ की कमी के लिए एक सहायक अभियंता को दंडित किया गया है तथा एक कनीय अभियंता को सेवा से निम्न आदेशों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है :

आदेश संख्या 966 दिनांक 31.8.98(अनुलग्नक 16)
आदेश संख्या 1444 दिनांक 31.12.98(अनुलग्नक 17)

सिंचाई प्रमंडल बुण्डु में सिमेन्ट की कमी के लिए छ: पदाधिकारियों को निम्न विभागीय आदेश द्वारा दंडित किया गया है :-

आदेश संख्या 235 दिनांक 21.8.2000 (अनुलग्नक 18)
आदेश संख्या 234 दिनांक 21.8.2000 (अनुलग्नक 19)
आदेश संख्या 236 दिनांक 21.2.2000 (अनुलग्नक 20)
आदेश संख्या 36 दिनांक 15.2.2002 (अनुलग्नक 21)
आदेश संख्या 35 दिनांक 15.2.2002 (अनुलग्नक 22)
आदेश संख्या 34 दिनांक 15.2.2002 (अनुलग्नक 23)

जलपथ प्रमंडल संख्या-1 चक्रधरपुर में सिमेन्ट एवं लौह छड़ की कमी के लिए एक कनीय अभियंता को निम्न विभागीय आदेश के द्वारा दंडित किया गया:

आदेश संख्या 37 दिनांक 15.2.2002 (अनुलग्नक 25)
आदेश संख्या 20 दिनांक 23.2.95 (अनुलग्नक 24)

जलपथ प्रमंडल संख्या-2 गुमला में सिमेन्ट की कमी के लिए दो कनीय अभियंताओं को विभागीय आदेश संख्या 735 दिनांक 26.10.99(अनुलग्नक 26)एवं आदेश संख्या 621 दिनांक 30.6.2001(अनुलग्नक 27) द्वारा दंडित किया गया है ।

सिंचाई प्रमंडल पाकुड़ में लौह छड़ आदि की क्षति के लिएएक सहायक अभियंता को निम्न विभागीय आदेशोंके अंतर्गत दंडित किया गया है :-

आदेश संख्या 475 दिनांक 19.3.98 (अनुलग्नक 28)
आदेश संख्या 621 दिनांक 30.6.2001(अनुलग्नक 29)

सिंचाई प्रमंडल संख्या-1 जमुई में प्रभार में कमी नही पायी गयी है ।जलपथ प्रमंडल गढ़वा में हस्तानान्तरण पूर्ण कराने हेतु मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है (अनुलग्नक 30)।

गंगा पम्प नहर प्रमडल, कहलगाँव कैम्प बांका के अधीन 359 मे0 टन लोहा कम पाए जाने तथा 762 बोरा सिमेन्ट सेट हो जाने के कारण कनीय अभियंता को आदेश सं0 788 दिनांक 11.9.2001(अनुलग्नक 31)द्वारा विभागीय कार्रवाई चलायी जा रही है ।

सिंचाई प्रमंडल भागलपुर, दुर्गावती बायाँ बांध नहर/ तटबंध संख्या-1 भीतरीबांध प्रमंडल, पुनासी उत्पलवमार्ग देवघर एवं सिंचाई प्रमंडल जामताड़ा में सामग्री हस्तानान्तरण का कार्य मुख्य अभियंताओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निदेश दिया गया है (अनुलग्नक 32)

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सकरी, मधुबनी में 5.94 लाख ईट की आपूर्ति ली गई थी जिसमें से 32 हजार ईट हस्तान्तरित किया गया । 1.97 लाख ईट भीषण बाढ़ में बह गया तथा 2.15 लाख चोरी किए गए ईट के लिए एफ0 आई0 आर0 किया गया परन्तु थाना द्वारा सत्य किन्तु सूत्रहीन रिपोर्ट प्राप्त हुआ । केवल 1.50 लाख ईट का प्रभार सम्बंधित कनीय अभियंता द्वारा नही दिया गया तथा वह गत 12 वर्षो से लापता है । इस प्रकार उनके वेतन-भत्तो पर हुई बचत से क्षति से कई गुणा अधिक हे ।

गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-2 मुंगेर में 90.615 मे0 टन लौह छड़ की छल पूर्ण लिफटिंग के लिए सात पदाधिकारियों को निलम्बित कर विभगीय कार्रवाई चलायी गयी। इसमें एक कनीय अभियंता को सेवा से बर्खास्त किया गया तथा एक अन्य सहायक अभियंता को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई चलायी जा रही हे । पदाधिकारियों को निम्नांकित आदेशों द्वारा दंडित किया गया हे :-

आदेश संख्या 618 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 33)

आदेश संख्या 617 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 34)
आदेश संख्या 616 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 35)
आदेश संख्या 615 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 36)
आदेश संख्या 620 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 37)
आदेश संख्या 619 दिनांक 30.6.2001 (अनुलग्नक 38)

दुर्गावती बांध प्रमंडल-3 चेनारी, कमला नहर प्रमंडल जयनगर, सिंचाई प्रमंडल संख्या 2 लक्ष्मीपुर, बांका एवं जलपथ प्रमंडल, गढ़वा के सामग्रियों की कमी के लिए मुख्य अभियंताओं को जिम्मेवारी निर्धारित करने का आदेश दिया जा चुका है ।(अनुलग्नक 39)

गंगा पम्प नहर प्रमंडल बटेश्वर शिविर, बांका के अंतर्गत कुल 1004 बोरा सिमेन्ट सेट होने के लिए कुल पांच पदाधिकारियों को दोषी पाया गया जिनसे निम्नांकित विभागीय आदेशों द्वारा सिमेन्ट का मूल्य वसूल किया गया :-

आदेश संख्या 789 दिनांक 11.9.2001 (अनुलग्नक 40)
आदेश संख्या 790 दिनांक 11.9.2001 (अनुलग्नक 41)
आदेश संख्या 791 दिनांक 11.9.2001 (अनुलग्नक 42)
आदेश संख्या 792 दिनांक 11.9.2001 (अनुलग्नक 43)
आदेश संख्या 793 दिनांक 11.9.2001 (अनुलग्नक 44)

गंगा पम्प नहर प्रमंडल, बटेश्वर स्थान शिविर कहलगाँव के अन्तर्गत कल 2900 बोरा सिमेन्ट सेट करने के कारण कुल पांच पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी जिसमें दो के विरूद्ध मामला तकनीकी आधार पर समाप्त करना पडा तथा शेष 3 को दंडित किया गया :

आदेश संख्या 249 दिनांक 4.2.98 (अनुलग्नक 45)
आदेश संख्या 248 दिनांक 4.2.98 (अनुलग्नक 46)
आदेश संख्या 339दिनांक 12.2.98 (अनुलग्नक 47)
आदेश संख्या 316 दिनांक 9.2.98 (अनुलग्नक 48)
आदेश संख्या 250 दिनांक 4.2.98 (अनुलग्नक 49)

गंगा पम्प नहर प्रमंडल बांका शिविर कहलगांव में ईट, खपरा, टाईल्स आदि की कमी के लिए निम्न विभागीय आदेशों के अंतर्गत कुल नौ पदाधिकारियों को दंडित किया गया है :-

आदेश संख्या 1351 दिनांक 7.6.85 (अनुलग्नक 50)
आदेश संख्या 1377 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 51)
आदेश संख्या 1378 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 52)
आदेश संख्या 1379 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 53)
आदेश संख्या 1380 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 54)
आदेश संख्या 1381 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 55)
आदेश संख्या 1382 दिनांक 14.6.85 (अनुलग्नक 56)
आदेश संख्या 1354 दिनांक 8.6.85 (अनुलग्नक 57)
आदेश संख्या 1780 दिनांक 26.8.85 (अनुलग्नक 58)

5.6.7 सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, बौसी,डिहरी द्वारा रांची का तीन वर्ष का कार्य मद में खर्च की विवरणी निम्नवत है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ काम किया जा रहा है तथा गेटो की मरम्मति एवं निर्माण में कर्मी संलग्न हे । स्थल निष्कोल नही है:-

कमांक	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	वर्ष	व्यय(लाख रू0)
1	यांत्रिक प्रमंडल बाँसी	भागलपुर एव पटना	1998-99	34.69
			1999-2000	24.53
			2000-01	55.01
2	यांत्रिक प्रमंडल डिहरी	डिहरी	1998-99	16.58
			1999-2000	53.53
			2000-01	32.39
3	यांत्रिक प्रमंडल राँची	राँची	1998-99	13.17
			1999-2000	19.01
			2000-01	5.86

5.6.7.1 केटो के लागत की वसूली विभाग के दो प्रमंडलों के बीच आंतरिक समायोजन की बात हे । यह कोई वित्तीय अनियमितता नही हें ।

5.6.7.2 बेकार / जाकर मशीन इत्यादि के लिए यंत्र-संयंत्र की नीलामी की गयी है जिसमें 80.29 लाख रूपये नीलामी से प्राप्त किए गए है जिसका वजन 1144 मे0 टन है और अन्य जाकर मशीनों की नीलामी की कार्रवाई सतत् जारी है ।

5.6.8 भण्डारों के सूची नियंत्रण एवं प्रबंध का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यो के साथ ही किया जाता है जिसे सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने हेतु यह कार्य कय एवं परिवहन निदेशालय पटना को सौपा गया है (अनुलग्नक -59)

अत: विभाग द्वारा इस सम्बंध में समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति का सिफारिश एवं निष्कर्ष

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार,

पटना, दिनांक - 4.3.2002

विषय: सी०ए०जी० पारा-4.17 वर्ष -98-99 मिसलेनियस पी०डब्लू०डी० अग्रिम एवं अस्थायी अग्रिम एवं अस्थायी अग्रिम के सम्बंध में।

महाशय्

यदि किसी कार्य को करवाने के लिए अस्थायी अग्रिम देना यदि आवश्यक है तो उसका समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है। इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाय। इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्र संख्या -20 /बी. सी.एफ -10/2000-100 दि०-7.6.2000 (संलग्न) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था, जिसका अवलोकन किया जाय।

2. मिसलेनियस पी०डब्लू०डी० अग्रिम में राशि बिहार पी०डब्लू०डी० एकाउन्ट के रूल-387 के अनुसार शीघ्रताशीघ्र समायोजन कर देना है । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इस सम्बन्ध में महज निगरानी की जरूरत है।

3. अत: अनुरोध है कि इसके समायोजन की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव
2.3.02

पत्रांक-20 / बी.सी.एफ. 10/2000 -100

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्रीमती राधा सिंह,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता

पटना, दिनांक-7.6.2000

विषयः अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समायोजन ।

महाशय्

देखा गया है कि विभागीय कार्यों के कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली, लोक निर्माण विभाग संहिता, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं कोषागार संहिता में वर्णित नियमों के अतिरिक्त समय-समय पर दिये गये सरकारी आदेशों पर भी अनेक पदाधिकारियों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं होता है। इससे विषम वित्तीय स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है।

अतः सभी पदाधिकारियों का ध्यान निम्नलिखित आदेशों पर पुनः आकृष्ट किया जाता है:-

1. अस्थायी अग्रिम लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम-100 के अनुसार दिया जायेगा, परन्तु द्वितीय अग्रिम तभी दिया जाय, जब पूर्व अग्रिम का लेखा समर्पित कर दिया गया हो।

2. किसी भी कर्मचारी/ पदाधिकारी को किसी माह के दिये गये अग्रिम का लेखा उनके द्वारा एक मास के अन्दर अवश्य समर्पित होना चाहिए और कार्यपालक अभियंता द्वारा उसके सामंजन अथवा उनपर लिये गये निर्णय अगले 15 दिनों तक उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। जबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, समबद्ध कर्मचारी को कोई अन्य अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

3. हर हालत में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी अस्थायी अग्रिम की राशि का समाजोंजन उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश 31 मार्च तक समायोजन नहीं हो पाता है, तो उक्त अस्थायी अग्रिम की रकम की वसूली तत्काल कर ली जाए और किसी भी परिस्थिति में 31 मार्च को अवर प्रमंडल एवं प्रमंडलीय कार्यालय के रोकड़ बही में शेष किया जाए।

4. अस्थायी अग्रिम की राशि से संबंधित प्रमाणकों को जनकार्य विधि (मिसलेनियस पी०डब्लू० एडभांस) में रखकर पारित किया जाए। यदि किसी कारणवश समायोजन/ वसूली नहीं हो पाती है और पदाधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो इसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी) में अंकित करने हेतु कोषागार को लिखा जाए या अपने स्तर से निर्गत किये जानेवाले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में अंकित किया जाए तथा स्थानान्तरित स्थान पर तत्क्षण सूचना दे दी जाय। यदि कटौती हो जाती है, तो अपने कैश बुक में अग्रिम शून्य कर दिया जाए।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल की होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राधा सिंह)
आयुक्त एवं सचिव

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-13/2001 1869

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद/वीरपुर
दरभंगा/ मुजफ्फरपुर/ सीवान

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय: सी०ए०जी० पारा-4.17 वर्ष -98-99 (सिविल)

महाशय,

सूची संलग्न है, जिसमें 5 प्रमण्डलों का नाम है। इस सूची का अवलोकन किया जाय।

2. उपरोक्त पाँचों प्रमण्डलों में मिसलेनियस पी०डब्लू०डी० अग्रिम एवं अस्थायी अग्रिम का समायोजन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई अपने सीधे पर्यवेक्षण में अविलम्ब कराया जाय।

3. इन 5 प्रमण्डलों में जो अग्रिम सूची में अंकित है, उसके सम्बन्ध में इस कंडिका में 6 ऑब्जर्वेसन्स है, वह भी अवलोकन हेतु संलग्न है।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कण्डिका 4.17 / 98-99

1. लंबित अस्थायी अग्रिम के समायोजन की लेखा प्रक्रिया के सन्दर्भ में वित्त विभाग / प्रधान महालेखाकार द्वारा स्पष्ट निर्णय नहीं लिये जाने के कारण लंबित है।

2. भंडार लेखा का नियमानुसार संधारण पर बल दिया जा रहा है संबंधित प्रमंडलों की प्रोफर्मा विपत्र पर ली गई आपूर्ति का लेखा साधारण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है तथा अगले अंकेक्षण दल कोई से दिखा दिया जायेगा।

3. भू अर्जन अग्रिम की राशि के सामंजन हेतु निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा रहा है।

4. संबंधित प्रमंडलों को अन्य सरकारी विभाग/ निगम को दिये गये अग्रिम के सामंजन/वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया जा रहा है।

5. आकलन की स्वीकृति एवं निधियों के प्रावधान के बिना हुए व्यय को विविध जनकार्य अग्रिम में डालने की प्रवृत्ति पर तुरंत रोक लगाने हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे है।

अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु दिये गये अग्रिम

मुख्य अभियंता / विभाग के स्तर पर उत्तर अपेक्षित है।

प्रोफार्मा विपत्र पर किसी एंजेन्सी / फर्म को आपूर्ति आदेश के विरूद्ध अग्रिम के रूप में राशि दी जाती है, जिसे तत्काल विविध जनकार्य अग्रिम में भारित कर दिया जाता है। संबंधित फर्म से आपूर्ति आदेश के तहत माल की प्राप्ति तथा अंतिम विपत्र प्राप्त होने पर उसे भंडार शीर्ष में भारित करते हुए विविध जनकार्य अग्रिम को क्रेडिट कर दिया जाता है। भंडार शीर्ष में रखे वस्तु की खपत पर मूल्याकंन कर उसे वास्तविक कार्य पर भारित किया जाता है।

अनुशंसाएं स्वीकार्य है एवं कार्यपालक अभियंताओं / प्रमंडीलय लेखापालों को निर्देश दिया जा सकता है कि लेखा संहिता / वित्त नियमावली के प्रावधानों के तहत विभिन्न अग्रिमों के सामंजन तथा भंडार / स्थल लेखा के नियमित संधारण / मूल्यांकन पर सूक्ष्म निगरानी रखे।

तालिका

		1999 तक		03 / 2001 तक	
		अंकित पारा के अनुसार		मासिक लेखा के अनुसार	
क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	लंबित अस्थायी अग्रिम (लाख में)	विविध जनकार्य अग्रिम में लंबित राशि (लाख में)	लंबित अस्थाय अग्रिम (लाख में)	विविध जनकार्य अग्रिम के रूप में लंबित राशि (लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद	9.10	59.19	1.19	123.83
2.	शीर्ष कार्य प्रमण्डल, वीरपुर	9.05	404.27	24.73	403.63
3.	पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा	21.57	357.23	0.03	435.58
4.	तिरहुत नहर प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	44.47	89.39	सूचना मुजफ्फरपुर लेखा कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।	
5.	बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल संख्या-01 मधुबनी, शिविर दरभंगा	20.47	290.62	वही	

अनु-1

सी०ए०जी० पारा 5.6/98-99 का अनु०

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक 19/सी०ए०जी०-58/2000 1820 पटना, दिनांक 2.3.2002

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग।

विषय: भण्डार सूची नियंत्रण प्रक्रिया को चुस्त-दुरूस्त करने के संबंध में ।

महाशय्

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भण्डारों का रख-रखाव, भौतिक सत्यापन, मासिक लेखा समपर्ण इत्यादि अपेक्षित रूप में नहीं किया जा रहा है। साथ ही कार्यस्थल पर स्थल लेखा (Site Account) भारी मात्रा में पड़े सामग्रियों का क्षरण हो रहा है। विशेषकर भौतिक सत्यापन एवं मासिक लेखाओं का समपर्ण असंतोषप्रद है। जिससे भण्डार के शेष / भण्डार की कमी / अधिकाई / उपयोगिता सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जिसे सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है।

2. भण्डार के संबंध में बिहार लोक निर्माण, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली में विस्तृत प्रावधान है, जिसका अक्षरश: पालन किया जाना अपेक्षित है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार लोक निर्माण संहिता का अनुच्छेद 254-276 बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता का अनुच्छेद 109, 154 तथा 172, 176 एवं बिहार वित्त नियमवाली भाग-1 के नियम सं०-124-152 एवं 154-183 को पुनर्प्रख्यापित (re-iterate) किया जाय'।

3. अत: निर्देशित किया जाता है कि भण्डारों के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का पालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

अनु-2

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं०-नि०सि० (विभागीय) यांत्रिक 503/92-174 पटना, दिनांक 4.5.93

आदेश

श्री आर०बी० सिन्हा, सेवा निवृत मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा अपनी सेवा के अंतिम काल में (मुख्य अभियंता, पटना) के पद पर पदस्थापन अवधि में लगभग 24 (चौबीस) लाख रूपये का भारी मशीनों के स्पेयर पार्टस की आपूर्ति हेतु व्यादेश दिया गया, जिसका न तो तत्काल आवश्यकता थी और न उपयोगिता हो। इस प्रकार इनके विरूद्ध सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। इस प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा, मुख्य अभियंता सेवा निवृत्त से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कारण पृच्छा मांगा गया। उनसे प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई और सरकार द्वारा उनके कारण पृच्छा को असंतोषजनक पाकर उनके पेंशन/ उपादान की शत प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

अत: श्री सिन्हा, मुख्य अभियंता (यांत्रिक) सम्प्रति सेवा निवृत्त के पेंशन एवं उपादान की शत प्रतिशत कटौती की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ पंडित)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग

निबंधत

ज्ञापांक 954 पटना, दिनांक 4.5.93

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना /राँची/श्री आर०बी०सिन्हा, मुख्य अभि०(यांत्रिक) सम्प्रति सेवानिवृत, बोरिंग रोड, गाँधीनगर (मान्टेरी स्कूल लेन)पटना कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, पटना / संयुक्त सचि (श्री झा)/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रभारी (कम्प्यूटर सेल, पटना/श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, सहयक अभियंता, निगरानी कोषांग / अपर आयुक्त के निजी सहायक/ अवर सचिव (श्री चन्द्रशील गुप्ता) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11, 12, एवं 22 जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ पंडित)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग

अनु-3

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

अनु. सं22/निं सि. (मोति)105/94/ 351 पटना, दिनांक 14/2/98

आदेश

श्री कृष्ण कुमार कमल, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) (निलम्बित) जब क्षेत्र यत्र प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के प्रभार में थे तो उक्त पदस्थापन अवधि में श्री कमल द्वारा अपनी पत्रांक 256 एवं 255 दिनांक 31.3.89 के माध्यम से मेसर्स विलसन (इंजीनियरिंग, कलकत्ता को 5,99,692/- (पाँच लाख निनान्वे हजार छ: सौ बेरानवे) रूपये तथा मेसेर्स सोनी इन्टरप्राईजेज, कलकत्ता को 4,92,317/- रूपया का क्रयादेश आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी. जी. एस .एण्ड) के दर संविदा पर दिया गया। आपूर्ति कर्त्ता द्वारा उक्त सामग्रियों की आपूर्ति अप्रैल 89 से अगस्त 89 के बीच को गयी कार्यपालक अभियंता श्री कमल द्वारा उक्त सामग्रियों के क्रयादेश की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी। उप महालेखाकर (अंकेक्षण) ने अपने अर्द्ध सरकारी पत्रांक 577 दिनांक 12.9.90 द्वारा मुख्य अभियंता जल संसाधन में तिवारी को उक्त क्रय में हुई अनियमितता की जानकारी दी। उक्त मामले की जाँच अधीक्षण अभियंता गंडक रूपांकरण एवं गुण नियंत्रण अंचल, मोतिहारी द्वारा दी गयी। जाँच के दौरान कार्यपालक अभियंता श्री कमल के विरूद्ध अनष्टि मंशा से प्रेरित होकर सारा फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए 10.62 लाख रू० क्रय आदेश बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के डी०एस०एण्ड डी के माध्यम से निर्गत करने, इस मद में 98 प्रतिशत भुगतान डी०जी०एण्ड डी माध्यम से करने तथा तत्सम्बंधी अभिलेखों को गायब कराने आदि आरोप प्रमाणित पाये गये। इस प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभाग आदेश संख्या 31 दिनांक 20.3.91 द्वारा श्री कमल को निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 789 दिनांक 15.3.91 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी सभी बिन्दुओं के समीक्षोपरान्त माननीय श्री कमल के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये :-

1. क्रय विक्रय संबधी नियमों का अवहेलना की गयी।
2. बिना आवश्यकता के सामाग्रियों का क्रय किया गया, जिसके फलस्वरूप सामग्रियों का व्यवहार नहीं हुआ।

नियम से 10.62 लाख रूपये का अभिष्ट मंशा से निरर्थक व्यय कर इतनी बड़ी राशि का अनावश्यक व्यय का इस बात द्योतक है कि श्री कमल द्वारा यह कार्य निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर, धनार्जन की मंशा से किया गया, जिससे घोर भ्रष्टाचार प्रमाण्ति होता है।

उक्त आरोपों के लिए बर्खास्तगी का दण्ड अनुमोदन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में श्री कमल से द्वितीय कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक 1802 दिनांक 20.6.94 द्वारा पूछा गया तथा उनसे स्पष्टीकरण अप्रर्याप्त रहने की स्थिति में मामले के समीक्षोपरान्त श्री कमल, उक्त सभी आरोपों एवं राज्य कोष को क्षति पहुँचाने, अनावश्यक खरीद करने, कागजात गायब कराने आदि आरोपों के लिए दोषी पाये गये।

अत: राज्य सरकार द्वारा श्री कमल को गम्भीर कदाचार, घोर अनियमितताओं तथा राजकीय धन का अपव्यय अनिष्ट मंशा से कागजात गायब करने, क्रय सबंधी नियमों की अवहेलना करने, इतनी बड़ी राशि का अनावश्यक व्यय

अनिष्ट मंशा से करने एवं घोर अनुशासनहीनता आदि आरोपों के लिए दोषी पाये जाने पर, इन्हें सरकारी सेवा से जनहित में, बिहार सिविल सर्विसेज वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 49 के तहत, आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आदेश निर्गत की तिथि से श्री कृष्ण कुमार कमल, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) (निलम्बित) को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो० न्याज अहमद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक पटना, दिनांक 1998 ई.

प्रतिलिपि श्री कृष्ण कुमार कमल, कार्यपालक अभियंता (निलम्बित) द्वारा मुख्य अभियंता/महालेखाकार, बिहार, पटना / राँची / अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना/ मंत्री/राज्यमंत्री, जल संसाध न विभाग के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव (श्री सी.पी परिहस्त) प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, उप सचिव (डी.के श्रीवास्तव) जल संसाधन विभाग / अवर सचिव (श्री चन्द्रशील गुप्ता एवं श्री वैद्यनाथ प्रसाद, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधान विभाग, सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सभी जिलाधिकारी, बिहार / सभी कोषागार पदाधिकारी बिहार / अबर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11, 12 एवं 22, प्रभारी पदाधिकारी प्रभारी कम्प्यूटर कंन्द्र, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितार्थ।

संयुक्त सचिव (श्री बी०पी०परिहस्त) जल संसाधन विभाग/ अवर सचिव, श्री चन्द्रशील गुप्ता/ लघु सिचाई विभाग को आदेश की दो प्रतियों के साथ उनसे अनुरोध है कि आदेश श्री कमल को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था करेंगे।

(मो० न्याज अहमद)
सरकार के अवर सचिव

अनु – 4

बिहार सरकार
जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

आ०सं०:-11/ ओ०-1011/96 – 56 दिनांक 15/5/98

आदेश

श्री श्रीमेत राय, कार्यपालक अभियंता, (चालू प्रभारी) सेवानिवृत द्वारा यांत्रिक प्रमंडल, मोहम्मागंज (नया नाम – औरंगाबाद निर्माण यांत्रिक प्रमंडल बांकी) के पदस्थापन अवधि माह अगस्त 1988 से दिसम्बर 1989 के बीच की गई अनियमितताओं के लिए उनके सेवाकाल से ही विभागीय संकल्प सं० 1620 दिनांक 26-7-90 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गई जो इनकी सेवानिवृति तक पूरी नहीं हो सकी। विभागीय कार्यवाही से उन्हें दोपी पाया गया। सरकार द्वारा समीक्षपरांत श्री राम पर निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये।

(1) 17.52 (सत्तरह लाख बाबन हजार रू०) का क्रय श्री श्रीनेत राय, कार्यपालक अभियंता (याँ०) द्वारा बिना बजट, बिना आवंटन बिना सहायक पदाधिकारी की स्वीकृति तथा बिना आवश्यकता के किया गया।

(2) 196 अदद सामग्रियों का डी०जी०एस०डी० से क्रय उनके द्वारा बिना आश्यकता के किया गया।

2. उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय से विभागीय पत्रांक 538 दिनांक 15-2-97 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई तथा उनसे प्राप्त उत्तर की पुर्नसमीक्षा की गई। समीक्षोपरांत उन्हें उपर्युक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया जिसके लिए उन्हें बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) तहत 'पूर्ण' पेंशन पर सदा के लिए रोक'' का दंड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया तथा उक्त दण्ड विभागीय आदेश संख्या -771 दिनांक 26-8-97 क्षरा संसूचित किया गया।

3. बिहार पेंशन नियमवाली क नियम 39 (ए) एवं (बी) के तहत श्री राय से पनु: उनके पेंशन निर्धारित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1262 दिनांक 30-8-97 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त आलोक में श्री राय ने दिनांक 14-1 97 को अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया।

4. श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई/ समीक्षोपरांत उन्हें उपर्युक्त आरोप के लिए दोषी पाया गया। फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावाली के नियम -139 (ए० एवं बी०) के अन्तर्गत श्री राय का पेंशन स्वीकृत करते हुए शून्य पेंशन निर्धारित करने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया।

ह०/
(बी०पी० परिहस्त)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०:- 855 पटना, दिनांक 15.5.95

प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना, श्री श्रीमेत राय, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (याँ०) चालू प्रभार, विशिष्टि नगर, आरा (भोजपुर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०पी० परिहस्त)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनु - 5

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या: 22/ नि.सि. (जन) 12-1046/94-906 पटना, दिनांक 8.12.01

आदेश

श्री गोकुल प्रसाद विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमण्डल, चालियाना द्वारा अपने पदस्थापना अवधि में मेसर्स इस्टर्न इक्वापमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता से आपूर्ति किये गये डीजर, स्पेयर पार्टस में की गई अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक - 995 दिनांक 18.7.91 एवं 1348 दिनांक 22.11.93 द्वारा स्पष्टकरण पूछा गया था। श्री विश्वास से प्राप्त स्पष्टीकरण का विस्तृत जांच एवं सम्यक समीक्षा की गई। इस बीच श्री विश्वास दिनांक 31.12.96 को सेवा निवृत हो गये।

विभागीय आदेश संख्या-883 दिनांक 04.8.98 द्वारा श्री विश्वास के सेवानिवृति के पश्चात बिहार पेंशन नियमवाली की धारा 43 'बी' के तहत कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया।

समीक्षोपरान्त श्री विश्वास के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये :-

प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या - 1380 दिनांक -16.11.98 ज्ञापांक 3353 दिनांक -16.11.98 द्वाराश्री गोकुल प्रसाद विश्वास, तत्कालीन कार्य० अभि० (यांत्रिक) को निम्नलिखित दण्ड दिया गया :-

1. बिहार पंशन नियमवाली के नियम - 43 बी० के अन्तर्गत शत-प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

विभागीय एल०पी०ए० संख्या-106/2000 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.6.2000 के आलोक में विभागीय आदेश सं०-246, दिनांक 24.08.2000 द्वारा विभागीय आदेश सं०-1380 दिनांक 16.11.98 द्वारा निर्गत दण्डादेश निरस्त कर दिया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-1092 दिनांक 25.8.2000 द्वारा आरोप पत्र एवं साक्ष्य संलग्न करते हुए बिहार पेंशन नियमवाली के नियम 43'बी' के तहत कारण पृच्छा किया गया। प्रेस विज्ञप्ति के बाद भी श्री विश्वास का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। फलत: विभाग ने उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री विश्वास के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) डोजर के स्पेयर पार्ट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होना फिर भी बिना स्वीकृति प्राक्कलन के 30.00 लाख(तीस लाख) रू० का स्पेयर पार्ट्स क्रय करने का इण्डेंट देना जिससे सरकार का 30.00लाख रू० राशि अनावश्यक व्यय होना।

(ख) अधिक्षण अभियंता, खरकई बांध अंचल, ईचा बालियामा के पत्रांक -1144, दि० 09.8.90 के आलोक उक्त स्पेयर पार्टस की खरीद के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित तथा पूर्व में खरीद के लिए उनके स्तर से निर्गत कोई भी इण्डैंट को रद्द करने के लिए दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करना एवं उक्त स्पेयर पार्ट्स की खरीद के लिए इण्डेन्ट देना।

(ग) ए कार्य०अभि० (या०) चालियामा द्वारा दिनांक -15.6.90 को इण्डेन्ट प्लेस करना।

(घ) दिनांक 17.10.90 को डी.सी.एस.एण्ड वर्क कान्ट्रेक्ट कार्यादेश निर्गत।

(ङ) दिनांक 21.8.90 को वशान चाडिल से चालियामा का हस्तान्तरण करने का आदेश का० (स्था०)को दिया जाना।

(च) स्थानान्तरण के पश्चात भी अपने प्रतिस्थानों को प्रभार प्रतिवेदन में उक्त इण्डेन्ट का उल्लेख नहीं किया जाना।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विश्वास को दोषी मानते हुए सरकार ने निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

1- बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 'बी' के अन्तर्गत शत-प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

अतएव उपरोक्त आदेश श्री गोकुल प्रसाद विश्वास, तत्कालीन कार्य०अभि०(यां०) सम्प्रति सेवा निवृत को संसूचित किया जाता है।

ह०/-
(विनय कृष्ण)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-217 पटना, दिनांक 8-12-2001

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना एवं झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रबंधन कोषांग / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5,6 (प्रशाखा पदा०5,6 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री गोकूल प्रसाद विश्वास, तत्कालीन कार्य अभि० (यां०) सेवा निवृत पार्वती निकुंज, दक्षिण चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना-20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(विनय कृष्ण)
सरकार के उप सचिव

अनु - 6

पत्र संख्या - 1823

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राँची/ देवघर/भागलपुर/ दरभंगा/ डिहरी

पटना, दिनांक- 2.3.2002

विषय: सी०ए०जी० पारा 5, 6, 4, 1 वर्ष 98-99

महाशय,

उपरोक्त सी०ए०जी० पारा की प्रति संलग्न है। इसमें प्रमंडलों का भी नाम है। आपत्ति यह है कि सभी 16 प्रमंडलों में 3.45 करोड़ रूपये के सिमेन्ट और छड़ का हस्तनान्तरण बिना मूल्य प्राप्त किये हुये दूसरे प्रमंडलों को कर दिया गया।

अत: इस संबंध में मूल्य वसूली कर कोषागार में जमा करें।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

अनु - 7

पत्र संख्या - 1833

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राँची

पटना, दिनांक- 2.3.2002

विषयः सी०ए०जी० पारा 5, 6, 4, 2 वर्ष 98-99

महाशय,

उपरोक्त सी०ए०जी० भाग की प्रति संलग्न है जिसमें यह है कि जलपथ प्रमंडल संख्या 1 एवं 2 सिमडेगा में वर्ष 89 - 90 से 98 - 99 तक सामग्रियाँ के हस्तान्तरण के लिए 17.21 लाख रूपये प्राप्त हुए थे जिसे सरकारी खाता में जमा करने के बजाय पी०डब्लू० डी० मिसलेनियस में रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्ब पी०डब्लू०डी० हेड से हटा कर के उचित लेखा में जमा किया जाय।

अनुः- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

अनु-8

19/सी०ए०जी०-58/2000

पीत पत्र के बदले में

अभियंता प्रमुख (मध्यम)

सी०ए०जी० पारा 5.6.4.2 के प्रति संलग्न है। इसमें जमनियां पम्प नहर प्रमण्डल, रामगढ़ के संबंध में 2.56 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री प्राप्त करने के संबंध में है जो बिना मूल्य के अन्य प्रमंडलों को दिया हुआ है।

अतः अनुरोध है इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु० - यथोक्त ।

ह०/-

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या - 382

पटना, दिनांक 4.3.02

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

अनु-9

पत्र संख्या - 1834

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची

पटना, दिनांक- 2.3.2002

विषय: सी०ए०जी० पारा 5, 6, 4, 3 वर्ष 98-99

महाशय,

जलपथ प्रमंडल संख्या 1 गुमला एवं सिमडेगा में सम्वेदक से 28089 लाख रूपये की सामग्रियों की वसूली नहीं की गयी है, ऐसा उपरोक्त कंडिका में है। कंडिका की छाया प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि इस वसूली की कार्रवाई तुरंत की जाय।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

अनु-10

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-22/ नि.सिं. (देव) 10-06/98-151 पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2001

आदेश

श्री कन्हैया पांडेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, देवघर के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 98-99 में 69.60 मी०टन (8 एम०एम०व्यास) लौह छड़ जिसकी कीमत 10.75 लाख रूपये होता है का गबन की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। फलत: विभागीय आदेश संख्या-173 दिनांक 13.2.99 द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया तथा आरोप गठित कर विभागीय संकल्प संख्या 859 दिनांक 13.4.99 द्वारा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस बीच श्री पाण्डेय दिनांक 30.4.99 को सेवानिवृत्त हो गए। अत: सरकार ने विभागीय आदेश संख्या 26 दिनांक 29.1.2000 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के निमय 43 बी० के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया। संचालन पदाधिकारी ने लौह छड़ के गबन के लिए श्री पाण्डेय को दोषी प्रतिवेदित किया। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन का सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार श्री पाण्डेय को निम्न दंड देने का निर्णय लिया।

(क) 3.50 लाख रूपये की वसूली।

(ख) निलंबन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

सरकार उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1026 दिनांक 9.8.2000 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाए गए:-

क. 12.10.98 एवं 14.10.98 को क्रमश: 17.26 मि० टन एवं 30.08 मि०टन कुल 47.34 मि०टन लौह छड़ का हस्तान्तरण जल पथ प्रमंडल, मोहनियाँ को उनके फर्जी पत्र दिनांक 25.9.98 एवं फर्जी कनिय अभियंता, श्री अशोक कु० सिंह के माध्यम से करने के लिए दोषी क्योंकि लौह छड़ मोहनियां पहुंचा ही नहीं, इस प्रकार 7.31 लाख रूपये की क्षति पहुंचना।

ख. जलपथ प्रमंडल, मोहनियां ने लौह छड़ हस्तान्तरण हेतु न तो मुख्य अभियंता, डिहरी और न मुख्य अभियंता देवघर की सहमति थी। फिर भी विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए अर्थात् प्राधिकृत कनीय अभियंता की छानबनी किए बिना एवं प्राधिकृत पत्र के सत्यापन कराये बिना विभागीय लौह छड़ को निर्गत करने का आदेश देना।

ग- विभागीय कार्यवाही में पूर्ण सहयोग नहीं देना।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री पाण्डेय को निम्न दंड देने का निर्णय लिया है :-

1. बिहार पेंशन नियमवाली क नियम 43 बी० के तहत उनके पेंशन /उपादान से 2.75 लाख रूपये की वसूली।

2- निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

अत: उपरोक्त दंड श्री पाण्डेय को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(वी०एस० झा)

सरकार के उप सचिव, जल संसाधन

ज्ञापांक 301 पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / राँची/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव, प्रबंधन कोषांग/ जल संसाधन/मुख्य अभियंता, देवघर/ कम्प्यूटर कोषांग / प्रशाखा-5, 6, 7, 8, एवं 22 / श्री कन्हैया पाण्डेय सेवा निवृत्त का मु० अभियंता न्यू एरिया मुरादाबादी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वी०एस० झा)

सरकार के उप सचिव, जल संसाधन

अनु-11

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या - 22/ नि.सिं. (देव) 10-06/98 626 / पटना, दिनांक 4 - 7 - 2001

आदेश

श्री सिपाही प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल, देवघर को 69.60 एम०टी० (8 एम०एम०) लौह छड़ जल पथ मोहनियाँ, के नाम फर्जी प्राधिकार पत्र बनाकर सुनियोजित षडयंत्र के तहत बिना विभागीय अनुमति गबन करने के आरोप में विभागीय पत्रांक -175 दिनांक 13.2.99 द्वारा न्यायिक, हिरासत में लेने कीतिथि दिनांक 02.12.98 से उनकी सेवा निवृति की तिथि दिनांक 31.12.99 तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या-1097 दिनांक 12.05.99 द्वारा बिहार पेंशन के नियमावली के नियम -43वीं के तहत विभागीय कार्यवाहीं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण सरकार ने उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया।

(क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43वीं के तहत 3 (तीन) लाख रूपये की वसूली।

3- जांच प्रतिवेदन एवं सरकार के उक्त निर्णय संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 023 दिनांक 09.8.2000 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई का उत्तर की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) दिनांक 12.10.93, दिनांक 14.10.98 एवं दि० 22.10.98 के क्रमशः 17.26 में० टन, 30.08 में० टन एवं 22. 26 मे० टन यानि कुल 69.80 में० टन लौह छड (8 एम०एम० व्यास) का हस्तानान्तरण जल पथ प्रमंडल मोहनियाँ को उसके फर्जी पत्र दिनांक 12.10.98 एवं दिनांक 11.11.98 तथा फर्जी कनीय अभियन्ता श्री अशोक कुमार सिंह के माध्यम से हस्तान्तरण करने के लिए दोषी क्योंकि लौह छड़ जल पथ प्रमंडल मोहनियाँ पहुँचा ही नहीं। इस प्रकार इनकी घोर लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कार्य करने से सरकार को कुल 10.75 लाख रूपये की क्षति पहुँचाना।

(ख) फर्जी कनीय अभियंता का सत्यापन भी नहीं करना एवं गेट-पास पर हस्ताक्षर भी नहीं करना, जबकि गेट पास पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर होता है, इस प्रकार इनकी घोर लापरवाही के कारण 69.90 मे० टन लौह छड़ गायब होने के लिए दोषी ।

(ग) इनके द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि दि० 12.10.98 एवं 14.10.98 को जो फ्राडसेट लिफ्टिंग हुई थी, उसके एच/आर पर इनका भी हस्ताक्षर।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री गुप्ता को निम्न दंड देने का निर्णय लिया है।

(क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43वीं के अन्तर्गत 3,00,000/- तीन लाख रूपये की वसूली।

5. उपरोक्त दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, की सहमति पत्र सं० 464 दिनांक 25.6.2002 द्वारा प्राप्त है।

6. अत: उक्त दण्ड श्री सिपाही प्रसाद गुप्ता तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा निवृत (सिंचाई) प्रमण्डल देवघर को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1296 पटना, दिनांक 4.7.2001

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, विहार, पटना/ रांची/झारखंड / उप सचिव, वित्त (वे०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव, अवर सचिव/ प्रबंधन कोषांग/ जल संसाधन विभाग/ बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, विहार / पटना / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / डेहरी/ प्रशाखा पदा०-7, 8, एवं 22 एवं श्री सिपाही प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्राम+पो० एकराशी जिला-बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु-12

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-22/ नि.सिं. (देव) 10-06/98 152 पटना, दिनांक - 13 फरवरी 2001

आदेश

श्री हरिनारायण प्रसाद, तत्कालीन लेखा लिपिक सिंचाई प्रमंडल, देवघर के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 98-99 में 69.60 मे० टन लौह छड़ जिसकर कीमत 10.75 लाख रूपये होता है, का गबन की जांच विभागीय उड़नदस्ता से की गयी। इसके पूर्व देवघर नगर थाना कांड सं०-315/98 में न्यायिक हिरासत में जाने के कारण मुख्य अभियंता, देवघर के आदेश सं०-276 दिनांक 7.11.98 द्वारा श्री प्रसाद को निलम्बित किया गया। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद दोषी पाए गए। तत्पश्चात् आरोप गठित कर विभागीय संकल्प संख्या'863 दिनांक 13.4.99 द्वारा सिविल वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी ने श्री प्रसाद के गबन के लिए दोषी प्रतिवेदित किया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरानत श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निम्न दंड देने का निर्णय लिया:-

(क) 21,000 रूपये की वसूली

(ख) निलम्बन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

सरकार से उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 9.8.2000 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाया गया है:-

क. प्रमंडल की संचिका में 69.60 मे० टन लौह छड़ के हस्तान्तरण के लिए विभागीय निदेशों यथा प्राधिकृत कनीय अभियंता की छानबीन एवं मुख्य अभियंता, डिहरी एवं देवघर की सहमति एवं मोहनियाँ के पत्र की जांच आवश्यक है, उसका उल्लेख नहीं करने के लिए दोषी जिसके कारण विभाग को 10.75 लाख रूपये की क्षति होना।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्न दंड देने का निर्णय लिया है:-

क. 21,000 रूपये की वसूली।

ख. निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

ज्ञापांक 302 पटना, दिनांक - 13 फरवरी 2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर/ पटना/उप सचिव प्रभारी शाखा : 3 एवं 4 प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -3, 4, एवं 22 तथा श्री हरि नारायण प्रसाद, निलम्बित लेखा लिपिक द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

अनु-12

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-22/ नि.सिं. (देव) 10-06/98 150 पटना, दिनांक : 13 फरवरी 2001

आदेश

श्री अग्नि कुमार पासवान, तत्कालीन भंडारपाल, सिंचाई प्रमंडल देवघर, के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 98-99 में 69.60 मे० टन (8एम०एम०व्यास) लौह छड़ जिसका कीमत रू० 10.75 लाख रूपये होता है का गबन का जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। इसके पूर्व देवघर नगर थाना कांड सं० 315/88 में न्यायिक हिरासत में जाने के कारण मुख्य अभियंता, देवघर के आदेश संख्या 276 दिनांक 27.11.98 द्वारा इन्हें निलम्बित किया गया। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप गठित कर विभागीय संकल्प संख्या 862 दिनांक 13.4.99 द्वारा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के तहत श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी ने श्री पासवान को उक्त लोड छड़ के गबन के लिए दोषी प्रतिवेदित किया। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पास गए। फलत: सरकार ने श्री पासवान को निम्न दंड देने का निर्णय लिया:-

क. डिसमिल (सेवा से बर्खास्त)

ख. निलम्बन अवधि में निलम्बन के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1025 दिनांक 9.8.2000 द्वारा श्री पासवान से द्वितिय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितिय कारण पृच्छा का उत्तर समीक्षा सरकार के स्तर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री पासवान के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाए गए:-

क. 14.10.98 एवं 22.11.96 को क्रमश: 30.02 मि०टन 22.00 मि०टन कुल 52.34 मि० टन लौह छड़ का फ्राडुलेन्स लिफटिंग में इनकी मिलीभगत एवं गैर जिम्मेदारीपूर्वक कार्य के फलस्वरूप 69.50 मि०टन लौह छड़ गायब हुआ जिससे सरकार को 8.84 लाख रूपये की क्षति होना।

(घ) 22.11.98 को निर्गत गेट पास पर सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का बिना हस्ताक्षर लिए ट्रक को जाने देना। 22.11.98 एवं 14.10.98 को हस्त रसीद पर उनका हस्ताक्षर रहना जिससे इनकी गलत मंशा स्पष्ट है लौह छड़ जलपथ प्रमंडल, मोहनियाँ में कभी नहीं पहुचा।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सराकर ने श्री पासवान को निम्न दंड देने का निर्णय लिया।

(क) डिसमिसल (सेवा से बर्खास्त)

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

अत: उपरोक्त दंड श्री पासवान को संसूचित किया जाता हैं

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

ज्ञापांक 300 पटना, दिनांक : 13 फरवरी 2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता जल संसाधन, देवघर /पटना/अधीक्षण अभियंता, सिचाई अंचल जसीडीह/उप सचिव/प्रभारी प्रशाखा, 3, 4, प्रशाखा 3, 4, एवं 22 तथा श्री अग्नि कुमार पासवान, भंडारपाल (निलम्बित) द्वारा अधीक्षण अभियंता, सिचाई अंचल, जसीडीह, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

अनु-14

पथ संख्या-22/नि.सिं.(देय)10-06/98

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-22/नि.सिं.(देव) 10-06/90-149/ पटना, दिनांक - 13 फरवरी, 2001

आदेश

श्री कौशल किशोर तिवारी, तत्कालीन, कनीय अभियंता सिंचाई प्रमंडल, देवघर के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 98-99 में 69.6 मि०टन लौह छड़ जिसकी कीमत 10.75 लाख होता है का गबन की जांच विभागी उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन में श्री तिवारी प्रथम दृष्टया दोषी प्रमाणित पाए गये। फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-174 दिनांक 13.2.99 द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया तथा आरोप गठित कर विभागीय संकल्प संख्या-864 दिनांक 13.4.99 द्वारा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकार के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री तिवारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। फलतः सरकार ने प्रमाणित आरोपों के लिए श्री तिवारी को निम्न दंड देने का निर्णय लिया:-

(क) डिसमिसल (सेवा से बर्खास्त)

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1024, दिनांक 9.8.2000 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री तिवारी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) 12.10.98 एवं 14.10.98 कुल 47.34 मि०टन (8 एम०एम० व्यास) लौह छड़ धोखधड़ी से हस्तान्तरण करने के लिए दोषी, जिसके चलते सरकार को 7.31 लाख रूपये की क्षति हुई।

(ख) विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के समक्ष यह प्रमाणित करने की चेष्टा करना कि लौह छड़ उनके प्रभार में नहीं था एवं हस्त रसीद पर भी श्री के० के० मिश्रा, सहायक अभियंता द्वारा मेनुपुलेशन किया गया है, यह गलत साबित होना क्योंकि लौह छड़ उन्हीं के प्रभार में था और कोई मैनुपुलेशन किया गया है यह गलत साबित होना क्योंकि लौह छड़ उन्हीं के प्रभार में था और कोई मैनुपुलेशन श्री के०के० मिश्रा द्वारा प्रभार देने मे नहीं किया है क्योंकि श्री मिश्रा द्वारा वास्तव में दिनांक 10.7.98 को ही लौह छड़ का प्रभार इन्हें एंव श्री सिपाही प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियंता को दे दिया गया था। 12.10.90 एंव 14.10.98 को जिस दिन लौह छड़ का फर्जी हस्तान्तरण हुआ उस दिन गेट पास पर इन्हीं का हस्ताक्षर रहना और गेट पासों पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं प्राप्त करना।

(ग) उनका द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर मान्य नहीं, क्योंकि 12.10.98 एवं 14.10.98 को जो फ्राडुलेंट लिफटिंग हुई उसके हस्त रसीद एवं गेट पास पर इनका हस्ताक्षर रहनां

(घ) इनका यह कथन अमान्य कि डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग सही रूप में नहीं चलायी गयी क्योंकि इसमें अभिलेखों की साक्ष्य पूर्ण। इसलिए ओरल विटनेस का नाम नहीं दिया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री तिवारी को निम्न दंड देने का निर्णय लिया है:-

(क) डिसमिसल (सेवा से बर्खास्त)

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा। यथा उपरोक्त दंड श्री तिवारी को संसूचित किया जाता हैं।

ह०/-
(बी०एन०झा)
सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

ज्ञापांक संख्या - 299 पटना, दिनांक - 13 फरवरी, 2001

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख/अवर सचिव (श्री सिन्हा) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, देवघर/पटना प्रशाखा-9, 10 एवं 22 /बायोडाटा कोषांग/ तथा श्री कौशल किशोर तिवारी, कनीय अभियंता (निलम्बित) द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(बी०एन०झा)
सरकार के उप सचिव (जल संसाधन)

अनु-16

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-22/नि.सिं.(रा) 15-1053/95-966/ पटना, दिनांक - 31.8.98

आदेश

श्री हरिशंकर चौधरी,तत्कालीन कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल खुंटी(सम्प्रति कनीय अभियंता,रूपांकण प्रमंडल सं०-1, समस्तीपुर) के पदस्थापन अवधि में सिमेंट की कमी के कारण सरकार को हुई 370 लाख रूपये की क्षति के संबंध में मुख्य अभियंता, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स के नियम 55 'ए' के तहत कारवाई की गयी। श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक-127 दिनांक 22.1.92 द्वारा स्पष्टीकरण पृछ गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रभावित पाया गया तथा प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा कम पाए गए सिमेंट की राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया। श्री चौधरी को इस संबंध में अपने बचाव हेतु एक अवसर देते हुए विभागीय पत्रांक 92 दिनांक 17.2.95 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि से अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छ प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण देने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराया गया। प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसकी पुर्नसमीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नांकित कारणों से आरोप प्रभावित पाया गया है:-

4793 बोरा सेट सिमेंट जो उनके प्रभार में था उसे सेट कर जाना। दिनांक 26.11.90 तथा दिनांक 30.7.92 को श्री बी०पी०मंडल, (कनीय) अभियंता को 3712 एवं 1031 बोरा सेट सिमेंट का प्रभार देना। श्री पुण्यानन्द झा, कनीय अभियंता को गोदाम का प्रभार देने में आना-कानी करना।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री चौधरी, कनीय अभियंता से 4793 बोरा सेट सिमेंट का 55 रूपये प्रति बोरा के दर से 2,63,615/- (दो लाख तिरसठ हजार छः सौ पन्द्रह) रूपये की वसूली करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वसूली उनके अगले माह के वेतन से 2,000 (दो हजार)रूपये प्रतिमाह की जायेगी। यदि सेवाकाल से इस राशि की वसूली नहीं हो पाती है तो वैसी स्थिति में बकाया राशि की वसूली सेवा निवृत्ति के बाद मिलनेवाले पेंशन एवं उपादान से एक मुश्त में की जायेगी।

अतएव श्री हरिशंकर चौधरी, कनीय अभियंता को उपर्युकत निर्धारित दंड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

कुमार राणा अवधेश

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक संख्या   पटना, दिनांक

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग,पटना/ सभी मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग/महालेखाकर, बिहार, पटना/अवर सचिव(श्री कबीर) जल संसाधन विभाग, पटना, कार्यपालक अभियंता, रूपांकन प्रमंडल सं०1, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/श्री हरि शंकर चौधरी, कनीय अभियंता, रूपांकन प्रमंडल सं०-1, समस्तीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9,10,13,एवं 22 जल संसाधन विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कुमार राणा अवधेश

सरकार के उप सचिव

अनु-17

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-22/नि.सिं.(रा) 15-1049/95-1444 पटना, दिनांक - 31.12.98

आदेश

श्री शिवचन्द्र झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जलपथ, प्रमंडल, खुंटी को 45.एम०टी० लौह छड़ चोरी हो जाने के आरोप में विभागीय आदेश संख्या-242 दिनांक 9.8.90 द्वारा निलम्बित किया गया था। तत्पश्चात् श्री झा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-266 दिनांक 22-11-94 एवं संशोधित आदेश संख्या-352 दिनांक 18-5-94 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली के नियम -55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकारके स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप श्री झा को सेवा से बर्खास्त कर देने का निर्णय लिया गया लेकिन श्री झा को अपने बचाव हेतु अन्तिम अवसर देते हुए विभागीय पत्रांक -2433 दिननांक 12.8.97 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर पर पुन: सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। पुर्नसमीक्षोपरान्त उन्हें निम्नांकित कारणों से दोषी पाया गया है:-

(1) ककरिया गोदाम में 26-6-88 को हुए लौह छड़ों की चोरी की सूचना उन्हें 11-7-88 को मिलना अविश्वसनीय है, जबकि उनका मुख्यालय ककरिया में ही था।

(2) गोदाम का सीधा दायित्व श्री झा पर था।

(3) श्री झा द्वारा मात्र 30 एम०टी० लौह छड़ों का एफ०आई०आर० करना जबकि जांचोपरान्त 45 एम०टी० लौह छड़ों की कमी पायी गयी।

(4) एफ.आई.आर करने में लौह छड़ों की मात्रा दिखाकर इनका गलत मंशा रखना।

(5) चौकीदार को छुट्टी में जाने पर उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करना। 45 एम०टी० लौह छड़ों की चोरी में 4 से 5 ट्रक लगा होना लेकिन चोरी की सूचना से अनभिज्ञता प्रकट करना।

(6) खूँटी प्रमंडल में वे सरकारी कार्य से 22-6-88 से 11-7-88 तक सरकारी कार्यवंश रहे जबकि दूसरे जगह उनके द्वारा यह कहना कि 22-6-88 से 26-6-88 तक अंकेक्षण कार्य से कार्यालय में रहना, जबकि इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है।

(7) लेखा का अद्यतन संधारण नहीं करना।

(8) कम्पलन केस का उनके द्वारा जिक्र किया जाना जिसका निर्णय उनके विरूद्ध (डिसफेभर) में जाना अर्थात् लौह छड़ों की चोरी होने का उनके द्वारा अंजाम दिया जाना, उसे कोर्ट के द्वारा नहीं माना जाना।

अतएव उपर्युक्त घोर कदाचारिता का आरोप प्रमाणित होने तथा श्री झा को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: श्री शिवचन्द्र झा, कनीय अभियंता (निलम्बित) को तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता हैं

ह०/-

कुमार राणा अवधेश

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक संख्या — पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ महालेखाकर, बिहार, पटना/ रांची/वित्त विभाग, वेतननिर्धारण कोषांग, पटना/ अवर सचिव(श्री कबीर, श्री न्याज अहमद)जल संसाधन विभाग, पटना/ उप सचिव, (श्री पासवान) प्रभारी चारित्री कोषांग, जल संसाधन विभाग/ प्रभारी कनीय अभियंता, बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-9, 10, 11, 13, एवं 22 जल संसाधन विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल, खूँटी/ अधीक्षण अभियंता,जलपथ अचल, रांची तथा श्री शिवचन्द्र झा, कनीय अभियंता(निलम्बित) द्वारा मुख्य अभियंता, पी०पी० सेल, बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अप्रसारित।

ह०/-

कुमार राणा अवधेश

सरकार के उप सचिव

अनु-18

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या-22/नि.सिं.(रा०) 15-1010/95-235 पटना, दिनांक - 21.6.2000

आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू (सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग भागलपुर) द्वारा प्रमंडलीय भंडार में व्यवहार में अनियंत्रित मात्रा में आवश्यकता से अधिक सिंमेट की आपूर्ति लेने तथा सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाने के आरोप पर श्री सिन्हा के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण)नियंत्रण एवं अपील (नियमावली) के नियम 55 'ए' के तहत की गई कार्रवाई के पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं० 2699 दिनांक 27.9.93 द्वारा उन्हें निम्नांकित दंड संसूचित है:-

1. सेट हो गए सिंमेट एवं कम मात्रा में पायी गयी सिंमेट का कुल मूल्य 8,18,607/-रू० की आधी राशि अर्थात् रूप 4,09,303;50 रूपये मात्र की वसूली उनके वेतन से प्रापत वेतन के 50 प्रतिशत राशि मासिक किस्तों में की जायेगी तथा शेष राशि की कटौती उनके बकाया राशि तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश के पद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

2. 'निन्दन' जिकसी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 1986-87 में की जायेगी।

3. उनकी दो वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक।

श्री सिन्हा द्वारा उपर्युक्त संसूचित दरो से विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका सं० सी०डब्लू०जे०सी० न०12437/95 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 18.3.94 द्वारा रू० 4,09,303=50 की कटौती के दंड को स्थगित रखते हुए आदेश के कार्यान्वयन पर भी रोक लगा दिया गया।

विभाग में श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर सरकार के स्तर पर गहन पुर्नसमीक्षा की गइ। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आवश्यकता से अधिक सिंमेट के लिए व्यादेश करना तथा प्रमंडल एवं भंडार में पर्याप्त मात्रा में सिमेंट रहते हुए भी 25,350 बोरा सिंमेट प्राप्त करना, जबकि उतने सिंमेट की आवश्यकता नहीं थी।

अतएव सरकार द्वारा उन्हें निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(ख) असंचात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतन वृद्धि पर रोक।

(ग) 4.00 लाख रूपये के बदले 88,000/- (अट्ठासी हजार) रूपये की वसूली।

इसमें कमी के कारण:-

(क) 13996 बोरा सिंमेट कम रहने का आरोप इन पर है जबकि अन्तत: 2597 बोरा की कमी ही पाया जाना, जिसके लिए जाँच के अन्य कनीय अभियंता को उत्तरदायी पाया जाना।

अत: श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल (कुण्ड) को संसूचित विभागीय अधिसूचना सं० 2099 दिनांक 27.9.93 को निरस्त करते हुए निम्न संशोधित एवं संसूचित किया जाता है।

(क) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(ख) 2 (दो) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) 88,000/- (अट्ठासी हजार) रूपये की वसूली जो उनके वेतन से प्रति माह 7,000/- रूपये की दर से की जायेगी। सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में शेष राशि की वसूली उनके पेंशनादि लाभ से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1071 पटना, दिनांक - 21.8.2000

प्रतिलिपि महालेखाकर, बिहार, पटना/राँची/संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग/ उप सचिव (प्रबन्धन कोषांग/अवर सचिव)प्रबन्धन कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,/प्रशाखा पदाधिकारी5,6,12,22 जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा,मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

अनु-19

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या-22/नि.सिं.(रा०) 15-1010/95-234 पटना, दिनांक - 21.8.2000

आदेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनिय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बुण्डू (सम्प्रति)कनीय अभियंता,पश्चिमी कोशी नहर, प्रंडल पिपराही शिविर निर्मली को कतिपय अनियमितता के आरोप (विभागीय आदेश सं०14-दिनांक 22.1.93 द्वारा निलंबित किया गया। श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-1179 दिनांक 24,5,93 द्वारा सिविल सेवा(वर्गीकरण अभियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 1481 दिनांक 26.7.95 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

इस बीच सरकार के निर्णयानुसार विभागीय आदेश सं 801 दिनांक 28.8.97 द्वारा उन्हें निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को प्रभावी रखा गया।

श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितिय कारण पृच्छा पर मामले की गहन विभागीय जाँच एवं समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 14189 बोरें सेट सिमेंट की कीमत का 75 प्रतिशत की वसूली अर्थात् 4070 लाख 1.15 लाख (निलामी) में प्राप्त 3.35 लाख का 3/4 =, 2.66 लाख की वसूली।

13996 बोरा में से 1020 बोरे की कमी के लिए 33.782/- रूपये की वसूली।

यानि कुल-2,99,782/- रू०(दो लाख निनानवे हजार सात सौ बिरासी रूपये) की वसूली।

) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु इस अवधि की गणना वृद्धि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

'निन्दन' जिसका प्रविष्टि उनसे चारित्री वर्ष 87-88 मे की जायेगी।

नन पदाधिकारी से असहमति एवं दंड का कारण-

मुख्य अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार समय पर लेखा समर्पित नहीं करना।

13996 बोरा में 1020 बोरा मूल्य -86013/रू० की कमी के लिये जिम्मेवार। अत: संचालन पदाधिकारी का थन मान्य नहीं कि सिमेंट की कमी नहीं। इसके साथ ही मुख्य अभियंता राँची के प्रतिवेदन के अनुसार समय पेंट का लेखा समर्पित नहीं करना, जबकि बार-बार उच्चाधिकारियों से इसके लिए आदेश मिला।

(ग) जुलाई 88 से स्थानान्तरण के बाद सेट सिमेंट का प्रीाार नहीं देकर अनुशासनहीनता करना, जिसके चलते प्रशासन द्वारा गोदाम को सील करना पड़ा।

(घ) भंडारण की सही प्रक्रिया नहीं अपनाना और गोदाम के प्रभारी होने के कारण 14109 बोरा सिंमेट सेट होने के लिए जिम्मेवार सरकार की सेट सिमेंट से हुई क्षति का मूल्य 4.70 लाख रू० जिसमें से 1,15,000/- रू० निलामी से प्राप्त होना और उसका 75 प्रतिशत के लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराना युक्तिसंगत है अर्थात् 2.66 लाख की वित्तीय अति (सेट सिमेंट) के लिए इनका जिम्मेवार माना जाना।

अत: श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, कनीय अभियंता को निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता है।

(क) 2,99,782/- (दो लाख निनानवे हजार सात सौ बेरासी रूपये) की वसूली जो उनके वेतन से प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत राशि मासिक किस्तों में की जायेगी। तथा शेष राशि की कटौती सेवा निवृत्ति के उपरान्त उपादान एवं अव्यवहृत अपव्यय से समतुल्य वेतन के मदों में मिलने वाली राशि से की जायेगी।

(ख) निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देश नहीं होगा किन्तु इस अवधि की वेतनवृद्धि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(ग) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

ह०/-

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1070 पटना दिनांक 21.8.200

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग/ अवर सचिव श्री रविन्द्र कुमार (जल संसाधन विभाग,पटना/ वित्त विभाग(वेतन निर्धारण शाखा) बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिका 9, 10, 13 जल संसाधन विभाग/पटना श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल पिप शिविर निर्मली/ कनीय अभियंता, बायोडाटा कोषांग, पटना/ अधीक्षण अभियंता,पश्चिमी कोशी नहर अंचल, पिप शिविर निर्मली तथा कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल पिपराही, शिविर निर्मली को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव

अनु - 20

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-236 पटना, दिनांक - 21.8.2000

आदेश

श्री ज्ञानानन्द महाराणा, तत्कालीन सहायक अभियंता (यॉंत्रक्) जल पथ प्रमंडल बूण्डू के पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्ध प्राप्त आरोपों की जांच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -'55' के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए विभागीय पत्रांक 2818 दिनांक 1.10.93 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर गहन विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच तथा स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरांत निम्नांकित कारण से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया हैं:-

(क) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, कनीय अभियंता पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखना तथा सिंमेंट के सही भंडारण में रूचि नहीं लेना, जिसके चलते सरकार को भारी वित्तीय क्षति हुई।

अतएव उपरोक्त कारण से श्री महाराणा को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है:-

(ख) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

अत: श्री ज्ञानानन्द महाराणा, सहायक अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1072 पटना, दिनांक : 21-8-2000

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव/ प्रबन्धन कोषांग/ उप सचिव (प्रबन्धन कोषांग/अवर सचिव (श्री शर्मा) श्री गुप्ता (जल संसाधन विभाग, पटना, सभी प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी -11, 12, 22 जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री ज्ञानानन्द महाराणा, सहायक अभियंता(यांत्रिक) द्वारा अवर सचिव (श्री शर्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव

अनु - 21

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-1010-95-36 पटना, दिनांक - 15.2.2002

आदेश

जल पथ प्रमंडल बुण्डू (राँची) के अन्तर्गत वर्ष 86-89 के अवधि में सरकारी सिमेंट भंडार में की गयी गडबड़ी की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता द्वारा भण्डार एवं लेखा आदि का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात संबंधित कनीय अभियंताओं को विभागीय उड़नदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर उनके नाम निर्गत सिमेंट की प्राप्ति एवं कार्य में खपत करने का ब्यौरा देने हेतु दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति दिनांक 29.9.99 को प्रकाशित करायी गयी।पुन: उड़दस्ता कार्यालय के पत्रांक '537 दिनांक 09.10.99 के द्वारा संबंधित कनीय अभियंता को उड़नदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दिया था।

उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति एवं पत्र द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी श्री हरेन्द्र ना० सिंह, तत्कालीन लोक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, बुण्डू न तो उपस्थित हुए और न ही स्पष्टीकरण समर्पित किए। उड़नदस्ता द्वारा गहन जांचोपरान्त समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह, कनीय अभियंता के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील (नियमावली के नियम 55'ए'के तहत कार्रवाई की गयी।

सरकार के स्तर पर समयक समीक्षोपरान्त श्री हरेन्द्र नारायण सिंह, कनीय अभियंता द्वारा 263 बोरा सिमेंट प्राप्त कर, खपत का ब्योरा / लेख-जोखा नहीं समर्पित करने के लिए उन्हें दोषी पाया गया है तथा उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है:-

(क) रू० 8,711/(आठ हजार सात सौ ग्यारह रूपये) की वसूली।

(ख) निन्दन 87-88,

दण्ड का कारण: श्री सिंह द्वारा 263 बोरा प्राप्त किया गया सिमेंट का खपत लेखा-जोखा नहीं दिया जाना।

अत: श्री हरेन्द्र नारायण सिंह, कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारण दण्ड संसूचित किया जाता है। वसूली की राशि उनके वेतन से 5 (पाँच) किस्तों में की जायेगी।

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख (प्रभारी क० अ०)स्थापना, जल संसाधन विभाग, पटना/अवर सचिव (श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा) जल संसाधन विभाग पटना/अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, रांची/ प्रशाखा पदा०-9, 12,12, जल संसाधन विभाग, पटना/बायोडाटा/कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री हरेन्द्र नारायण सिंह, कनीय अभियंता द्वारा अवर सचिव/श्री रविन्द्र कु० सिन्हा। जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव।

अनु - 22

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-10-10-95-35 पटना, दिनांक - 15.2.2002

आदेश

जल पथ प्रमण्डल बुण्डू (रांची) के अन्तर्गत वर्ष 86-89 को अवधि में सरकारी सिमेंट भण्डार में की गयी गड़बड़ी को जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता द्वारा भंडार एवं लेखा आदि भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित कनीय अभियंताओं को विभागीय उड़नदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर उनके नाम निर्गत सिमेंट की प्राप्ति तथा कार्य में खपत करने का ब्योरा देने हेतु दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति दिनांक-27.9.99 को प्रकाशित कराया गया। पु नः उड़नदस्ता कार्यालय के पत्रांक -537 दिनांक 09.10.99 के द्वारा संबंधित कनीय अभियंता को उड़नैदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति तथा पत्र द्वारा दिए गए निद्रेश के बावजूद भी श्री खुर्शीद आलम, कनीय अभियंता न तो उपस्थित हुए और न ही अपना कोई स्पष्टीकरण समर्पित किये। उड़नदस्ता द्वारा गबन जांचोपरान्त समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री आलम,कनीय अभियंता के विरूद्ध सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55'ए' के तहत कार्रवाई की गयी।

सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त श्री खुर्शीद अलाम, कनीय अभियंता द्वारा 300 बोरा सिमेंट प्राप्त कर उसके खपत का ब्योरा/लेखा जोखा समर्पित नहीं करने के लिए उन्हें दोषी पाया गया है, तथा उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

(क) 300-बोरा सिमेंट का मूल्य रू०-9.936/-(नौ हजार नौ सो छतीस रूपये) की वसूली।

(ख) निन्दन -87-88

दण्ड का कारण:- श्री आलम द्वारा 300 बोरा प्राप्त किया गया सिमेंट का खपत/लेखा-जोखा नहीं किया जाना

अत: श्री खुर्शीद आलम, तत्कालीन कनीय अभियंता जल पथ प्रमंडल, बुण्डू को उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है। वसूली की राशि उनके वेतन से 5 (पाँच) किस्तों मे की जायेगी ।

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख (प्रभारी क० अ० स्थापना), जल संसाधन विभाग, पटना/ अवर सचिव (श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा) , जल संसाधन विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन, झारखंड, रांची/मुख्य अभियंता, जल संसाध न, झारखंड, रांची/कार्य अभि०, जल पथ प्रमण्डल,बुण्डू (रांची) /प्रशाखा पदा०-9,12,22, जल संसाधन विभाग, पटना/बायोडाटा/ कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री खुर्शीद आलम, कनीय अभियंता द्वारा अवर सचिव(श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा,) जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव

अनु - 23

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-10-10-95-34 पटना, दिनांक - 15.2.2002

आदेश

जल पथ प्रमण्डल बुण्डू (राँची) के अन्तर्गत वर्ष -86-87 की अवधि में सरकारी सिमेंट भंडार में की गई गडबड़ी की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता द्वारा भंडार एवं लेखा आदि का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात संबंधित कनीय अभियंताओं को विभागीय उड़नदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर उनके नाम निर्गत सिमेंट की प्राप्ति तथा कार्य में खपत करने का ब्योरा देने हेतु दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति दिनांक-27.9.99 को प्रकाशित कराया गया। पुन: उड़नदस्ता कार्यालय के पत्रांक - 537 दिनांक 09.10.99 केद्वारा संबंधित कनीय अभियंता को उड़नदस्ता कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दिया गया।

श्री सरयू प्रसाद से प्राप्त सूचना तथा उड़नदस्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -55 'ए' के तहत कार्रवाई की गयी।

सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध 314 बोरा सिमेंट खपत का ब्योरा/लेखा जोखा नहीं दिये जाने के कारण इन्हें दोषी पाया गया है, तथा उन्हें निम्न दण्ड देने निर्णय लिया गया है।

(क) 314 बोरा सिमेंट का मूल्य रू० 10,400 (दस हजार चार सौ रूपये) की वसूली

(ख) निन्दन -87-88

दण्ड का कारण:- 314 बोरा सिमेंट जो इनके द्वारा प्राप्त किया गया उसके खपत का ब्योरा/ लेखा जोखा नहीं दिया जाना।

अत: श्री सरयू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है। वसूली उनके वेतन से 5 (पाँच) बराबर किस्तों में की जायेगी

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि -अभियंता प्रमुख(प्रभारी अभि० स्थापना), जल संसाधन विभाग, पटना/ अवर सचिव(श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा) जल संसाधन विभाग, पटना/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची / मुख्य अभियंता जल संसाधन झारखंड, रांची/ कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल बुण्डू(रांची) प्रशाखा पदा० 9, 12, 22 जल संसाधन विभाग, पटना/ तथा श्री सरयू प्रसाद, लोक अभियंता द्वारा अवर सचिव(श्री रविन्द्र कुमर सिन्हा) जल संसाध न विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(परमानन्द पासवान)
सरकार के उप सचिव

अनु - 24

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-10-10-94-27 पटना, दिनांक - 22.2.1995

आदेश

जलपथ प्रमण्डल, चक्रधरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1980-82 मे सीमेंट सेट हो जाने के लिए दोषी पाये जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालक अभियंता एवं तत्कालीन सहायक अभियंता को दिये गये दंड के विरूद्ध उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन कनिय अभियंता के लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के कारण कुल 231 बोरे सीमेंट, जिसकी कीमत उस समय रू० 11,254/- रूपये होती है, सेट एवं गायब हो गये अत: सरकार ने श्री सिंह, कनीय अभियंता से उक्त राशि वसूली करने का निर्णय लिया है।

अत: पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश संख्या- 22 दिनांक 27-1-93 द्वारा संसूचित चेतावनी की सज़ा को यथावत् रखते हुये, उक्त विभागीय आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि श्री सिंह, कनीय अभियंता के वेतन से सेट एवं गायब सीमेंट का मूल्य रू०11,254-/ रूपये की वसूली मासिक किस्तों में की जायेगी।

ह०/-

(कुमार राणा अवधेश)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि/ महालेखाकर, बिहार, पटना/रांची/ श्री अरूण कुमार सिंह, कनीय अभियंता,सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना/ अवर सचिव (श्री लाल) जल संसाधन विभाग, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी - 9, 10 एवं 22 जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, डिहरी से अनुरोध है कि श्री सिंह, कनीय अभियंता से राशिकी वसूली के सम्बन्ध में अपने स्तर से सुनिश्चित कर विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय।

ह०/-

(कुमार राणा अवधेश)

सरकार के उप सचिव

अनु - 25

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-10-10-94-37 पटना, दिनांक - 15.2.1995

आदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 86-87 (सिविल) के कंडिका 5.5 (क)के आलोक में जल पथ प्रमंडल चक्रधरपुर के भंडार/लेखा का पूर्ण सत्यापन कराया गया। इस संदर्भ में महा लेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा विभागीय सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल पथ प्रमंडल चक्रधरपुर (सम्प्रति) मुख्य अभियंता, वीरपुर के अर्न्तगत के भंडार लेखा में 38,183 मे०ट० लौह छड़ तथा 331 बोरा सिमेंट की कमी/सेट होने पर की संपुष्टि हुई।

श्री सिंह के विरूद्ध उपरोक्त लौह छड़ एवं सिमेंट को कमी के लिए पूर्व में निलंबित कर आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। विभागीय कार्यवाही पूरी नहीं हुई, लेकिन अधीक्षण अभियंता को प्रतिवेदन के आधार पर सिर्फ सिमेंट के ही संबंध में निर्णय लिया गया तथा उन्हें विभागीय आदेश सं०-20 दिनांक 23.02.95 के द्वारा दंडित कर दिया गया। अन्य सामानों, लौह छड़ इत्यादि जांच के क्रम में था, अत: इस पर पूर्व में निर्णय नहीं लिया जा सका।

श्री सिंह के भंडार/लेखा के गहन सत्यापन के पश्चात 38,183 मे.टन लौह छड़ की कमी के लिए उनसे विभागीय पत्रांक -90 दिनांक 17-02-95,पत्राक-3898 दिनांक 06.11.96 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उन्हें प्रेस विज्ञप्ति द्वारा भी सूचना दी गयी।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक -04-07-95 एवं दिनांक 24-08-96 तथा मुख्य अभियंता रांची का प्रतिवेदन पत्रांक -246 दिनांक-20.0.97 पर सरकार के स्तर पर पुन: सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के प्रभार का 39,183 मे.टन लौह छड़ की कमी का आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिससे सरकार को 2.21 लाख रूपये की वित्तीय क्षति हुई है।

अत: सरकार द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह से 38,183 मे.ट. लौह छड़ का मूल 2.21 लाख रूपये वसूल करने का दंड देने का निर्णय लिया गया है।

अत: श्री अरूण कुमार सिंह कनीय अभियंता को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

कारण:

श्री सिंह के लेखा में 38,183 मे.ट. लौह की कमी होना तथा सरकार को 2.21 लाख रू० की वित्तीय क्षति होना। श्री सिंह का यह कथन मान्य नहीं की, इसके लिए वे पूर्व में दंडित कर दिए गये हैं। वस्तुत: वे सिमेंट के लिए दंडित किये गये थे न कि लौह छड़ हेतु। अधीक्षण अभियंता के प्रतिवेन पर सिर्फ, सिमेंट के ही संबंध में निर्णय लिया, अन्य सामग्रियों, लौह छड़ जांच के क्रम में था। अत: इस पर पूर्व में निर्णय नहीं किया गया।

(ख) श्री सिंह के स्पष्टीकरण में यह कहना भी मान्य नहीं कि उनका स्थानान्तरण हड़ताल अवधि में हुआ था और सहायक अभियंता ने स्थानान्तरित लौह छड़ का हिसाब ठीक से रखा होगा अर्थात् इनका उत्तर स्वीकार योग्य नहीं।

रूपये-2.21 लाख की वसूली उनके वेतन से 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी। सेवानिवृति तक वसूली पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शेष राशि सेवा निवृति में शैषराशि सेवानिवृति लाभ में एक मुश्त में की जायेगी।

ह०

(परमानन्द पासवान)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: महालेखाकर, बिहार एवं झारंखण्ड, पटना/रांची/ अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ झारखण्ड, रांची/अवर सचिव (श्री रविन्द्र कु० सिन्हा) जल संसाधन विभाग ,पटना/बायोडाटा/ कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना/मु०अभि० जल संसाधन वीरपुर/रांची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा /कार्यपालक अभि०,जल पथप्रमण्डल चक्रधरपुर/प्रशाखा पदा०-9, 12, 22, 19 (ऑडिट) जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री अरूण कुमार सिंह, कनीय अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, वीरपुर को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रमाणित प्रति श्री सिंह, कनीय अभियंता को तामिला तथा अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करावें।

ह०

(परमानन्द पासवान)

सरकार के उप सचिव

अनु - 26

संचिका सं-22/नि०स० (रा) 15-1059/95

आदेश संख्या - 736 दिनांक - 26.10.99

श्री लक्ष्मी कुमार लाल दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल पथ प्रमंडल सं०-2 गुमला (सम्प्रति उप कनीय अभियंता फुलवरिया बाँध प्रमण्डल रजौली नवादा) कि विरूद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 90-91 ो 91-92 की अवधि में 2056 बोरा सिमेंट के गोलमाल का आरोप प्रतिवेदित किया गया था। श्री दास से सिमेंट के गोलमाल के आरोप में विभागीय पत्रांक 2500 दिनांक 16.11.95 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। स्मार दिये जाने के बाद भी उनसे स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामले पर विभागीय समीक्षोपरान्त श्री दास के विरूद्ध नये सिरे से सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम - 55 'ए' के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उनसे पुन: विभागीय पत्रांक 442 दिनांक 29.1.98 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। डाक द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण का पत्र बिना तामिला के लौट आने के फलस्वरूप दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवा कर स्पष्टीकरण का पत्र प्राप्त कर उत्तर समर्पित करने हेतु सूचना दी गई। इसके बाद भी श्री दास द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया।

विभागीय छानबीन के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि श्री दास सम्प्रति फुलवरिया बाँध प्रमण्डल रजौली नवादा में उप कनीय अभियंता के रूप में पदस्थापित है। तदोपरान्त कार्यपालक अभियंता, फुलवरिया बाँध प्रमंडल रजौली नवादा के माध्यम से श्री दास को मई 98 में स्पष्टीकरण का पत्र तामिला कराया गया। इसके बाद भी उनसे स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उने विरूद्ध निम्नांकित कारणों से आरोप प्रमाणित पाया गया है।

(1) 1193 बोरा सिमेंट भंडार में कम पाया जाना।

(2) 400 बोरा सिमेंट सेट हो जाना

(3) अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना।

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है-

(1) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 90-91 में की जायेगी।

(2) देय प्रोन्नति की तिथि से 3 (तीन) वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।

(3) 99,734=80 (निनानवे हजार सात सौ चौतीस रूपये अस्सी पैसे) (1193 बोरा सिमेंट का मूल्य 83-60 रूपये प्रति बोरा) की वसूली । इसकी वसूली प्रति माह इनके वेतन की आधी राशि से की जायेगी। यदि कोई अवशेष रह जायेगा तो उसकी एक मुश्त वसूली सेवानिवृति के उपरान्त उनके देय पावनों की जायेगी।

अतएव श्री लक्ष्मी कुमार लाल दास, कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दंड संसूचित किया जा सकता है।

ह०/-
सरकार के उप सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं० 2225 दिनांक 26.10.99

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, पटना/ अवर सचिव (श्री रवीन्द्र कु.सिन्हा), जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ प्रशाखा पदा०, 9, 10, 11, 13 जल संसाधन विभाग पटना/ कार्यपालक अभियंता फुलवरिया बाँध प्रमंडल, रजौली, नवादा एवं श्री लक्ष्मी कुमार लाल दास, उप कनीय अभियंता, फुलवरिया बाँध प्रमंडल रजौली, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव
जल संसाधन विभाग

अनु - 27

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 15-1059/95-735 पटना, दिनांक - 26.10.1999

आदेश

श्री दारोगा राय, तत्कालीन, कनीय अभियंता, यांत्रिक अवर प्रमंडल खूँटी (सम्प्रति कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्र०सं०-5 सरायकेला के विरूद्ध वर्ष 90-91 में जल पथ प्रमंडल सं०-2 गुमला के भंडार से 863 बोरा सिमेंट गोलमाल कर गायब करने के आरोप में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची के प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार, सिविल सेवा(वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियमावली के नियम-55'ए' के अन्तर्गत, कार्रवाई की गयी। श्री राय से विभागीय पत्रांक 443 दिनांक 29.1.98 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नाकित कारणों से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है:-

1. जनवरी 90 के सिमेंट की जगह वर्ष 87-88 के लेवी सिमेंट को दिखाकर सेट सिमेंट बताना तथा नये सिमेंट के गोलमाल को गायब कर देना।

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उन्हें निम्नांकित रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है:-

1. 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 90-91 में दर्ज की जायेगी।
2. देय प्रोन्नति की तिथि से 3(तीन) वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।
3. 72,146=80 (बहत्तर हजार एक सौ छियालीस रूपये अस्सी पैसे) 863 बोरा सिमेंट का मूल्य 83.60 रू० प्रति बोरा की वसूली।

इसकी वसूली प्रति माह इनके वेतन की आधी राशि से की जायेगी। यदि कोई अवशेष रह जायेगा तो उसकी एक मुश्त वसूली सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके देय पावनों से की जायेगी।

अतएव श्री दरोगा राय, कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दंड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 2224 पटना, दिनांक: 26.10.99

प्रतिलिपि महालेखाकर, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, पटना/अवर सचिव (श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 9, 10, 11, 13, 22 जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5, सरायकेला, शिविर डिमना, जमशेदपुर एवं श्री दरोगा राय, कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5, सरायकेला शिविर डिमना, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव

अनु - 28

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या - 22 / नि.सिं. (रा०) 11-1013/93-475 पटना, दिनांक - 19.03.1998

आदेश

श्री शारदा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ को उनके पदस्थापन अवधि सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ में बरती गयी अनियमितता एवं सरकार को वित्तीय भार पहुंचाने आदि आरोपों के लिए दोषी पाए जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-1240 दिनांक 4.7.95 द्वारा दंडित किया गया था एवं विभागीय पत्रांक 1270 दिनांक 5.7.95 द्वारा उनके द्वारा लिए गए सभी अग्रिमों का समायोजन एक माह के अन्दर करने का आदेश दिया गया था। श्री सिंह द्वारा उनके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी संख्या 1770/97 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.97 को पारित न्याय निर्णय में विभाग के द्वारा लिए गए सभी निर्णय को उचित ठहराया, मात्र वसूली के बिन्दु पर विभाग को निर्देश दिया कि इस मामले की पुर्नसमीक्षा कर नया आदेश पारित किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में श्री सिंह को दिनांक 12.2.98 को विभाग में बुलाया गया एवं मामले को सुना गया। श्री सिंह के सुनवाई एवं मुख्य अभियंता, देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध निम्नांकित तथ्य उभरते हैं:-

(क)	अग्रिम स्वीकृत	2,24,507=17
(ख)	प्रमाणिक स्वीकृति	1,78,324=44
(ग)	समयोजित	1,29,976=24
(घ)	असमायोजित राशि	94,530=43

48,347=70 रूपये का प्रमाणक भी पारित नहीं हुआ, जिससे सिमेंट जसीडीह रेलवे स्टेशन से छोड़ाई कार्य स्थल पर न ले जाकर देवघर गोदाम में ले जाना सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार हुआ।

2. लौह छड़ सत्यापन कार्य के मद में 14,996.80 के लाए प्रमाणक को सही नहीं पाया गया।

3. उनके प्रभार से 16 बोरा सिमेंट जिसकी राशि 11,410.00 की कमी पाया गया।

अत: उपर्युक्त प्रमाणित कारणों (आरोपों) के लिए श्री सिंह सहायक अभियंता को निम्नांकित आदेश संसूचित किया जाता है।

1,05,940=43 रूपये की वसूली जिसमें असमायोजित राशि 94,530=434 सीमेंट की कमी की राशि 11,410.00 = 1,05,940.43 है। उपर्युक्त राशि में जितनी राशि वसूल हो गयी है, को छोड़कर शेष राशि की वसूली श्री सिंह से चलती रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- **मणि कांत आजाद**

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि श्री शारदा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (यां) सिंचाई अंचल, वटिया(जमुई)सम्प्रति नलकूप प्रमंडल, बेगुसराय/ कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, बेगुसराय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई नलकुप प्रभाग, उर मुजफ्फरपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना/ रांची/वित्त वैयक्ति दावानिर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, पटना/अवर सचिव श्री वैजनाथ प्रसाद (प्रभारी प्रशाखा 11/प्रशाखा पदाधिकारी 11, 12, 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु - 29

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-22/नि.सिं (रा॰)11-10-11/99-621 पटना, दिनांक - 30.06.2001

आदेश

श्री शारदा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ के पदस्थापन अवधि वर्ष 89-91 में उनके प्रभार में बहुत सारे सामग्रियाँ कम पाये जाने के कारण मुख्य अभियंता देवघर के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 2210 दिनांक 15.10.99 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम-55 के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निम्न दंड का निर्णय लिया गया:-

क. निन्दन -90-91

ख. 2.08 लाख रूपये की वसूली

2. जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि एवं सरकार के उक्त निर्णय से संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 1210 दिनांक 21.10.2000 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर देने के लिए श्री सिंह द्वारा कई बार भिन्न-भिन्न तरह के कागजातों की मांग की जाती रही तथा विभाग द्वारा उन्हें कागजात भेजा जाता रहा परन्तु श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। स्पष्टत: श्री सिंह द्वारा टाल-मटोल की नीति अपनायी जाती रही। अन्तत: उपलब्ध अभिलेख/कागजात के आधार पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

क. वर्ष 89-90 एवं 90-91 में सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ में सहायक अभियंता के रूप में उनके पदस्थापन के दौरान इनके प्रभार में सामग्री में कमी पायी गयी। कमी पायी गयी सामग्रियों कामूल्य 2.00 लाख रूपये होता है, सरकार को वित्तीय क्षति हुई।

3- उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया:-

क- 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 90-91 में की जायेगी।

ख- 2.08 लाख रूपये की वसूली।

4- अतएव उपरोक्त दण्ड श्री शारदा सिंह सहायक अभियंता (यांत्रिक) को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1266   पटना, दिनांक 30-6-2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर/मोतिहारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, वित्त वैयक्तिक दावा कोषांग विभाग, बिहार पटना/ कार्यपालक, अभियंता,घोड़ासहन शहर प्रमंडल,रक्सौल/प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार/पटना श्री राम पदार्थ प्रसाद शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग,बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-11, 13 एवं 22 तथा श्री शारदा सिंह, सहायक अभियंता (यांत्रिक) घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव

अनु - 30

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-58/2000-1866

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, डाल्टेनगंज ।

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय:- सी०ए०जी० पारा -5.6 का स्टॉक एकाउन्ट (वर्ष -98-99)।

महाशय,

जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा में 4.12 लाख रू० मूल्य का एम०एस०रॉड, शिलाखंड एवं निर्माण सामग्री 1995 से एक कनीय अभियंता के द्वारा दूसरे कनीय अभियंता को प्रभार में नहीं दिया गया।

2- अत: अनुरोध है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करें।

(विश्वासभाजन)

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

अनु - 31

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या-22/नि.सिं (रा०)9-10-9/97-778 पटना, दिनांक - 11.09.2001

आदेश

श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, तत्कालीन, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर, प्रमण्डल कहलगाँव के अधीन बटेश्वर स्थान पर पम्प नहर योजना कैम्प, बाँका के पदस्थापन दौरान मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रतिवेदन के अनुसार उनके प्रभार में 359 में. टन लौह छड़ कम पाया गया तथाी सी.ए.जी काअंकेक्षणप्रतिवेदन वर्ष 95-96 केअनुसार 762 बोरा सेट सिमेंट के लिए प्रश्न दृष्टया दोषी पाये गये :-

2. अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, कनीय अभि० को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

3. तदनुसार श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, क०अभि० को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम -49 ए के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

4. निलम्बन के दौरान नियमानुसार श्री ठाकुर का मुख्यालय - मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, भागलपुर का कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन दौरान नियमानुसार अनुमान्य वेतन/जीवन यापन भत्ता देय होगा।

6. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा हैं

ह०/-

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव सह मु०नि०पदा०

ज्ञापांक-32 पटना, दिनांक -11-9-2001

प्रतिलिपि -सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, भागलपुर /संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभि०,लघु सिंचाई प्रमण्डल,कटिहार/भागलपुर/ प्रभारी पदधिकारी, बायोडाटा कोषांग (क०अ०) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना, /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9, 10, 11, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव सह मु०नि०पदा०

अनु - 32

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-58/2000-1864

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय:- सी०ए०जी० पारा - 5, 6, वर्ष - 98-99 (सिविल) का स्टॉक एकाउन्ट ।

महाशय,

सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर में 1.27 लाख रू० एम०एस० रॉड का प्रभार एक कनीय अभियंता द्वारा दूसरे कनीय अभियंता को नहीं दिया गया।

2 यदि इसमें कोई कमी पायी गयी है तो अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

(विश्वासभाजन)

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-58/2000-1865

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, डिहरी

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषयः- सी०ए०जी० पारा - 5, 6, वर्ष - 98-99 (सिविल) का स्टॉक एकाउन्ट ।

महाशय,

सी०ए०जी० पारा - 5, 6, वर्ष - 98-99 के द्वारा निम्न प्रतिवेदित है :-

(क) दुर्गावती बंधा बॉध नहर, प्रमण्डल, भीतरी बाँध में 3.47 लाख रूपये का एम०एम० रॉड, सीमेन्ट एवं कटीले तार का प्रभार एक कनीय अभियंता द्वारा दूसरे कनीय अभियंता को नहीं दिया गया।

(ख) दुर्गावती तटबंध सं०-1 भतरी बाँध में 38.43 लाख रूपये का एम०एस० रॉड, जी०आई० पाईप तथा कटीले तार का प्रभार एक कनीय अभियंता के द्वारा दूसरे क०अ० को नहीं दिया गया।

2. इस पर अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

(विश्वासभाजन)

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-58/2000-1868

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, देवघर

पटना, दिनांक 4.3.2002

विषय:- सी०ए०जी० पारा - 5, 6 का स्टॉक एकाउन्ट (वर्ष - 98-99)

महाशय,

पनासी स्पीलवे प्रमण्डल, देवघर में 153.65 लाख रूपये का एम०एस० रॉड, सीमेन्ट, कटीले तार एवं निर्माण सामग्रियों का प्रभार वर्ष - 87 से एक कनीय अभियंता द्वारा दूसरे कनीय अभियंता को नहीं दिया गया।

2. इस संबंध में आप अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

(विश्वासभाजन)

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

अनु - 33

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ० संख्या-22/नि.सिं (भाग)19-11/98-618 पटना, दिनांक - 30.06.2001

आदेश

श्री विभीषण पंडित तत्कालीन भंडारपाल, गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-2, मुंगेर को उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 1998-99 में गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-2, मुंगेर से सिचाई प्रमंडल, गरही को 90.615 एम.टी फर्जी लौह छड़ के हस्तान्तरण में की गयी अनियमितता के लिए विभागीय आदेश संख्या-407 दिनांक 7.5.99 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या 1298 दिनांक 9.6.99 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत सरकार के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से निम्न बिन्दु पर असहमति व्यक्त की:-

क. इसके द्वारा स्वीकार किया जाना कि पत्रांक-408 दिनांक 5.7.98 का अनुमोदन का प्रारूप इनके द्वारा सँचिका में रखा गया जो जांच के समय उपलब्ध नहीं था और जो गबन का अधार बनी।संचिका कार्यपालक अभियंता को देने के समय इनके द्वारा इस बात को उजागर नहीं किया जाना।

3. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री विभीषण पंडित को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया:-

क. 50,000/रू० (पचास हाजर)रूपये की वसूली।

ख. निलम्बन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशन आदि के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

4. असहमति की बिन्दु एवं सरकार के उक्त निर्णय को विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 9.11.2000 द्वारा श्री विभिषण पंडित को संसूचित करते हुए उनसे वित्तीय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि में उनका द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: उपलब्ध अभिलेख/ कागजात के आधार पर सरकार के स्तर पर मामले की पुन: समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निम्न आरोप प्रमाणित किये गये :-

क. इनके द्वारा स्वीकार किया जाना कि पत्रांक 408 दिनांक 5.7.98 का अनुमोदन प्रारूप इनके द्वारा संचिका में रख गया जो जांच के समय उपलब्ध नहीं था और जो गबन का आधार बना संचिका कार्यपालक अभियंता को देने के समय इनके द्वारा इस बात को उजागर नहीं किया जाना।

5. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री पंडित को आदेश निर्गत की तिथि से निलमबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

क. 50,000/- रू.(पचास हजार) की वसूली प्रत्येक माह 1000/-(एक हजार) रूपये किस्तों में की जायेगी। उनके सेवा काल में यदि सम्पूर्ण वसूली नहीं होने की स्थिति में शेष बाकी राशि उनके सेवा निवृत से देय पावनाओं से एक मुश्त में वसूली कर ली जायेगी।

ख. निन्दन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशनादि के प्रयोजन उक्त अवधि में गणना की जायेगी।

6. कंडिका -(15) में वर्णित दण्ड श्री विभीषण पंडित, भंडारपाल को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1263 पटना, दिनांक 30/6/2001

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/देवघर/उप सचिव/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा -3 एवं 4) जल संसाधन विभाग बिहार, पटना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 4 एवं 22, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विभागीय पंडित, भंडारपाल – मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु-34

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० संख्या-22/नि.सिं.(भाग) 9-11 /90-617 पटना, दिनांक 30.6.2001

आदेश

श्री हीरा राय, तत्कालीन लोहार,गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-2 मुँगेंर को उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 1990-99 में गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-2, मुँगेंर से सिंचाई प्रमंडल,गरही को 615 एम.टी. फर्जी लौह छड़ के हस्तानान्तरण की गयी अनियमितता के लिए विभागीय आदेश सं० 409 दिनांक 7.5.1999 द्वारा निलंबित कर विभागीय संख्या -1286 दिनांक 9.6.99 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत सरकार ने संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से निम्न बिन्दु पर असहमति व्यक्त की:-

क. इनके द्वारा स्वीकार किया जाना कि तथाकथित प्राधिकार पत्र सं संबंधित पत्रांक 825 दिनांक 17.6.98 प्रमंडलीय कार्यालय से इनके द्वारा मूल रूप में प्राप्त किया जाना और सहायक अभियंता (यांत्रिक) को दिया जाना। जिसके आधार पर 90 एम.टी. लौह छड़ गबन किया गया और सरकार को 13.55 लाख रूपये की क्षति होना। साथ ही वे सहायक अभियंता (यांत्रिक) के अवर प्रमंडल के ही कर्मचारी।

3. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री हीरा राम लोहार को दण्ड देने का निर्णय लिया :-

क. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

4. असहमति की बिन्दु एवं सरकार के उक्त निर्णयों को विभागीय पत्रांक 1418 दिनांक 19.112000 द्वारा श्री राम को संसूचित करते हुए उनसे द्वितिय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि में उनका द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: उपलबध अभिलेख/कागजात के आधार पर सरकार के स्तर पर मामले की पुन: समीक्षाकी गयी। समीक्षोपरांत निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

क. तथाकथित प्राधिकार पत्र, पत्रांक-825 दिनांक 17.6.98 को प्रमंडलीय कार्यालय से इनके द्वारा मूलरूप में प्राप्त किया जाना और सहायक अभियंता (यांत्रिक) को दिया जाना और इसी पत्र के आधार पर 90 एम.टी लौह छड़ गबन किया गया।

5. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री हीरा राम को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है।

क. 50,000/- (पचास हजार) की वसूली (राशि की वसूली प्रत्येक माह 1,000 रू. एक हजार रूपये) किस्तों में की जायेगी। उनके सेवाकाल में यदि सम्पूर्ण राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में शेष बची हुई, राशि उनके सेवा निवृति के देय पावनाओं से एक मुस्त में वसूली कर ली जायेगी।

ख. निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशनादि के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना की जायेगी।

6. कंडिका -(5) में वर्णित दण्ड श्री हीरा राम, लोहार को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1262 पटना, दिनांक-30/6/2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भागलपुर/देवघर/उप सचिव/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4 (जल संसाधन विभाग, बिहार पटना) प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा -3, 4, एवं 22 जल संसाधन विभाग बिहार, पटना एवं श्री हीरा राम लोहार, मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु-35

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-22/नि.सिं.(भाग) 9-11 /98-616 पटना, दिनांक 30.6.2001

आदेश

श्री मोहन मांझी तत्कालीन,टंकक गंगा पम्प नहर, प्रमण्डल सं०-2 मुंगेर को उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 98-99 में गगा पम्प प्रमंडल सं०-2 मुंगेर से सिंचाई प्रमण्डल गरही को 90,615 एम०टी० फर्जी लौह छड़ के हस्तानान्तरण में की गयी अनियमितता के लिए विभागीय आदेश संख्या-408, दिनांक 07-5-99 द्वारा निलंबित कर विभगीय संकल्प सं०-1289 दिनांक 09.6.97 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्राप्त की गयी।

2 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त सरकार के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से निम्न बिन्दु पर असहमति व्यक्त की।

(क) इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के सदंर्भ में स्वीकार किया जाना कि पत्रांक 408 दिनांक 04.7.98 इन्हीं के द्वारा टंकित किया जाना और यही पत्र लौह छड़ में गड़बड़ी करने का आधार साबित हुआ है, जो कि संचिका में उपलब्ध नहीं है।

(क) 50,000/-(पचास हजार रूपये) की वसूली।

(ख) निलम्बन मुक्त करते हुए निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशनादि के प्रयोजनार्थ एवं अवधि गणना की जाएगी।

4. असहमति की बिन्दु एवं सरकार के उक्त निर्णय को विभागीय पत्रांक 1419, दिनांक 18.11.2000 द्वारा श्री मोहन माँझी को संसूचित करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि में उनका द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: उपलबध अभिलेख/कागजात के आधार पर सरकार के स्तर पर मामले को पुन: समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये।

(क) इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वीकार किया जाना कि पत्रांक 408 दिनांक -04.7.98 इन्हीं के द्वारा टंकित किया जाना और यही पत्र लौह छड़ में गडबड़ी करने का आधार साबित हुआ जो कि संचिका में उपलब्ध नहीं है।

5. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री मांझी को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

(क) 50,000/- (पचास हजार रूपये) की वसूली प्रत्येक माह 1000/ (एक हजार रूपये) की किस्तों में की जायेगी। उनके सेवा काल में यदि सम्पूर्ण राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में शेष बची हुई राशि उनके सेवा निवृत्ति के देय पावनाओं से एक मुस्त में वसूली कर ली जायेगी।

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशनादि के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि में गणना की जायेगी।

6. कंडिका (5) में वर्णित दण्ड श्री मांझी को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1261 पटना, दिनांक 30/6/2001

प्रतिलिपि– मु०अभि० जल संसाधन विभाग, भागलपुर/देवघर /उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी

अनु – 36

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या – 22/नि०सिं०(भाग) 9-11 /98-616 पटना, दिनांक: 30.6.2001

आदेश

श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई गंगा पम्प नहर प्रमण्डल संख्या-2 मुंगेर को उनके पदस्थापन अवधि वर्ष -1998-99 में गंगा पम्प नहर प्रमण्डल सं०-2 मुंगेर से सिंचाई प्रमण्डल, गरही को 90,615 एम.टी. फर्जी लौह छड़ हस्तानान्तरण में की गयी अनियमितता के लिये विभागीय आदेश सं०-403, दि० 07.05.99 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या-1290, दि० 09.06.99 द्वारा सिविल (वर्गीकरण), नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55, के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री महेन्द्र प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता (यां०)को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया।

(क) सेवा से बर्खास्त (डिसमिसल)

(ख) निलंबन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

3. सरकार के उक्त निर्णय श्री प्रसाद को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 1421, दिनाक 16.11.2000 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर हुई। समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये।

(क) सिंचाई प्रमंडल गरही के फर्जी प्राधिकार पत्र एवं फर्जी रसीद तथा फर्ज़ी का०अ० श्री कामेश्वर सिंह के माध्यम से दि०-20.8.98 को 50.6 एम.टी. दिनांक 30.8.98 को 40.015 मे० टन कुल - 90.615 मे० टन लौह छड़ का हस्तानान्तरण करना जो सिंचाई प्रमण्डल, गरही पुहँचा ही नहीं। विभागीय निर्देश की अवहेलना अर्थात फर्जी प्राधिकार पत्र एवं हस्त रसीद का सत्यापन किय बिना 90.615 मे० टन लौह छड़ निर्गत करना जिससे विभाग को 13.55 लाख रूपये की क्षति होना।

(ख) सहायक अभियंता के गलत दिशा-निर्देश का पालन करना, 13.55 लाख रू० के (25 एम०एम० व्यास) 90. 615 मे०टन लौह छड़ फर्जी निर्गत कर गबन करने में सहायक अभियंता (यां०) का साथ देना एवं गेटपास पर इनका हस्तांरित जबकि इनके द्वारा फर्जी हस्तानान्तरण रसीद पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता (यां०) को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है।

(क) सेवा से बर्खास्त (डिसमिसल)

(ख) निलंबन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

5- अत: कंडिका(4) में वर्णित दण्ड श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1260 पटना, दिनांक-30/6/2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/देवघर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, शोध एवं प्रशिक्षक सिंचाई अन्वेषण संस्थान, खगौल, पटना, संयुक्त सचिव / उप सचिव, अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, बायोडाटा कोषांग क०अ० जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -9, 10, 11, एवं 22 एवं श्री महेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षक, सिंचाई अन्वेषण संस्थान, खगौल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु - 37

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 9-11 /98-620 पटना, दिनांक: 30.6.2001

आदेश

श्री सुदामा राम, तत्कालीन पत्राचार लिपिक गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या -2 मुंगेर को इनके पदस्थापन अवधि वर्ष 1998-99 में गंगा पम्प नहर प्रमंडल, संख्या-2, मुंगेर से सिंचाई प्रमंडल, गरही 90.615 एम.टी. फर्जी लौह छड़ के हस्तानान्तरण की गयी अनियमितता के लिए विभागीय आदेश संख्या 406 दिनांक 7.5.99 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या-1287 दिनांक 9.6.99 द्वारा विभागीय कार्यवाहीं प्रारम्भ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत सरकार ने संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से निम्न बिन्दु पर असहमति व्यक्त की:-

निर्गत पंजी में इन्हीं के द्वारा पत्रांक 408 दिनांक 4.7.98 पर विशेषदूत जो लिखा हुआ है उसे साधारण डाक से भेजा गया। लिखे हुए विशेषदूत को काट कर, अत: 90 टन लौह छड़ गबन करने में उसकी भूमिका प्रमुख होती है। जिससे सरकार को 13.55 लाख रूपये की क्षति हुई।

3. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री सुदामा राम, पत्राचार लिपिक को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया:-

(क) 50,000/-(पचास हजार) रूपये की वसूली।

(ख) निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशनादि के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी।

4. असहमति की बिन्दु एवं सरकार के उक्त निर्णय को विभागीय पत्रांक 1422 दिनांक 1.11.2000 द्वारा श्री राम को संसूचित करते हुए उनसे द्वितिय कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित अवधि में उनका वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: उपलबध अभिलेख/कागजात के आधार पर सरकार के स्तर पर मामले की पुन: समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निम्न आरोप प्रमाणित गये :-

(क) निर्गत पंजी में इनके द्वारा पत्रांक 408 दिनांक 4.7.98 पर विशेष दूत जो लिखा हुआ था उसे साधारण डाक से भेजा गया। लिख हुए विशेषदूत को काटकर, अत: 90.615 मे० टन लौह छड़ न करने में इनकी भूमिका प्रमुख होती है जिससे सरकार को 13.55 लाख की क्षति हुई।

5. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री सुदामा राम को आदेश निर्गत की तिथि से निलंम्बन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देनेका निर्णय लिया है।

(क) 50,000/- (पचास हजार रूपये की वसूली) राशि क वसूली 1,000 /-रूपये किस्तों में जायेगी। उनके सेवाकाल में यदि सम्पूर्ण राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवानिवृत्ति के लाभों से की जाएगी।

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशनादि प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना की जायेगी।

6. कंडिका -(5) में वर्णित दण्ड श्री सुदामा राम को संसूचित किया जाता है।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1265 पटना, दिनांक-30/6/2001

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , भागलपुर/देवघर/उप सचिव/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4 (जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-3,4 वं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार पटना एवं श्री सुदामा राम, पत्राचार लिपिक मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

अनु - 38

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 9-11 /98-619 पटना, दिनांक: 30.6.2001

आदेश

श्री विरवेश्वर मिश्र, तत्का०, कार्यपालक अभियंता, सिचाई गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, मुंगेर को इनके पदस्थापन अवधि वर्ष -98-99 में गंगा पम्प नहर प्रमण्डल-2 मुंगेर से सिंचाई प्रमण्डल, गरही को 90.615 एम०टी० फर्जी लौह छड़ के हस्तानान्तरण में की गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक-404 दि० 07.5.99 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या-1223 दि० 29.5.99 द्वारा सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस बीच श्री मिश्रा के सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-622 दि०18.8.99 द्वारा श्री मिश्र को दि० 30.7.99 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए बिहार पेंशन विाभागीय अधि नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही ही जारी रखने का निर्णय लिया गया।

2. संचालन पदा० से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें निम्न दण्ड का निर्णय लिया गया।

(क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43 (बी) के अन्तर्गत 5;00 (पांच लाख) रूपये की वसूली।

(ख) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना की जायेगी।

3. सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक -1314, दि० 09.11.2000 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) 90-615 में० टन लौह छड़ की हस्तानान्तरण एच/आर. पर अधीक्षक अभियंता का हस्ताक्षर कराये बिना, गरही से तथाकथित प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराये, बिना ही छड़; निर्गत करने हेतु प्राधिकार पत्र को सहायक अभियंता (यां०)को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश देना। विभागीय निर्देश के अवहेलना अर्थात प्राधिकारी पत्र निर्गत करने वाले कार्यपालक अभियंता के यहाँ प्राधिकार पत्र को भेज कर सत्यापन नहीं कराना।

(ख) इस तरह फर्जी प्राधिकार पत्र के आधार पर सिंचाई, गरही के नाम 25 एम०एम० व्यास का 90.615 मे० टन लौह छड़ कामेश्वर सिंह, को हस्तान्तरण के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश देना, जबकि उक्त लौह छड़ सिंचाई प्रमण्डल, गरही पहुँचा ही नहीं और न वहाँ के कोई कनीय अभियंता श्री कामेश्वर सिंह थे, हस्त रसीद भी फर्जी था। इसके चलते दि० 20.8.98 को 50.6 मे० टन एवं दिनांक 30.8.98 को 40.615 मे०टन लौह छड़ निर्गत हुआ और सरकार को 13.55 लाख रूपये को क्षति होना।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री विशेश्वर मिश्र, तत्कालीन का०अ० को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है।

(क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत 5.00 (पांच) लाख रूपये की वसूली।

(ख) निलम्बंन अवधि में निलम्बन के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना की जायेगी।

5. अत: कंडिका -4 में वर्णित दण्ड श्री विशेश्वर मिश्र, सेवा निवृत कार्यापालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1264 पटना, दिनांक 30/6/2001

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / झारखण्ड (रांची) / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग भागलपुर / देवघर / प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 6 एवं 22 तथा श्री विशेश्वर मिश्र, सेवानिवृत कार्य० अभियंता, द्वारा श्री शिवशंकर खाँ, मन्दिर मार्ग, पश्चिमी आनन्दपुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

अनु - 39

पत्रांक-19/सी०ए०जी०-58/2000/1863

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, डिहरी / दरभंगा

पटना, दिनांक: 4-3-2002

विषय:- सी०ए०जी० पारा -5.6 का स्टॉक एकाउन्ट (वर्ष -98-99)।

महाशय,

पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, पिपराही, निर्मली के अन्तर्गत अवर प्रमण्डल सं०-4 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कलकत्ता से प्राप्त 1.13 लाख रूपये मूल्य के 25.462 टन अलकतरे का कम लेखांकन किया गया।

2. दुर्गावती बाँध प्रमण्डल सं०-3 चेनारी में 17.95 मीं० टन अलकतरा (मूल्य 1.6 लाख रू०) का लेख में भंडार बैलेन्सिंग में कमी और इसी प्रमण्डल में 95.89 टन(मूल्य 4.03 लाख रू०) एक कनीय अभियंता श्री मोमराज सिंह, जो दोनों भंडारों का प्रभार रखे थे, द्वारा अवर प्रमण्डल सं०-2 से अवर प्रमण्डल सं०-1 में किए गये भंडार के स्थानान्तरण को स्थल लेखा में नहीं लिया गया।

3. कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर में 6 टन का एम०एस०बार (मूल्य-0.72 लाख) एक कनीय अभियंता द्वारा जनवरी 1993 में शेष को अग्रनीत किया गया था जिसका पता नहीं चला।

4. दुर्गावती दाँया तट नहर अवर प्रमंडल सं०-2 चेनारी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० कलकत्ता द्वारा हल्दिया से भेजे गये (अगस्त - 89) 37.62 टन थोक अलकतरे के तीन टैंकरों में से 1.06 लाख रूपये मूल्य के अलकतरे के 2 टैकरों को अनधिकृत रूप से 17 अगस्त 1989 को एक कनीय अभियंता श्री मोमराज सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया था इन अलकतरो को लेखा में नहीं लिया गया।

5. सी०ए०जी० के प्रति और अधिक कोताही न बरत कर अपने सीधे पर्यवेक्षण में इन सबों पर कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव,

अनु - 40

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञा० संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 19-10-9/97-789 पटना, दिनांक: 30.6.2001

आदेश

श्री हरेन्द्र ठाकुर तत्कालीन कनीय अभियंता गंगा पम्प नहर प्रमंडल बटेश्वर स्थान शिविर बांका के भंडार में सिमेंट सेट हो जाने से संबंधित सी.ए.जी के अंकेक्षण वर्ष में 95-96 के प्रारूप कंडिका के आधार पर विभागीय पत्रांक-2042 दिनांक 28.6.97 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 'ए' के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। किन्तु प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका। अत: उपलब्ध अभिलख/कागजात के आधार पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री हरेन्द्र ठाकुर, कनीय अभियंता 50 बोरा सिमेंट सेट होने के लिए दोषी पाये गये।

2. अत: सरकार ने श्री महेन्द्र ठाकुर कनीय अभियंता की निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

50 बोरा × 82 = 4100/- रू० (चार हजार एक सो रूपये) की वसूली।

3. तद्नुसार श्री हरेन्द्र ठाकुर कनीय अभियंता को उकत दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-22/नि.सिं 1763 (भाग) 19-10-9/97 पटना, दिनांक 11.9.2001

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखण्ड/संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी बायोडाटा कोषांग कनीय अभियंता जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-9, 10, 13, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री हरेन्द्र ठाकुर, कनीय अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अवर सचिव (श्री सिन्हा) से आग्रह है कि आदेश कि प्रति श्री ठाकुर को अपने स्तर से तमीलाा करा दें।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु - 41

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 19-10-9/97-790 पटना, दिनांक: 11.9.2001

आदेश

श्री उमेश प्रसाद यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) गंगा पम्प नहर प्रमंडल बटेश्वर स्थान शिविर बांका के भंडार में सिमेंट सेट हो जाने से संबंधित सी.ए.जी के अंकेक्षण वर्ष 95-96 के प्रारूप कंडिका के आधार पर विभागीय पत्रांक 2041 दिनांक 28.6.97 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली के नियम-55 'ए' के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री यादव 198 बोरा सिमेंट सेट होने के लिए दोषी पाये गये।

2. अत: सरकार ने श्री उमेश यादव, (सहायक अभियंता यांत्रिक) को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

198 बोरा × 82 = 16236 रू० (सोलह हजार दो सौ छतीस रूपये) की वसूली।

3. तद्नुसार श्री उमेश प्रसाद यादव, सहायक अभियंता (यांत्रिक) को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1764 पटना, दिनांक 11-9-2001

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखण्ड/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, प्रबंधक कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ श्री राय पदारथ प्रसाद शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, 8, 11, 12, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री उमेश प्रसाद यादव, सहायक अभियंता (यांत्रिक) निदेशक क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री शर्मा अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से आग्रह है कि इस आदेश की तामिला अपने स्तर से भी श्री यादव को करा दें।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु - 42

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 19-10-9/97-791 पटना, दिनांक: 11.9.2001

आदेश

श्री अर्जुन यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, बटेश्वर स्थान, शिविर -बांका के भंडार में सिमेंट सेट हो जाने से संबंधित सी.ए.जी के अंकेक्षण वर्ष 95-96 के प्रारूप कंडिका के आधार पर विभागीय पत्रांक 2038 दिनांक 28.6.97 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली के नियम-55 'ए' के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद भी आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका। अत: उपलब्ध अभिलेख/ कागजात के आधार पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री यादव 300 बोरा सिमेंट सेट होने के दोषी पाये गये।

2. अत: सरकार ने श्री अर्जुन यादव, कनीय अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

300 बोरा × 82 = 24,600/- रू०(चौबीस हजार छ: सौ रूपया) की वसूली।

3. तद्नुसार श्री अर्जुन यादव, कनीय अभियंता, को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1765 पटना, दिनांक 11-9-2001

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (झारखण्ड) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, मुजफ्फरपुर / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / प्रबंधक कोषांग / जल संसाधन विभाग, बिहार पटना / प्रभारी, पदाधिकारी, बायोडाटा कोषांग (कनीय अभियंता) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 9, 10, 13, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अर्जुन यादव, कनीय अभियंता, नल कूप, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अवर सचिव(श्री सिन्हा) से आग्रह है कि आदेश की एक प्रति अपने स्तर से भी श्री यादव को तामिला करा दें।

ह०/-
(बी०एन० झा)
सरकार के उप सचिव

अनु - 43

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या - 22/नि०सिं०(भाग) 9-10-9/97-792 पटना, दिनांक: 11.9.2001

आदेश

श्री जितेन्द्र नारायण सिंह तत्कालीन, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, बटेश्वर स्थान, शिविर-बांका के भंडार के सिमेंट सेट हो जाने से संबंधित सी.ए.जी के अंकेक्षण वर्ष 95-96 के प्रारूप के आधार पर विभागीय पत्रांक 2040 दिनांक 28.6.97 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 ए के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका। अत: उपलब्ध अभिलेख/ कागजात के आधार पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री सिंह 16 बोरा सिमेंट सेट होने के दोषी पाये गये।

2. अत: सरकार ने श्री जितेन्द्र नारायण सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय/ लिया है :-

16 बोरा × 82 = 1322 रू० (एक हजार तीन सौ बारह रूपये) की वसूली।

3. तद्नुसार श्री जितेन्द्र नारायण सिंह कनीय अभियंता को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1766 पटना, दिनांक 11-9-2001

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ झारखण्ड/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, प्रबंध न कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी / बायोडाटा कोषांग अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री रवीद्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9,10,13, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री जितेन्द्र नारायण सिंह कनीय अभियंता, पिता- स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह, ग्राम + पो०:- जेठौर जमुआ भाया बांका थना-अमिरपुर जिला भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / मुख्य अभियंताओं से अनुरोध है कि यदि श्री सिंह उनसे अपने क्षेत्र में पदस्थापित हों तो यह आदेश उन्हें तामिला करा दें।

2. अवर सचिव (श्री सिन्हा) से आग्रह है कि आदेश की प्रति को अपने स्तर से भी उपलब्ध करा दें।

ह०/-

(बी०एन० झा)

सरकार के उप सचिव

अनु - 44

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग 19-10-9/97 -793 पटना, दिनांक 11-9-01

आदेश

श्री नित्यानंद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, बटेश्वर स्थान शिविर बांका के भंडार में सिमेंट सेट हो जाने से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण वर्ष 95-96 के प्रारूप कंडिका के आधार पर विभागीय पत्रांक 2043 दिनांक 28.6.97 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली के नियम 55 ए के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरांत श्री मिश्र 440 बोरा सिमेंट सेट होने के लिए दोषी पाये गये।

2. अत: सरकार ने श्री नित्यानंद मिश्र, कनीय अभियंता को निम्न दंड देने का निर्णय लिया है :-

440 × 82.00 रू० = 36,080.00 (छत्तीस हजार अस्सी रूपये की वसूली)

3. तद्नुसार श्री नित्यानंद मिश्र, कनीय अभियंता को उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

ह०

बी०एन० झा

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1767 पटना, दिनांक 11-9-2001

प्रतिलिलि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखण्ड/संयुक्त सचिव/उप सचिव / अवर सचिव/ प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / प्रभारी पदाधिकारी, वायोडाटा कोषांग (कनीय अभियंता) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा सं० - 9, 10, 13 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री नित्यानंद मिश्र, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल / चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से आग्रह है कि इस आदेश को तामिला अपने स्तर से भी श्री मिश्र को करा दें।

ह०

बी०एन० झा

सरकार के उप सचिव

अनु - 45

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग 9) 10-96/97-249 पटना, दिनांक 04-02-98

आदेश

श्री अवधनन्दन सिंह, कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल-1 बटेश्वर स्थान, कहलगांव सम्प्रति सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता, क्वार्टर नं० सी०ए-39 पी०सी० कोलनी, कंकड़बाग, पटना-20 के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1, बटेश्वर स्थान के पदस्थापन अवधि मे बटेश्वर स्थान के कहलगांव स्थित भंडार में 2900 बोरा सीमेंट सेट किये जाने के क्रम में बरती गई अनियमितता के लिए विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण, बिहार सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपी नियमावली के निम 55(ए) के तहत विभागीय पत्रांक -100 दिनांक 28-11-94 द्वारा स्प्टीकरण पृछा गया था। श्री सिंह कार्यपालक अभियंता के मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सिंह कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध चल रहे मामला तंकनीकी आधार पर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री अवधनन्दन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध, चल रहे मामला को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 523 पटना, दिनांक 04-02-98

प्रतिलिलि श्री अवध नन्दन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, प्रमण्डल संख्या - 1, बटेश्वर स्थान, कहलगाँव सम्प्रति सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता, क्वार्टर नं० - सी०ए०-39, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना - 20, लाहिया नगर, पटना / संयुक्त सचिव (श्री ए० हयात) प्रबंधन कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी - 22, 5, 6, एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

अनु - 46

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग 9) 10-96/97-248 पटना, दिनांक 04-02-98

आदेश

श्री लीलाधर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1,बटेश्वर स्थाना कहलंगाव सम्प्रति सेवा निवृत्त अधीक्षण अभिंयता, एफ० - 50 पी०सी० कोलनी, कंकड़बाग, लोहियानगर, पटना- के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1, बटेश्वर स्थान के पदस्थापन अवधि मे बटेश्वर स्थान कहलगांव स्थित भंडार में 2900 बोरा सीमेंट सेट कर जाने के क्रम में बरती गई अनियमितता के लिए विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण, बिहार सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपी नियमावली के निम 55(ए) के तहत विभागीय पत्रांक -1031 दिनांक 28-12-94 द्वारा स्प्ष्टीकरण पूछा गया था। श्री सिंह कार्यपालक अभियंता के मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सिंह कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध चल रहे मामला तकनीकी आधार पर समापत करने का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार श्री लीलाधर प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध, चल रहे मामला को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 522 पटना, दिनांक 04-02-98

प्रतिलिलि श्री लीलाधर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, प्रमण्डल संख्या - 1, बटेश्वर स्थान, कहलगाँव सम्प्रति सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता, एफ 50, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, लोहिया नगर पटना - 20 / संयुक्त सचिव (श्री हयात) प्रबंधन कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी - 5, 6, 12 एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

अनु - 47

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग 9) 10-96/97-339 पटना, दिनांक12-02-98

आदेश

श्री राम दीहल चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमंडल सं०1 के पदस्थापन अवधि में बटेश्वर स्थाना कहलगाँव स्थित भंडार में 2900 बोरा सेट सीमेंट में वरती गई अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टव्या आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सिर्वसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील नियमावली के नियम 55 (ए) के तहत विभागीय पत्रांक 998 दिनांक 28.11.94 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री चौधरी अधीक्षण अभियंता से पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हो सका, फलत: उनके विरूद्ध कार्रवाई उनके सेवाकाल में पूरी नहीं हो सकी। अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत कार्रवाई चालू रख गई एवं उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, मामले की समीक्षा सरकार द्वारा एकतरफा की गई। समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध उपरोक्त मामले मे निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(1) 7124 बोरा सीमेंट मई 81 में क्रय करना, लेकिन उसमे से 2900 बोरा सीमेंट का उपयोग नहीं करना। बाद में यह 2900 बोरा सिमेंट सेट हो गया, अर्थात् बिना प्लानिंग का कार्य करना।

अत: उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम दीहल चौधरी, सम्प्रति सेवा निवृत अधीक्षण अभियंता की बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिय गया है:-

(2) 58000/-(अन्ठावन हजार रूपये) उनके पेंशन/ उपादन से वसूली की जायेगी ।

तद्नुसार श्री राम दीहल चौधरी, अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत्त को उपरोक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 702 पटना, दिनांक 12-02-2002

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव (श्री हयात) प्रबंधन कोषांग / उप सचिव श्री डी. के. श्रीवास्तव प्रबंधन कोषांग को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस संबंध में अग्रत्तर कार्रवाई अपने स्तर से की जाय।

2. श्री राम दीहल चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सम्प्रति अधीक्षण अभि० सेवा निवृत) ग्राम-घोसिया खुर्द, पो० + थाना - विक्रमगंज, जिला रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग

अनु - 48

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग 9) 10-96/97-316 पटना, दिनांक 09-02-98

आदेश

श्री चन्द्र किशोर मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1,बटेश्वर स्थाना कहलगाव (भागलपुर) सम्प्रति पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना भागलपुर अभियंता, के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1, बटेश्वर स्थान के पदस्थापन अवधि मे बटेश्वर स्थान कहलगांव स्थित भंडार में 2900 बोरा सीमेंट के सेट कर जाने के क्रम में बरती गई अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण, बिहार सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपी नियमावली के निम 55(ए) के तहत विभागीय पत्रांक -1002 दिनांक 28-11-94 द्वारा स्प्ष्टीकरण पूछा गया था। श्री मिश्र सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री मिश्र सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:

(1) सीमेंट को डिस्पोज करने में पूर्व सजगता नहीं रखी गई।

अत: उपरोक्त अनियमितता के कारण उनके विरूद्ध सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुँचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। अतएव सरकार द्वारा श्री मिश्र सहायक अभियंता को निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

(1) 2,000/-(दो हजार रूपये) की वसूली उनके वेतन से एक मुस्त में की जायेगी।

तद्नुसार उपरोक्त दंड श्री मिश्र, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 652 पटना, दिनांक 09-02-98

प्रतिलिलि महालेखाकर, बिहार, पटना/राँची/ वित्त वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग,बिहार,पटना/ श्री चन्द्रकिशोर मिश्र, तात्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल संख्या - 1, बटेश्वर स्थान, भागलपुर सम्प्रति पुर्नवास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर /उप सचिव(प्रवंधन कोषांग) प्रशाखा पदाधिकारी - 7, 8,12 एवं 22 एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

अनु - 49

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि.सि. (भाग)9- 10-96/97-250 पटना, दिनांक 04-02-98

आदेश

श्री मन हरण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, यांत्रिक गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1, बटेश्वर स्थान कहलंगाव (भागलपुर) सम्प्रति यांत्रिक अवर प्रमण्डल, बेगूसराय के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या-1, बटेश्वर स्थान के पदस्थापन अवधि मे बटेश्वर स्थान कहलगांव स्थित भंडार में 2900 बोरा सीमेंट के सेट कर जाने के क्रम में बरती गई अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण, बिहार सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपी नियमावली के निम 55(ए) के तहत विभागीय पत्रांक -1003 दिनांक 28-11-94 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री सिंह सहायक अभियता के मामले पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री सिंह सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:

(1) सीमेंट को डिस्पोज करने में पूर्व सजगता नहीं रखी गई।

अत: उपरोक्त अनियमितता के कारण उनके विरूद्ध सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुँचाने का आरोप उनके बिरूद्ध प्रमाणित पाया गया है। अतएव सरकार द्वारा श्री सिंह सहायक अभियंता को निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

(1) 2,000/-(दो हजार रूपय) की वसूली उनके वेतन से एक मुस्त में की जायेगी।

तद्नुसार उपरोक्त दंड श्री सिंह,सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 554 पटना, दिनांक 04-02-98

प्रतिलिपि महालेखाकर, बिहार, पटना/राँची/ वित्त वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ श्री मनहरण प्रसाद सिंह, तात्कालीन सहायक अभियंता / सम्प्रति यांत्रिक अवर प्रमण्डल बेगूसराय द्वारा संयोजन नलकूप प्रभाव, विश्वसैरेया भवन, पटना/ /अवर सचिव (श्री वैजनाथ प्रसाद) प्रभारी प्रशाखा-11/ प्रशाखा पदाधिकारी- 11, 12, 7, एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मणिकान्त आजाद)
सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग।

अनु - 50

बिहार सरकार
सिंचाई विभाग

नि.सि. (विभा०) 1351 पटना, दिनांक 07-06-85

आदेश

श्री हरदेव प्रसाद यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता गंगा पम्प नहर और प्रमंडल, कहलगाँव को उक्त प्रमंडल के अन्तर्गत गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, घुआँव में विशिष्ट के निम्न स्तर के टाईल्स की तथा कम टाईल्स की आपुर्ति लेने आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 558 दिनांक 16-2-83 के द्वारा निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प संख्या 3596 दिनांक 2-12-83 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके सचिवालय पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्री वास्तव अ०अ० समीक्षा अंचल, सिंचाई देवघर नियुक्ति किये गये थे। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री यादव के विरूद्ध मात्र मापी पुस्तिका में ओभर राईटिंग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। अत: सरकार ने श्री हरदेव प्रसाद यादव, क०अ० को चेतावनी दिये जाने का निर्णय लिया है जिसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 1981-82 की चारित्री पुस्तक में की जायेगी।

2. तदनुसार श्री यादव को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन के लिये मुख्य अभियंता (मुख्यालय), सिंचाई विभाग, पटना के समक्ष योगदान दें।

3. श्री यादव को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु बिहार राज्य पाल के आदेश से यह अवधि पेंशन आदि के लिए परीगणित की जायेगी।

(के० एम० प्रसाद)
स० स०

ज्ञापांक - 1351 पटना, दिनांक 07-06-85

प्रतिलिपि श्री हरदेव प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, सिंचाई द्वारा मु०अ०, सिंचाई, देवघर/अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, सिंचाई विभाग/ मुख्य अभियंता, (मुख्यालय) सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता, सिंचाई भागलपुर। क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगाँव (भागलपुर) प्रशाखा पदाधिकारी-4 सिंचाई विभाग पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी - 5, सिंचाई विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के० एम० प्रसाद)
स० स० सिंचाई

अनु - 51

नि.सि. (विभा०)1-14/81-1377 पटना, दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री मदन लाल दास, तत्कालीन कनीय अभियंता गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, सं० 4, बाराहाट (संथाल परगना) को उक्त अवर प्रमंडल से निम्नस्तरीय टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति होने, काल्पनिक मापी के आधार बोगस भुगतान कराने, छलकपट, जालसाजी आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्याँ 4415 दिनांक 23.9.82 के द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 5602 दिनांक 21-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्री वास्तव अ०अ०, रूपांकण अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवैदन एवं मंतव्य कीके सम्यक समीक्षोपरान्त श्री दास दोषी पाये गऐ।

अत: सरकार ने श्री दास को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

1. 3 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
2. कठोर निन्दन
3. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली
4. "कठोर" निन्दन की सजा श्री दास के वर्ष 19.5.82 की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि वार्षिक वेतन वृद्वि संचायवली प्रभाव की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में की जायेगी इसका प्रभावं भी वर्ष 1981-82 से रहेगा।

2. श्री मदन लाल दास, क० अ० कोआदेश निर्गत पारित होने की अवधि की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया है कि वे अपने पदस्थपन के लिये मुख्य अभियंता(मुख्यालय),सिंचाई विभाग पटना के समक्ष अपना योगदान दें।

3. श्री दास को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु इस अवधि में उनके पेंशन के लिए कार्रवाई की जायेगीं

4. अत्यधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से मासिक किस्तो में की जायेगी जिसका मूल्यांकन कर अलग से सूचित किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक सं० -1377 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिलि श्री मदन लाल दास, कनीय अभियंता, सिंचाई द्वारा मु०अ०, सिंचाई, देवघर/अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, सिंचाई विभाग/ मुख्य अभियंता, (मुख्यालय) सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता,सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता, सिंचाई भागलपुर । क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगाँव (भागलपुर) प्रशाखा पदाधिकारी-4 सिंचाई विभाग पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी - 4 एवं 5, सिंचाई विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार संयुक्त सचिव

अनु - 52

नि.सि. (विभा०)1-14/84-1278 दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री सवीनन्द सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, कहलगाँव को उक्त अवर प्रमंडल में निम्न स्तर की टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति लेने काल्पनिक मापी के आधार पर बोगस भुगतान कराने आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 129/90 दिनांक 25-9-82 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 3598 दिनांक 2-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिचाई देवघर नियुक्त किए गए थे। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध गलत नापी एवं अत्यधिक भुगतान कराने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये। अतः सरकार ने श्री सिंह को निम्नलिखित दंड देने का निर्णय लिया है।

(1) 3 (तीन) वर्ष के वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(2) कठोन निन्दन

(3) अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।

(4) कठोर निन्दन की सजा श्री सिंह की वर्ष की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टी की जाएगी।

2. अत्यधिक भुगतान की वसूली श्री सिंह के वेतन से मासिक किस्तों में की जायेगी जिसका मूल्यांकन अलग से सूचित किया जायेगा।

3. इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से श्री सिंह को उक्त सजा देकर इस मामले में निलंबन से मुक्त किया जाता है। किन्तु अन्य मामलों में श्री सिंह के निलंबन का प्रभाव पूर्ववत लागू रहेगा।

4. श्री सिंह को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु यह अवधि उनके पेंशनादि के लिए परिगणित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 1378 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिपि श्री सवीनन्द सिंह स०अ० महालेखाकर, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव (श्री मजुमदार) सिचाई विभाग/मु०अ० देवघर/मु०अ०, भागलपुर/क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगांव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 21/24, सिचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के०एस० प्रसाद)

स० स०

अनु - 53

नि.सि. (विभा०)1-14/84-1379 दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री हरेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, अवर प्रमण्डल संख्या - धुआवे, कहलगाँव (भागलपुर) को उक्त अवर प्रमण्डल में विशिष्ट से निम्न स्तर के टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति लेने, काल्पनिक मापी के आधार पर बोगस भुगतान कराने, मापी पुस्तिका में ओभर राइटिंग करने आदि आरोप के लिये विभागीय आदेश संख्या 820 दिनांक 26-3-82 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 3597 दिनांक 8-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री हरेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध अपने अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की उपेक्षा करने, कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के साथ साठ-गांठ कर बोगस भुगतान कराने, गलत नापी एवं गलत स्थान पर टाईल्स रखने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये। अत: सरकार ने श्री हरेन्द्र ठाकुर को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

1. 5 (पाँच) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव पर रोक।
2. कठोर निन्दन
3. आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं अकार्य कोटि में पदस्थापन।
4. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।
5. कठोर निन्दन की सजा श्री ठाकुर की वर्ष 1981-82 की चरित्र पुस्ति में प्रविष्टि की जायेगी तथा संचायत्मक प्रभाव से 5 (पाँच) वेतन वृद्धि पर रोक की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्त में की जायेगी।

2. तदनुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री ठाकुर को उक्त सजा देकर इस मामले में निलंबन से मुक्त किया जाता है, किन्तु अन्य निलम्बन के मामले में इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. श्री ठाकुर को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु यह अवधि पेंशन आदि के लिए परिगिणत की जायेगी।

4. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उनके वेतन से मासिक किस्तों में की जायेगी जिसका मूल्यांकन कर अलग से सूचित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 1379 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिपि श्री हरेन्द्र ठाकुर, क०अ०, सिचाई द्वारा मु०अ०, देवघर/अ०प्र० सह अ. आ०-सह-वि०स०, सिचाई विभाग/मु०अ०(मु०), सिचाई विभाग/मु०अ० देवघर/मु०अ०, भागलपुर/क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगांव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 4/5, सिचाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

स० स०

अनु - 54

नि.सि. (विभा०)1-14/81-1380 दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, अवर प्रमण्डल संख्या - 3, कहलगाँव (भागलपुर) को उक्त प्रमण्डल में निम्न स्तर के टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति लेने, काल्पनिक मापी के आधार पर बोगस भुगतान कराने, छलकपट, जालसाजी आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 4416 दिनांक 25-9-82 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 3600 दिनांक 2-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री ठाकुर के विरूद्ध गलत मापी अत्यधिक भुगतान कराने, के आरोप प्रमाणित पाये गये। अतः सरकार ने श्री ठाकुर को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

1. 3 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव पर रोक।
2. कठोर निन्दन
3. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।
4. कठोर निन्दन की सजा श्री ठाकुर को वर्ष 1981-82 की चरित्री में प्रविष्टि की जायेगी तथा संचायत्मक प्रभाव से 3 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्त में की जायेगी।

2. श्री ठाकुर को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु यह अवधि पेंशन आदि के लिए परिगिणत की जायेगी।

4. चूँकि श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, क०अ० को विभागीय आदेश संख्या 1221 दिनांक 15-5-85 के द्वारा पूर्व में ही निलंबन से मुक्त किया जा चुका है, इसलिये उनके वेतनादि का भुगतान उसी तिथि से देय होगा। जिस तिथि (यानि 15.5.85) से उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 1380 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिपि श्री किशोर चन्द्र ठाकुर, क०अ०, सिचाई द्वारा मु०अ०, देवघर/अ०प्र० सह अ. आ०-सह-वि०स०, सिचाई विभाग/मु०अ०(मु०), सिचाई विभाग/मु०अ० देवघर/मु०अ०, भागलपुर/क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगांव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 4/5, सिचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

अनु - 55

नि.सि. (विभा०)1-14/81-1381 दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, कहलगाँव को उक्त प्रमण्डल के अधीन गंगा पम्प नहर अवर प्रमण्डल धुआवे में निम्नस्तरीय विशिष्टि के टाईल्स की तथा कम टाईल्स की आपूर्ति लेने, काल्पनिक मापी के आधार, बोगस भुगतान कराने, छलकपट, जालसाजी आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 822 दिनांक 26-3-82 के द्वारा निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प संख्या 3595 दिनांक 2-12-82 के द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध गलत मापी एवं टाईल्स के अधिक भुगतान कराने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये। अतः सरकार ने श्री जितेन्द्र नारायण सिंह को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

1. 3 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव पर रोक।
2. कठोर निन्दन।
3. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।

4. कठोर निन्दन की सजा श्री ठाकुर की वर्ष 1981-82 की चरित्री में प्रविष्टि की जायेगी तथा संचायत्मक प्रभाव से 3 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्त में की जायेगी।

2. श्री सिंह को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु यह अवधि पेंशन आदि के लिए परिगिणत की जायेगी।

4. चूँकि श्री सिंह, क०अ० को विभागीय आदेश संख्या 1224 दिनांक 15-5-85 के द्वारा पूर्व में ही निलंबन से मुक्त किया जा चुका है, इसलिये उनके वेतनादि का भुगतान उसी तिथि से देय होगा। जिस तिथि (यानि दिनांक 15. 5.85) से उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 1381 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिपि श्री जीतेन्द्र नारायण सिंह, क०अ०, सिचाई द्वारा मु०अ०, देवघर/अ०प्र० सह अ. आ०-सह-वि०स०, सिचाई विभाग/मु०अ०(मु०), सिचाई विभाग/मु०अ० देवघर/मु०अ०, भागलपुर/क०अ०, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगांव (भागलपुर) /प्रशाखा पदाधिकारी - 4, सिचाई विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी - 5, , सिचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

अनु - 56

नि.सि. (विभा०)1-14/81-1382 दिनांक 14-06-85

आदेश

श्री शिव कुमार टेकरीवाल, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, अवर प्रमण्डल-4 बेला बाराहाट को उक्त अवर प्रमण्डल में निम्नस्तरीय विशिष्टि के टाईल्स की तथा कम टाईल्स की आपूर्ति लेने काल्पनिक मापी के आधार, बोगस भुगतान करने, छलकपट, जालसाजी आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 4413 दिनांक 25-9-82 के द्वारा निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प संख्या 3599 दिनांक 2-12-82 के द्वारा विरूद्ध कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री शिव कुमार के विरूद्ध गलत मापी एवं टाईल्स के अधिक भुगतान कराने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये। अत: सरकार ने श्री शिव कुमार टेकरीवाल को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है :-

1. 2 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव पर रोक।
2. कठोर निन्दन
3. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।
4. कठोर निन्दन की सजा श्री ठाकुर की वर्ष 1981-82 की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि की जायेगी ।

2. तदनुसार श्री टेकरीवाल को आदेश निर्गत होने की तिथि से इस मामले में निलंबन से मुक्त किया जाता है, किन्तु अन्य मामले में श्री टेकरीवाल के निलंबन का प्रभाव निहित लागू रहेगा।

4. श्री टेकरीवाल को निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी दये नहीं होगा। परन्तु यह अवधि उनके पेंशन आदि की वसूली पर नहीं पड़ेगा।

5. अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली श्री टेकरीवाल के वेतन से मासिक किस्तों में की जायेगी जिसका मूल्यांकन अलग से सूचित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 13812 दिनांक 14-06-85

प्रतिलिपि श्री शिव कुमार टेकरीवाल स०अ०, सिचाई द्वारा मु०अ०, देवघर/महालेखाकर बिहार, पटना संयुक्त सचिा(श्री मजमुदार), सिचाई विभाग/मु०अ०(मु०), देवघर/मु०अ०, भागलपुर/कउप सचिव प्रभारी चारित्री शाखा,, सिचाई विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी -1, 24, 18 सिचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

अनु - 57

नि.सि. (विभा०)1-14/84 - 1354 दिनांक 08-06-85

आदेश

श्री रूद्र नारायण लाल तत्कालीन स० अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, अवर प्रमण्डल संख्या-1 धुआवे को उक्त अवर प्रमण्डल में निम्नस्तरीय टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति लेने आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 823 दिनांक 26-3-82 के द्वारा निलंबित किया गया था तथा विभागीय संकल्प संख्या 3594 दिनांक 2-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रूप नारायण लाल स० अ० के विरूद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

2. तदनुसार श्री रूद्र नारायण लाल स०अ० को दोष मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन के लिये संयुक्त सचिव (श्री मजुमदार), सिंचाई विभाग के समक्ष अपना योगदान दें।

3. श्री लाल के निलंबन की अवधि को कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि मानते हुए उक्त अवधि का वेतनादि उन्हे देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

ज्ञापांक - 1354 दिनांक 08-06-85

प्रतिलिपि महालेखाकर बिहार विस्कोमान भवन, पटना,श्री रूप नारायण लाल, स०अ०, सिचाई द्वारा मु०अ०, देवघर/ संयुक्त सचिव (श्री मजमुदार), सिचाई विभाग, पटना / मुख्य अभियन्ता, देवघर/मु०अ० सिचाई, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी ,प्रशाखा 21/24 सचाई विभाग, उप सचिव(प्रभारी चरित्र पुस्तिका शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(के०एस० प्रसाद)

स०स०

अनु - 58

नि.सि. (विभा०)1-14/84 - 1780 दिनांक 26-08-85

आदेश

श्री किशोरी लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर, प्रमण्डल कहलगाँव को उक्त प्रमंडलान्तर्गत गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडलों में निम्नस्तरीय टाईल्स की तथा कम मात्रा में टाईल्स की आपूर्ति कराने ,बोगस भुगतान करने, छल-कपट जालसाजी आदि आरोपों के लिये विभागीय आदेश संख्या 819 दिनांक 26-3-82 के द्वारा निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प संख्या 3598 दिनांक 2-12-82 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अ०अ०, रूपांकन अंचल, सिंचाई, देवघर नियुक्त किये गये थे । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्री लाल के विरूद्ध छल-कपट, अधिक टाईलस के भुगतान करने, जालसाजी करने, सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये। अतः सरकार ने श्री किशोरी लाल कार्यपालक अभियंता को निम्न लिखित दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

1. 5(पाँच) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव पर रोक।
2. कठोर निन्दन
3. आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले तक पाँच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।
4. अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।
5. कठोर निन्दन की सजा श्री लाल के वर्ष 1981-82 की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि की जायेगी ।

2. तदनुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री किशोरी लाल, क०अ० को उपर्युक्त सजा देकर उस मामले में निलबंल से मुक्त किया जाता है। किन्तु अन्य मामलों में श्री लाल के निलंबन का प्रभाव पूर्ववत लागू रहेगा.

3. श्री लाल को निलंबन की अवधि में से भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु यह अवधि पेंशन आदि के लिये परिगणित की जायेगी।

3. अत्यधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से मासिक किस्तों में की जायेगी जिसका मूल्यांकन का अलग से सूचित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुषमा सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - 1780 दिनांक 26-08-85

प्रतिलिपि महालेखाकर बिहार पटना,श्री किशोरी लाल, सचाई द्वारा मु०अ०, सिचाई देवघर/ विशेष सचिव (श्री मिश्र), सिचाई विभाग/ संयुक्त सचिव (श्री मजुमदार) सिंचाई विभाग, मु०अ०(मु०), देवघर/मु०अ०, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी ,प्रशाखा 21/24 सिचाई विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी -5,6 एवं 18, सिचाई विभाग, उप सचिव(प्रभारी चरित्र पुस्कि शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(सुषमा सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

अनु-59

पत्रांक - 309 दिनांक 2/3/02

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भण्डारों सम्बन्धी कार्यो के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर वर्तमान व्यवस्था की और सुदृढ़ कर भण्डारों के वार्षिक सत्यापन, भण्डार खाते का उपस्थापन, भण्डार में कमी, चोरी, सीमेन्ट जमने तथा अधिकाई अधिप्राप्ति के अनुश्रवण कार्य के सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भण्डारी से सम्बन्धित अनुश्रवण कार्यो के लिए मुख्यालय स्तर पर एक व्यवस्था आत्यावश्यक प्रतीत होती हैं

अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यालय स्तर पर भण्डार से सम्बन्धित निम्नांकित विन्दुओं पर अनुश्रवण का कार्य क्रय एवं परिवहन निदेशालय, पटना द्वारा किया जायेगा।

क. वार्षिक भौतिक सत्यापन (स्थल लेखा सहित)

ख. सामाग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गमन

ग. अधिकाय अधिप्राप्ति

घ. सीमेन्ट की समय पर खपत

ड़ सीमेन्ट एवं बी. ए. वायर की गुणवता एवं विशिष्टि

च. भण्डार से सम्बन्धित अन्य मामले।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(बी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

रिशू ऑफसेट, राजापुर पुल, पटना - 1 द्वारा मुद्रित